

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक : शिविरा-माध्य/पीएसपी-सी/अ-2/60566/बो-1/2023-24/72

दिनांक : 24/12/2022

विस्तृत विज्ञप्ति

राज्य में संचालित गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं को प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता, प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर की क्रमोन्नति, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर पर क्रमोन्नति तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय शुरू करने, भवन या स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, माध्यम परिवर्तन, वर्चुअल विद्यालय मान्यता आदि की स्वीकृति हेतु इच्छुक संस्थाओं से सत्र 2023-24 में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प.9(51)शिक्षा-5/मान्यता दिशा-निर्देश/2022 जयपुर दिनांक : 22.12.2022 के क्रम में ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

विज्ञप्ति टाईम-फ्रेम				
क्र.सं.	गतिविधि	टाईम फ्रेम		संबंधित कार्यालय
1	गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑन लाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन शुल्क ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना।	सामान्य शुल्क	01.01.2023 से 31.01.2023 तक	सम्बन्धित संस्था
		विलम्ब शुल्क	01.02.2023 से 10.02.2023 तक	
2	विद्यालय द्वारा लॉक आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन की कार्यवाही	आवेदन लॉक करने की तिथि से 05 दिवस की अवधि तक		संबंधित संस्था
3	विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर ई-ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवा दिये जाने की स्थिति में ऑटो जेनरेटेड निरीक्षण दल का गठन। (विलम्ब शुल्क वाले आवेदनों पर भी उपरोक्त प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही करें)	विद्यालय द्वारा आवेदन लॉक किए जाने एवं उसमें संशोधन किए जाने की 5 दिवस की अवधि के पश्चात से लगातार....		एनआईसी एवं निरीक्षण दल
4	निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा भौतिक सत्यापन 07 दिवस में कर निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड मय अभिशंसा करना व विद्यालय द्वारा अपलोड की गई पत्रावली की हार्ड कॉपी विद्यालय से प्राप्त कर सम्पूर्ण तथ्यों के क्रम में परीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रावली की हार्ड कॉपी सहित 02 दिवस (निरीक्षण उपरांत) में जिशिअ. कार्यालय में जमा करवाना। (विलम्ब शुल्क वाले आवेदनों पर भी उपरोक्त प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही करें)	दल गठन के 7 दिवस के भीतर		संबंधित संस्था, निरीक्षण दल एवं संबंधित जिशिअ. कार्यालय
5	प्रकरण का परीक्षण एवं आक्षेप- निरीक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मय पत्रावली प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर प्राप्त पत्रावली का पूर्ण परीक्षण करना। परीक्षण कर आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में पोर्टल पर अपनी नियमसंगत स्पष्ट	निरीक्षण दल द्वारा पत्रावली जमा करवाने के 15 दिवस के भीतर		संबंधित जिशिअ प्रार. / माध्यमिक एवं संबंधित संस्था

	अनुशंषा सहित निदेशालय को अग्रेषित करना एवं सम्पूर्ण पत्रावली मय निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को वाहक स्तर पर उपलब्ध कराना। (यदि आक्षेप हो तो आक्षेप पूर्ति के 07 दिवस के भीतर) परिशिष्ट की पूर्ति के साथ।		
6	निदेशालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन जारी करना	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्रावली निदेशालय स्तर पर ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी प्राप्त होने की दिनांक से लगातार	निदेशालय माशि. /प्राशि. राजस्थान
7	निदेशालय द्वारा अनुमोदन किए जाने के उपरान्त पात्र संस्थाओं से बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में आरक्षित कोष की राशि की डीडी/सावधि जमा प्राप्त करना।	निदेशालय से अनुमोदन उपरान्त 15 दिवस की अवधि में	संबंधित संस्था एवं कार्यालय जिशिअ. प्राशि/माशि मुख्यालय
8	मान्यता आदेश/निरस्त आदेश जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना।	मान्यता प्रमाण पत्र	निरस्त प्रमाण पत्र
		संबंधित विद्यालय से एफडी/डीडी प्राप्त होने के 02 दिवस के भीतर	निदेशालय स्तर के अनुमोदन उपरान्त 02 दिवस के भीतर
			कार्यालय जिशिअ. प्राशि/ माशि. मुख्यालय

निर्धारित आवेदन शुल्क की राशि ई-ग्रास के माध्यम से जमा करानी होगी। प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता एवं प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, माध्यमिक से उच्च माध्यमिक की क्रमोन्नति हेतु तथा विद्यमान गैर सरकारी विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय/विषय, भवन या स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, माध्यम परिवर्तन, वर्चुअल विद्यालय मान्यता आदि की स्वीकृति हेतु आवेदन पत्र, शपथ पत्र, शुल्क विवरण, निरीक्षण प्रतिवेदन, दिशा-निर्देश आदि जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) प्रारम्भिक/माध्यमिक कार्यालय एवं प्राईवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) (<https://raipsp.nic.in/PSP2/Home/Home.aspx>) तथा विभागीय वेबसाईट:-(<https://education.rajasthan.gov.in/content/raj/education/secondaryeducation/en/order/PSP.html>) पर अवलोकन हेतु उपलब्ध है। विद्यालयों द्वारा कैलेण्डर की पालना नहीं करने की स्थिति में आवेदन हेतु स्वतः ही अपात्र हो जायेंगे।

सत्यमेव जयते

(गौरव अग्रवाल)

आई.ए.एस.
निदेशक, प्रारम्भिक एवं माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर।

गैर सरकारी विद्यालयों को ऑनलाईन मान्यता / क्रमोन्नति दिये जाने संबंधी दिशा-निर्देश (2023-24)

अध्याय-1 : परिचय

राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 में विभिन्न स्तर की गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता देने का प्रावधान है। राज्य में इन अधिनियम एवं नियमों के अन्तर्गत, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर की 40000 हजार से अधिक संस्थाएँ संचालित हैं। इन संस्थाओं का राज्य में शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन संस्थाओं की अनुभूत कठिनाइयों तथा विभाग की आवश्यकताओं को देखते हुए समय-समय पर अधिनियम एवं नियमों के दायरे में अनेक अधिसूचनाओं में संशोधन, नई आज्ञा एवं नए आदेश जारी किए गए हैं। गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं की सुविधा तथा विभागीय कार्यालयों के कार्य को सुगम एवं पारदर्शी बनाने की दृष्टि से शैक्षिक सत्र 2016-17 से समस्त प्रकार की मान्यताओं को ऑनलाईन किया गया है। शैक्षिक सत्र 2023-24 में ऑनलाईन मान्यता / क्रमोन्नति आदि हेतु शैक्षिक संस्थाओं एवं विभागीय कार्यालयों के लिए करणीय कार्यों के सम्बन्ध में राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 तथा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं / आदेश / परिपत्रों के आधार पर तैयार कर पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक स्तर हेतु विस्तृत दिशा निर्देश प्रसारित किए जा रहे हैं। यदि इन दिशा निर्देशों में और मूल अधिनियम/नियम/अधिसूचना/आदेश/परिपत्रों में कोई विसंगति/उल्लेख नहीं होने पर मूल अधिनियम/नियम/ अधिसूचना/आदेश/परिपत्र ही मान्य होंगे।

सत्यमेव जयते विन्दु:-

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 के अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2023-24 हेतु गैर सरकारी संस्थाओं को नवीन मान्यता/क्रमोन्नति, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय/नाम/स्थान/वर्ग परिवर्तन/दो पारी संचालन/वर्चुअल विद्यालय मान्यता आदि के प्रकरणों के संबंध में पूर्व सत्र में जारी दिशा-निर्देशों की समीक्षोपरान्त उनमें आवश्यक संशोधन करते हुए निम्न दिशा-निर्देश सम्मिलित किये गये हैं:-

1. शिक्षा विभाग के परिपत्र क्रमांक : शिविरा-मा/पीएसपी/60572/8/राअनुजाआ/सामाजिक समानता/2022 दिनांक 22.08.2022 की अनुपालना में संस्था/विद्यालय द्वारा आवेदन करने पर पत्रावली के साथ जातिगत भेदभाव नहीं करने का एवं संस्था द्वारा साम्प्रदायिक व राजनीतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेने का शपथ पत्र (100 रुपये के नॉन-ज्युडिशियल स्टाम्प पर) प्रस्तुत करना होगा।
2. गत सत्रों में किसी भी संस्था/विद्यालय द्वारा पूर्व में अतिरिक्त माध्यम के लिए आवेदन किया जाता था तब स्वीकृति मान्यता/क्रमोन्नति आदि प्रमाण पत्र जारी करने हेतु विद्यालय से किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाता था। सत्र 2023-24 से अतिरिक्त माध्यम के लिए आवेदन करने वाले विद्यालयों

को स्वीकृति हेतु मान्यता प्रमाण पत्र लेने से पूर्व सचिव, बालिका शिक्षा फाउन्डेशन, जयपुर के नाम से निम्नानुसार निर्धारित शुल्क का डिमान्ड ड्राफ्ट लिया जाएगा -

कक्षा (अतिरिक्त माध्यम)	शुल्क
1-5	20000
1-8, 6-8	20000
1-10, 6-10, 9-10	30000
1-12, 6-12, 9-12, 11-12	30000

3. अतिरिक्त माध्यम हेतु कक्षा-कक्ष का निर्धारण पूर्व में संचालित कक्षा-कक्ष के क्रम में निम्नानुसार किया गया है-

एक माध्यम में संचालन हेतु कक्षा-कक्षों की संख्या		दोनों माध्यम में संचालन हेतु कक्षा-कक्षों की संख्या		
कक्षा स्तर	कक्षा कक्ष संख्या	समान कक्षा स्तर	भिन्न भिन्न कक्षा स्तर	कक्षा कक्ष संख्या
1-5	2	1-5	-	4
1-8	5	-	1-8 एवं 1-5	07
		1-8	-	10
1-10	14	-	1-10 एवं 1-5	16
		-	1-10 एवं 1-8	19
		1-10	-	24
1-12 (एक संकाय 03 विषय के साथ)	16	-	1-12 एवं 1-5	18
		सत्यमेव जयते	1-12 एवं 1-8	21
		-	1-12 एवं 1-10	26
		1-12	-	28

नोट : उच्च माध्यमिक स्तर के विद्यालयों हेतु प्रत्येक अतिरिक्त 03 विषय-एक माध्यम हेतु अतिरिक्त 02 कक्षा-कक्षों एवं प्रत्येक अतिरिक्त 03 विषय-दोनों माध्यम हेतु अतिरिक्त 04 कक्षा-कक्षों की आवश्यकता होगी।

- यदि कोई संस्था विशेष योग्यजन (CWSN) विद्यालय के रूप में मान्यता हेतु आवेदन प्रस्तुत करती है तो सम्बन्धित संस्था को आवेदन करने से पूर्व निदेशालय, विशेष योग्यजन, जयपुर से अनुमति/प्रमाण पत्र लिया जाना अनिवार्य होगा।
- किसी भी संस्था/विद्यालय द्वारा आवेदन करने पर संलग्न पैन ड्राइव में विद्यालय की भौतिक स्थिति का विडियो, जिसमें निरीक्षण दल द्वारा निरीक्षण करते हुए प्रत्येक कक्षा-कक्ष, छात्र-छात्रा के लिए पृथक-पृथक शौचालय एवं मूत्रालय, पेयजल, खेल मैदान, मुख्य-द्वार, प्रयोगशाला, विद्यालय की छत व सम्पूर्ण निर्माण का आकाशीय परिदृश्य प्रदर्शित किया गया हो, प्रस्तुत करना होगा।
- संस्था/विद्यालय द्वारा कक्षा 9-12 की क्रमोन्नति/स्थान परिवर्तन/दो पारी/वर्ग परिवर्तन (छात्रा विद्यालय से सह शिक्षा में परिवर्तन करने पर) सम्बन्धी आवेदन करने पर आवेदन करते समय पूर्व

- शैक्षिक सत्र 2022-23 में निर्धारित आवेदन शुल्क एवं स्वीकृति शुल्क को सम्मिलित करते हुए आवेदन शुल्क विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन लॉक करते समय ई-ग्रास के माध्यम से लिया जाये।
7. यदि विद्यालय पूर्व में उच्च माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त है एवं वर्तमान में अतिरिक्त विषय हेतु आवेदन किया जाता है तो विद्यालय परिसर की भूमि के माप में कारपेट एरिया/फ्लोर/कुल निर्मित क्षेत्र को शामिल करते हुए भूमि की माप निर्धारित किया जायेगा अर्थात् निर्धारित मापदण्ड के अनुसार भूमि की गणना में यदि विद्यालय में एक से अधिक तल का निर्माण किया गया है तो सभी निर्मित तलों का क्षेत्रफल सम्मिलित करते हुए विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल निर्धारित किया जायेगा।
 8. मान्यता/क्रमोन्नति का आवेदन करते समय विद्यालय/संस्था, विद्यालय का नाम एवं पता पूर्व में जारी किये गये मान्यता आदेशों से मिलान कर सुनिश्चित कर लें कि आवेदन में विद्यालय का नाम वही अंकित है जिस नाम से पूर्व में मान्यताएं/क्रमोन्नति प्रदान की गई हैं। किसी प्रकार की भिन्नता होने पर उसे आवेदन से पूर्व ही सही करवाकर आवेदन करें। आवेदन लॉक होने के 05 दिवस तक संबंधित विद्यालय लॉक आवेदन में आवश्यक संशोधन कर सकेगा। आवेदन लॉक होने के 05 दिवस पश्चात् विद्यालय द्वारा विद्यालय के नाम अथवा पते के संशोधन के लिए प्राप्त होने वाले अभ्यावेदन/परिवेदनाओं को शास्ति शुल्क (30000 रुपये) सहित आवेदन स्वीकार किया जायेगा। नियमानुसार परीक्षणोपरान्त संशोधन जारी किया जायेगा।
 9. विद्यालय में घटित होने वाली अप्रिय घटनाएं जैसे छात्र/छात्राओं के साथ होने वाले उत्पीड़न, मारपीट, भेदभाव, मानसिक रूप से प्रताड़ित करने, पर अकुश लगाने हेतु विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों की पालना विद्यालय द्वारा अनिवार्य रूप से करनी होगी। यदि विद्यालय प्रबन्धन ऐसी घटनाओं में दोषी पाया जाता है तो विद्यालय/संस्था के विरुद्ध मान्यता/क्रमोन्नति के निलम्बन/समाप्ति की कार्यवाही की जा सकेगी।
 10. विभाग के पत्र क्रमांक : शिविरा-मा/मा-स/बाल संरक्षण/ 2016-19/194 दिनांक 23.05.2019 के क्रम में छात्र/छात्राओं की समस्याओं के लिए सभी गैर सरकारी विद्यालयों में बाल शिकायत पेटिका का लगाया जाना अनिवार्य होगा जिसका उल्लेख आवेदन करते समय विद्यालय द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र में करना होगा।
 11. पूर्व शैक्षिक सत्र 2022-23 में मान्यता/क्रमोन्नति के आवेदनों के साथ ही प्रबन्ध अन्तरण एवं मान्यता समर्पण के आवेदन लिये गये किन्तु वर्तमान परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मान्यता प्रबन्ध अन्तरण एवं मान्यता समर्पण के प्रकरणों की प्रकृति मान्यता के आवेदनों से अलग होने के कारण इन्हें सत्र पर्यन्त पृथक रूप से शुल्क निर्धारित कर ऑनलाईन आवेदन लिये जायेंगे।
 12. मान्यता प्राप्त संस्थाओं को आवेदन करते समय पूर्व में मान्यता प्राप्त विद्यालय को गत वर्षों की भविष्य-निधि कटौती का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
 13. नवीन मान्यता स्वीकृति के समय जिला शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवायी जाने वाली आरक्षित कोष (एफ.डी.) संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्मिलित नाम से होनी चाहिए (न कि संस्था के नाम से)। पूर्व में बनायी हुई एफडी की परिपक्व अवधि समाप्त होने पर नवीनीकरण के समय बनायी जाने वाली एफडी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी एवं मान्यता प्राप्त विद्यालय के सम्मिलित नाम से ही होनी चाहिए।
 14. नवीन मान्यता के आवेदन के समय विद्यालय को स्थानीय सक्षम प्राधिकारी (नगर निगम/नगरपालिका/ग्राम पंचायत) द्वारा जारी अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
 15. जिन विद्यालयों ने पूर्व में अतिरिक्त माध्यम हेतु जिस कक्षा स्तर की मान्यता प्राप्त है, उससे उच्च कक्षा स्तर की अतिरिक्त माध्यम की मान्यता लेने हेतु आवेदन की सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करवाई जा चुकी है।

अपील-सुनवाई के संबंध में

16. निदेशालय द्वारा किसी भी संस्था के मान्यता आवेदन को नामंजूर/इंकार किये जाने पर संस्था द्वारा राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 एवं नियम 1993 की धारा-4 एवं नियम-6 में

वर्णित प्रावधानों के अनुसरण में शासन स्तर पर विशिष्ट शासन सचिव, स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर को अपील प्रस्तुत की जा सकती है। धारा-4 में निम्नानुसार प्रावधान उपलब्ध है:-

धारा-4:-मान्यता के इंकार के विरुद्ध अपील:-

- (1) जहां किसी संस्था को मान्यता से इंकार किया जाये वहां ऐसे इंकार से व्यथित कोई भी व्यक्ति, उसे ऐसे इंकार की संसूचना दिये जाने की तारीख से 30 दिन के भीतर-भीतर, ऐसे इंकार के विरुद्ध ऐसे अधिकारी को, जिसे कि विहित किया जाये, विहित रीति से अपील कर सकेगा।
- (2) उप-धारा (1) के अधीन की गयी किसी अपील की सुनवाई पर उक्त प्राधिकारी, अपीलार्थी को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, उस आदेश को, जिससे कि विरुद्ध अपील की गई है, पुष्ट या उपान्तरित कर सकेगा या उससे उलट सकेगा और उस पर इसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

नोट:

1. संस्था द्वारा पोर्टल लॉगिन के माध्यम से मान्यता आवेदन के संबंध में निरस्त प्रमाण पत्र जारी होने के 30 दिवस के भीतर ऑनलाईन अपील सुनवाई संबंधी आवेदन करने की व्यवस्था उपलब्ध है।
2. उपरोक्त वर्णित बिन्दुओं के अतिरिक्त शेष सभी दिशा-निर्देश पूर्व शैक्षिक सत्र (2022-23) में जारी विज्ञप्ति के अनुसार यथावत रखे गये हैं। 2022-23 की विज्ञप्ति का अवलोकन विभागीय वेबसाइट www.education.rajasthan.gov.in पर तथा पीएसपी के पोर्टल पर किया जा सकता है।



(Signature)

वर्चुअल स्कूल (Virtual School)

राजस्थान राज्य में कोरोना काल जैसी विषम परिस्थितियों के मद्देनजर विगत सत्रों में विद्यार्थियों के शिक्षा में हुए नुकसान हेतु विभाग द्वारा राजस्थान में शैक्षिक सत्र 2023-24 से कक्षा 9 से कक्षा 12 तक गैर सरकारी VIRTUAL विद्यालयों को मान्यता प्रदान करने का निर्णय लिया गया है। भविष्य में ऐसी विकट परिस्थितियों में भी विद्यार्थियों का शिक्षण निर्बाध गति से करवाया जा सकें, इस हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 में कक्षा-कक्ष अध्ययन (Class room study) के साथ वर्चुअल (ऑनलाईन) स्कूल की अभिधारणा को सम्मिलित किया गया है, जिसके तहत रजिस्टर्ड संस्था यदि चाहे तो विभाग से स्वीकृति लेकर वर्चुअल स्कूल प्रारंभ कर सकती है। यह स्वीकृति, विभाग द्वारा पूर्व में संचालित विद्यालयों के साथ सहभागिता करने वाली रजिस्टर्ड संस्था (सोसाइटी) को ही प्रदान की जायेगी।

वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के संबंध में निम्न दिशा- निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं द्वारा वर्चुअल स्कूल प्रारंभ करने हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित भौतिक मापदंड जैसे खेल मैदान, भूमि का माप, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला आदि के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान से उच्च माध्यमिक स्तर/माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय से सहभागिता (COLLABORATION) करना अनिवार्य होगा।
2. यह सहभागिता "वर्चुअल इंटीग्रेशन पार्टनर (VIP)" कहलाएगी जिसके अंतर्गत वर्चुअल स्कूल के मान्यता के लिए आवेदन करनी वाली शैक्षिक तकनीकी संस्था (Ed-TECH Companies) को आवेदन से पूर्व मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था से सहभागिता हेतु एमओयू करना आवश्यक होगा। उदाहरणतः यदि उक्त एज्युकेशन संस्था शैक्षिक सत्र 2023-24 में मान्यता हेतु आवेदन करना चाहती है तो उसे आवेदन की अंतिम तारीख से पूर्व यह सहभागिता करनी होगी।
3. वर्चुअल स्कूल की मान्यता वीआईपी सहभागिता की समयावधि तक मान्य होगी। जिसे न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि हेतु करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक शैक्षिक तकनीकी संस्था (Ed-Tech Companies) एक समय में एक से अधिक गैर सरकारी विद्यालयों के साथ वीआईपी सहभागिता कर सकेगी यदि निर्धारित समय अवधि से पूर्व किसी भी गैर सरकारी विद्यालय से किया हुआ एमओयू समाप्त होता है तो इसकी सूचना विभाग को तत्काल प्रेषित करनी होगी।
5. Ed-Tech संस्था करार के समय यह सुनिश्चित कर लेवे कि एमओयू में वर्णित छात्र संख्या के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध है।
6. वर्चुअल स्कूल में प्रवेश के समय विद्यार्थियों को शैक्षिक गतिविधियों जैसे परीक्षा, प्रयोगशाला आदि का आयोजन जिस गैर सरकारी विद्यालय परिसर में होगा उसका विवरण देना होगा।
7. वीआईपी सहभागिता के अधीन होने वाले करार (MOU) में एक शैक्षिक सत्र में अध्ययन कराये जाने वाले अधिकतम अध्ययनरत विद्यार्थियों का अंकन करना अनिवार्य होगा।
8. सहभागिता के लिए होने वाले एमओयू में एक शैक्षिक सत्र के मध्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
9. Virtual schools के सम्बन्ध में प्राप्त होने वाले आवेदन कक्षा 9-10, 11-12 व कक्षा 9 से 12 की मान्यता स्वीकृति हेतु निर्धारित किये जायेंगे।

क्र.स.	मान्यता का प्रकार (एक अथवा दोनों माध्यम)
1	9-10
2	11-12
3	9-12

14

10. इसके अलावा वर्चुअल स्कूल की मान्यता लेने वाली संस्था के पास well developed online facility होना अनिवार्य होगा। (परिशिष्ट 16)
11. Virtual school की मान्यता प्राप्त करते ही संस्था को बोर्ड से Affiliation प्राप्त करने हेतु आवेदन करना होगा एवं साथ ही बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं परीक्षा कार्यक्रम के अनुसार अध्ययन कार्यक्रम एवं परीक्षाओं का आयोजन करना होगा। विभाग एवं बोर्ड द्वारा जारी कार्यक्रम के अनुसार ही संस्था को परीक्षाओं एवं अन्य शैक्षणिक गतिविधियों का आयोजन करना होगा। प्रत्येक शैक्षिक सत्र पर निर्धारित किये गये टाइम-फ्रेम के अनुसार स्थानीय/जिला समान परीक्षाएं आयोजित करने की व्यवस्था Ed-tech संस्था से सहभागिता (MOU) करने वाले मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के विद्यालय परिसर में ही करनी होगी।
12. माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के अलावा CBSE/CISCE/CAIE से संबद्धता प्राप्त करने से पूर्व सम्बन्धित वर्चुअल विद्यालय को विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
13. प्रायोगिक परीक्षा को आयोजित करने की सम्पूर्ण व्यवस्था virtual school की मान्यता प्राप्त करने वाली Ed-tech संस्था द्वारा अपने स्तर पर ही सहभागी मान्यता प्राप्त विद्यालय में करनी होगी।
14. शैक्षिक तकनीकी संस्था द्वारा स्वयं की प्रत्येक विषय एवं प्रत्येक कक्षा हेतु तैयार की गई अध्ययन सामग्री (With QR Coded) वर्चुअल स्कूल की मान्यता के आवेदन के समय प्रस्तुत करनी होगी।
15. कक्षा 10 एवं कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं, बोर्ड के नियम एवं दिशा-निर्देशों के अनुसार ली जावेगी।
16. वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के पश्चात Ed-tech संस्था के अधीन वर्चुअल स्कूल संचालित किया जाएगा। उक्त संचालित वर्चुअल स्कूल का सम्पूर्ण प्रबन्धन संबंधित Ed-tech संस्था का रहेगा।
- 17- Virtual School में कक्षावार प्रत्येक कालांश में अधिकतम 45 विद्यार्थियों को ही शिक्षक द्वारा ऑनलाईन अध्ययन करवाया जाये, इस हेतु ऑनलाईन लिंक केवल 45 विद्यार्थियों के साथ ही Share किया जाये। निर्धारित विद्यार्थियों को संबंधित विद्यालय द्वारा अध्यापन कार्य Live online classes द्वारा होना चाहिए, आवश्यकता के अनुसार Recorded live classes द्वारा रिवीजन करवाया जा सकता है।
18. Virtual School की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास आवेदित कक्षा स्तर की मान्यता के अनुसार न्यूनतम virtual स्टूडियो होना आवश्यक है।

Sr. No.	Class Level	Minimum Virtual Studio
1	9-10	2
2	11-12	2
3	9-12	4

19. Virtual School में विद्यार्थियों के प्रति दिवस अध्ययन का समय 6 घंटे एवं कालांश 08 तथा शिक्षकों के अध्यापन का समय साप्ताहिक 45 घंटे अर्थात् सामान्य विद्यालय के लिए निर्धारित साप्ताहिक कालांश (शिक्षकों एवं विद्यार्थियों दोनों के लिए) के अनुसार तय होगा।
20. Virtual School की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्था के पास कक्षा स्तर के अनुसार Virtual स्टूडियो होना आवश्यक है।
21. Virtual School की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जावे।

(4)

कक्षा स्तर	वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु	
	एक माध्यम	दोनों माध्यम
9-10	1,00,000	1,50,000
11-12	1,20,000	1,75,000
9-12	1,50,000	2,25,000

22. वर्चुअल स्कूल द्वारा विद्यालय संचालन हेतु राजस्थान गैर सरकारी संस्था अधिनियम 1989, नियम 1993 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनियमन) अधिनियम 2016 विभाग द्वारा गैर सरकारी विद्यालयों के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी किये गये निर्देशों/परिपत्रों/आदेशों की पालना की जावेगी।
23. शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं को वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने के लिए निम्न योग्यता/शर्त को पूर्ण करना आवश्यक होगा :-
- 23.1 संबंधित तकनीकी संस्था का राज्य स्तरीय कार्यकारी कार्यालय होना आवश्यक होगा जिसके द्वारा राज्य में वर्चुअल विद्यालय का संचालन किया जाएगा। विद्यालय से संबंधित समस्त दस्तावेज का संधारण एवं पत्र व्यवहार उक्त कार्यालय के माध्यम से ही किया जाएगा।
- 23.2 वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने वाली प्रत्येक शैक्षिक तकनीकी संस्था को राजस्थान सोसायटी अधिनियम 1958 के अधीन पंजीकृत होना आवश्यक होगा।
- 23.3 शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं द्वारा विगत तीन शैक्षिक सत्रों में कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों को अध्ययन करवाने के लिए विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार अनुभव होना आवश्यक होगा।
- 23.4 शैक्षिक तकनीकी संस्था द्वारा वर्चुअल विद्यालय के संचालन हेतु न्यूनतम 15 सदस्य प्रबंध समिति का गठन करना होगा। गठित प्रबंध समिति द्वारा ही वर्चुअल स्कूल की समस्त शैक्षिक व गैर शैक्षिक गतिविधियों को संचालन किया जाएगा।

सत्यमेव जयते

(५)

परिशिष्ट XVI

Virtual School की मान्यता देने संबंधी न्यूनतम भौतिक मानदण्ड एवं शर्तें

- | क्र.सं. | मानदण्ड एवं शर्तें |
|---------|--|
| A | संस्था के पास कक्षा स्तर के अनुसार Well Developed Hi-tech Digital Classroom Studio होना अनिवार्य है। |
| B | विद्यार्थियों के अध्ययन हेतु E-library की व्यवस्था हो जिसमें पाठ्यक्रम सामग्री के अलावा अन्य शिक्षोपयोगी सामग्री का समावेश हो। |
| C | Online अध्ययन कराने वाले शिक्षकों के लिए अपने विषय के साथ-साथ कम्प्यूटर का बेसिक नॉलेज आवश्यक होगा। |
| D | ऑनलाईन अध्ययन हेतु High Quality एवं Frequency की Network सुविधा विद्यालय में उपलब्ध होनी चाहिए। |
| E | संस्था के पास स्वयं की Well Developed Website/ Mobile App होना अनिवार्य होगा। जिसके माध्यम से विद्यालय, प्रत्येक विद्यार्थी के डाटाबेस एवं स्टडी प्रोग्रेस रिपोर्ट रखेगा। प्रत्येक विद्यार्थी को लॉगईन आइडी दिया जायेगा जिसके माध्यम से रूटीन टेस्ट एवं हॉमवर्क चेक किया जावे। |
| F | उक्त बिन्दुओं के साथ-साथ संस्था को विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय से भौतिक मापदण्ड साझा करने हेतु सहभागिता करनी अनिवार्य होगी। |



वर्चुअल स्कूल की मान्यता के लिए आवश्यक MOU हेतु शैक्षिक सत्र 2023-24 संबंधी दिशा-निर्देश

1. शैक्षिक तकनीकी संस्थाओं द्वारा वर्चुअल स्कूल प्रारंभ करने हेतु राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्थान अधिनियम 1989 नियम 1993 में वर्णित भौतिक मापदंड जैसे खेल मैदान, भूमि का माप, कक्षा-कक्ष, प्रयोगशाला आदि के लिए शिक्षा विभाग राजस्थान से उच्च माध्यमिक स्तर/माध्यमिक स्तर की मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय से सहभागिता (COLLABORATION) करना अनिवार्य होगा।
2. यह सहभागिता "वर्चुअल इंटीग्रेशन पार्टनर (VIP)" कहलाएगी जिसके अंतर्गत वर्चुअल स्कूल के मान्यता के लिए आवेदन करनी वाली शैक्षिक तकनीकी संस्था (Ed-TECH Companies/सोसाईटी) को आवेदन से पूर्व मान्यता प्राप्त गैर सरकारी संस्था से सहभागिता हेतु एमओयू करना आवश्यक होगा। उदाहरणतः यदि उक्त एज्युकेशन संस्था शैक्षिक सत्र 2023-24 में मान्यता हेतु आवेदन करना चाहती है तो उसे आवेदन की अंतिम तारीख से पूर्व यह सहभागिता करनी होगी।
3. वर्चुअल स्कूल की मान्यता वीआईपी सहभागिता की समयावधि तक मान्य होगी। जिसे न्यूनतम 4 वर्ष की अवधि हेतु करना अनिवार्य होगा।
4. प्रत्येक शैक्षिक तकनीकी संस्था एक समय में एक से अधिक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय के साथ वीआईपी सहभागिता कर सकेगी यदि निर्धारित समय अवधि से पूर्व किसी भी गैर सरकारी विद्यालय से किया हुआ एमओयू समाप्त होता है तो इसकी सूचना विभाग को तत्काल प्रेषित करनी होगी।
5. Ed-Tech संस्था करार के समय यह सुनिश्चित कर लेवे कि एमओयू में वर्णित छात्र संख्या के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालय के पास आवश्यक संसाधन उपलब्ध है।
6. वीआईपी सहभागिता के अधीन होने वाले करार (MOU) में एक शैक्षिक सत्र में वर्चुअल विद्यालय द्वारा अध्ययन कराये जाने वाले अधिकतम विद्यार्थियों का अंकन करना अनिवार्य होगा।
7. सहभागिता के लिए होने वाले एमओयू में एक शैक्षिक सत्र के मध्य में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।
8. "वर्चुअल स्कूल की मान्यता के लिये किये गये MOU संबंधी भविष्य में किसी भी प्रकार का न्यायिक/अन्य वाद दायर होने पर शिक्षा विभाग के किसी भी स्तर के कार्यालय/व्यक्ति को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जायेगा" रजिस्टर्ड MOU में उक्त पंक्ति का उल्लेख किया जाना आवश्यक है।
9. VIP सहभागिता के अधीन हुआ MOU संबंधित पंजीयन कार्यालय में रजिस्टर्ड होना (न्यूनतम 500 रुपये के स्टाम्प पर) अनिवार्य होगा, नोटेरी द्वारा प्रमाणित MOU मान्य नहीं होगा।
10. रजिस्टर्ड MOU न्यूनतम तीन प्रतियों में बनाया जाये जिसकी एक प्रति वर्चुअल स्कूल, दूसरी प्रति MOU करने वाले गैर सरकारी विद्यालय तथा तीसरी प्रति संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में संधारित की जाएगी।
11. यदि किसी कारणवश ED-Tech संस्था द्वारा किये सभी MOU समाप्त/निरस्त हो जाते हैं तो उक्त संस्था की वर्चुअल स्कूल की मान्यता स्वतः ही समाप्त हो जायेगी अतः स्पष्ट है कि वर्चुअल स्कूल की मान्यता हेतु न्यूनतम एक गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से करार रखना आवश्यक होगा।
12. वर्चुअल स्कूल की मान्यता की समाप्ति के पश्चात ED-Tech संस्था पुनः किसी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से MOU कर वर्चुअल मान्यता हेतु आगामी शैक्षिक सत्र में नवीन आवेदन के लिए स्वतंत्र होगी।



अध्याय-2 : आवेदन एवं पात्रता

1. आवेदन करना — राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं नियम, 1993 के प्रावधानानुसार गैर-सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को किसी भी प्रकार की मान्यता (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त, माध्यम, अतिरिक्त विषय, दो पारी विद्यालय संचालन, वर्चुअल विद्यालय मान्यता इत्यादि) के लिए ऑनलाइन ही आवेदन करना होगा। आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा।
2. नवीन मान्यता, क्रमोन्नति आदि हेतु पात्रता — कोई भी गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था प्राथमिक (कक्षा 1-5 तक) अथवा उच्च प्राथमिक (कक्षा 1-8 तक) स्तर की नवीन मान्यता हेतु आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट-1 नवीन मान्यता हेतु आवेदन का प्रारूप), प्राथमिक से उच्च प्राथमिक, उच्च प्राथमिक से माध्यमिक एवं माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति हेतु आवेदन कर सकती है तथा माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, नाम परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त संकाय, अतिरिक्त विषय, दो पारी विद्यालय संचालन इत्यादि के लिए आवेदन कर सकती है (परिशिष्ट-2 क्रमोन्नति एवं स्थान, नाम इत्यादि के परिवर्तन हेतु आवेदन का प्रारूप)।

उक्त समस्त प्रकार के आवेदनों के लिए पात्रता की न्यूनतम शर्तें निम्नानुसार हैं :-

- 2.1. आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाएँ :- विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधायें संलग्न परिशिष्ट-3 के अनुसार होंगी।
- 2.2. शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द :- विभिन्न प्रकार की मान्यताओं हेतु शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द संलग्न परिशिष्ट-4 के अनुसार होंगे।
- 2.3. सोसाइटी/ट्रस्ट की पंजीकरण :- संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट का पंजीकरण अनिवार्य है। पंजीकरण के प्रमाण पत्र को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- 2.4. सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य :- संस्था की मान्यता के लिए आवेदन करने वाली सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों में शैक्षिक संस्था खोलने का उद्देश्य होना आवश्यक है। सोसाइटी/ट्रस्ट के उद्देश्यों को स्कैन करके अपलोड करना होगा।
- 2.5. शुल्क :- मान्यता हेतु लिए जाने वाले समस्त प्रकार के शुल्कों का विवरण परिशिष्ट-5 पर संलग्न है। समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ऑनलाइन ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे तथा प्रकरण का अनुमोदन/अभिशांषा हाँ होने की स्थिति में आरक्षित कोष की राशि का डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम से देय होगा।

आवेदन शुल्क की राशि आवेदन पत्र के साथ ही अदा की जानी होगी, जो अदेय होगी तथा आरक्षित कोष की राशि का डी.डी तथा फिक्सड डिपोजिट की राशि का विवरण आवेदन पत्र की जाँच एवं भौतिक सत्यापन के पश्चात संस्था के आवेदन को स्वीकृति योग्य पाए जाने पर निदेशालय द्वारा विद्यालय के लॉगिन में प्रकरण के अनुमोदन का मैसेज प्रदर्शित होने पर संबंधित संस्था को इसके लिए सम्बन्धित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में अविलम्ब जमा करवाया जाना होगा। आवेदन के संबंध में समस्त प्रकार के शुल्क प्राप्त होने पर ही आदेश जारी किये जायेंगे।

- 2.6. शपथ पत्र :- सोसाइटी द्वारा विद्यालय से सम्बंधित प्रदत्त प्रमुख सूचनाओं को 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी द्वारा प्रमाणित करवाकर शपथ पत्र के रूप में प्रस्तुत करना होगा, जिसका प्रारूप परिशिष्ट-6 पर संलग्न है।
- 2.7. भूरूपान्तरण के संबंध में उल्लेखनीय :- ग्रामीण क्षेत्र में गैर-सरकारी विद्यालयों को भूमि रूपान्तरण के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी आदेश क्रमांक प.9(1)शिक्षा-5/भूमि रूपान्तरण/2016 जयपुर दिनांक 04.01.2017 द्वारा विहित प्रावधान (संलग्न परिशिष्ट-4)
- 2.8. माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदन करने वाले विद्यालयों के लिए ग्रामीण क्षेत्र में लागू भूमि की माप सम्बन्धी अनिवार्यता:- गैर सरकारी विद्यालयों को ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि की माप के संबंध में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.9(6)शिक्षा-5/आनलाइन मान्यता/2020-21 जयपुर दिनांक 23.07.2020 के तहत:-

- (i) ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि के माप की अनिवार्यता 4000 वर्गमीटर निर्धारित की गई है।
- (ii) शहरी क्षेत्र हेतु भूमि की माप 1000 वर्गमीटर निर्धारित है।
- (iii) शासन का पत्रांक प.9(2)शिक्षा-5/2005 जयपुर दिनांक 27.5.2015 द्वारा जनजाति उपयोजना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र की गैर सरकारी शैक्षिक संस्थाओं को भवन एवं खेल मैदान के लिए शहरी क्षेत्र के समान ही 1000 वर्गमीटर गैर रूपान्तरित भूमि का प्रावधान किया गया है।

राजस्थान गैर सरकारी शैक्षिक संस्था नियम 1993 के परिशिष्ट-2 तथा (संशोधित) नियम 2011 के अनुसार कक्षा-कक्षों एवं अन्य मापदण्ड पूर्ण किये जाने की सुनिश्चितता विद्यालय के द्वारा की जायेगी।

- 2.9 (i) वर्तमान तक जारी मान्यता/क्रमोन्नति/अति.विषय, अति.संकाय, अति.माध्यम, स्थान परिवर्तन, वर्ग परिवर्तन, माध्यम परिवर्तन, नाम परिवर्तन आदि के संबंध में विद्यालयों द्वारा यदि किसी प्रकार का आवेदन किया जाता है तो उसे भूमि के माप, कक्षा-कक्ष की संख्या एवं माप, रजिस्टर्ड किरायानामा, भूरूपान्तरण, खेल-मैदान आदि के नवीनतम एवं निर्धारित मानदण्ड पूर्ण करने अनिवार्य होंगे।
- 2.9 (ii) किसी भी प्रकार के आवेदन/परिवर्तन के लिए सचिव द्वारा हस्ताक्षरित औचित्य सहित प्रबंध कार्यकारिणी का प्रस्ताव आवश्यक होगा।
- 2.10 विद्यालय हेतु भूमि एवं भवन (खेल मैदान सहित) किराये का होने पर संस्था द्वारा रजिस्टर्ड किरायानामा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- 2.11 विद्यालय के स्थान परिवर्तन किये जाने पर आरटीई के तहत प्रवेशित विद्यार्थियों के लिए विद्यालय को स्वयं के स्तर पर विद्यार्थियों के लिये नये विद्यालय भवन तक आवागमन की निःशुल्क व्यवस्था करनी होगी।
- 2.12 दो पारी में संचालन चाहने वाले विद्यालयों को एवं वर्तमान में बिना विभागीय अनुमति के दो पारी में संचालित शिक्षण संस्थाओं को ऑनलाईन आवेदन कर सक्षम स्तर से जारी विभागीय स्वीकृति ली जानी अनिवार्य होगी।
- 2.13 वर्चुअल विद्यालय की मान्यता हेतु संबंधी संस्था को परिशिष्ट 16 में निहित मापदण्डों को पूर्ण करना अनिवार्य होगा।



सत्यमेव जयते

3. आवेदन की प्रक्रिया –

- 3.1. विद्यालय का पंजीयन एवं पासवर्ड प्राप्त करना – सभी प्रकार के आवेदन हेतु आवेदन राजस्थान सरकार के स्कूल शिक्षा विभाग के प्राइवेट स्कूल पोर्टल (www.rajpsp.nic.in) पर करना होगा। नवीन मान्यता एवं वर्चुअल विद्यालय की मान्यता हेतु आवेदन करने वाली गैर सरकारी संस्थाओं को सर्वप्रथम गैर सरकारी विद्यालय को पोर्टल पर पंजीयन करना होगा जिसके लिए आवश्यक सूचनाएँ प्रविष्ट करने के बाद मोबाइल पर पीएसपी कोड एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। पंजीयन के बाद विद्यालय स्वयं का पासवर्ड बदल सकेंगे जो भविष्य में लॉगिन करने हेतु आवश्यक होगा। जिन विद्यालयों का पूर्व में मान्यता पोर्टल पर पंजीयन कर पीएसपी कोड प्राप्त कर लिये गये हैं, उन विद्यालयों को उसी पीएसपी कोड से आवेदन करना अनिवार्य होगा। इन विद्यालयों को नवीन पंजीयन नहीं करना है।
- 3.2. विद्यालय सम्बन्धी सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि – लॉगिन करने के बाद विद्यालय द्वारा आवेदन पत्र में वांछित सूचनाएं यथा- आधारभूत संरचना, आवश्यक सुविधाएँ एवं कर्मचारियों सम्बन्धी सभी आवश्यक सूचनाओं की ऑनलाइन प्रविष्टि करेंगे। इस कार्य में सुविधा के लिए विद्यालय, पोर्टल पर उपलब्ध आवेदन के प्रारूप पहले से ही भर कर तैयार रखें। समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि की स्थिति में ही इन्हें लॉक करें। ऑनलाइन आवेदन किये जाने के उपरांत प्रविष्टि सूचनाओं में यदि संशोधन आवश्यक है तो निरीक्षण से पूर्व निर्धारित शुल्क ऑनलाइन अदा कर वांछित संशोधन निर्धारित समयावधि में किए जा सकेंगे। संस्था द्वारा ऑनलाइन आवेदन किया जाकर मय दस्तावेज एवं आवेदन पत्र पत्रावली तैयार कर निरीक्षण दल को वक्त निरीक्षण उपलब्ध करवाया जाना होगा। विभाग द्वारा आक्षेप लगाए जाने पर निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति संबंधित विद्यालय द्वारा किया जाना अनिवार्य होगा।
- 3.3. विद्यालय सम्बन्धी दस्तावेजों को अपलोड करना – (i) मान्यता के सम्बन्ध में आवश्यक समस्त दस्तावेजों को ऑनलाइन अपलोड करना है। (अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-7)। जिन दस्तावेजों को अपलोड किया जाना है, उनको पहले से ही कम्प्यूटर स्कैन कर पैन ड्राइव में तैयार रखें। अपलोड किए जाने वाले समस्त दस्तावेजों का पूर्ण पठनीय होना आवश्यक है। दस्तावेज PDF/JPEG फॉर्मेट में होना तथा प्रत्येक दस्तावेज एक (1mb) से कम साइज का होना आवश्यक है। PDF फाईल जो अपलोड की जानी है वह Computer Based Scanner से Scan करवाकर ही अपलोड की जावे किसी मोबाईल एप से नहीं।
- (ii) मान्यता/कमोन्नति आदि के आवेदन के संबंध में विद्यालय का वर्तमान पता एवं स्थान परिवर्तन के प्रकरणों में वांछित स्थान के पते के अंकन में पते में भूमि का प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर तथा आसा-पासा /ब्लाक/जिला /टीएसपी/नॉनटीएसपी का अंकन किया जाना अनिवार्य होगा।/ब्लाक/जिला /टीएसपी/नॉनटीएसपी संस्था द्वारा संलग्न ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम, भूमि का प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा-पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।
- (iii) भूमि संस्था की स्वयं की होने/किराये की होने/अलोटमेंट होने/उपहार विलेख होने पर संबंधित भूमि के स्वामित्व के दस्तावेज जिसमें भूमि की माप(वर्गमीटर में) तथा प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर /आसा पासा का स्पष्ट अंकन होना अनिवार्य है। किराये की भूमि होने पर किराएदाता के भू-स्वामित्व के दस्तावेज रजिस्टर्ड किरायेनामे के साथ प्रस्तुत करना अनिवार्य है।
- (iv) शासन के पत्र दिनांक 12.01.2021 द्वारा संस्थाओं को किसी भी प्रकार के आवेदन हेतु शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भूरूपान्तरण आवश्यक होगा।

- 3.4 आवेदन हेतु आवश्यक शुल्क को जमा करवाना – विभिन्न प्रकार के आवेदनों के लिए शुल्क की राशि भी अलग-अलग है, अतः इस राशि की ठीक से गणना कर लें तथा उसके अनुसार ही समस्त प्रकार के आवेदन शुल्क ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराने होंगे। मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आवेदन शुल्क की राशि ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन जमा होगी एवं आरक्षित कोष की राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट अलग से जमा होगी।
- 3.5 आवेदन की हार्ड कॉपी तैयार करना – समस्त सूचनाओं की पूर्ण एवं सही प्रविष्टि एवं स्वयं के संतुष्ट होने के बाद ई-ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवाने के उपरान्त ही आवेदन को लॉक करें तथा इसका प्रिंटआउट ले लें। आवेदन के प्रिंटआउट पर विद्यालय संचालन समिति के सचिव के हस्ताक्षर एवं मोहर लगावें। आवेदन के साथ आवश्यक समस्त दस्तावेज (संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों की सूची परिशिष्ट-8) संलग्न करें तथा विद्यालय के 5 रंगीन फोटो जो अपलोड किये गये हैं, भी लगावें। पूर्ण आवेदन पत्र तैयार कर विद्यालय में सुरक्षित रखें। उक्त हार्ड कॉपी मय संलग्न पत्रावली निरीक्षण हेतु उपस्थित होने वाले जाँच दल के प्रभारी को विद्यालय निरीक्षण के समय संस्था द्वारा उपलब्ध करवाया जाना सुनिश्चित करें। समस्त पृष्ठों पर क्रम संख्या का अंकन करें।
- 3.6 प्राथमिक या उच्च प्राथमिक स्तर की नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/नाम/स्थान/वर्ग/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम आदि के आवेदन जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) प्रारम्भिक शिक्षा को प्रेषित किये जाएंगे।
- 3.7 जो विद्यालय पहले से ही मान्यता प्राप्त हैं वे विद्यालय किसी भी स्तर के नाम/स्थान/वर्ग परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति/वर्धुअल विद्यालय मान्यता हेतु अपने आवेदन संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक को ऑनलाइन प्रेषित करेंगे।
- 3.8 जिशिअ कार्यालय द्वारा पत्रावली जाँच में कमी/त्रुटि पाए जाने पर ऑनलाइन आक्षेप लगाए जाने की स्थिति में संस्था द्वारा आक्षेप की पूर्ति ऑनलाइन वांछित दस्तावेज अपलोड कर संस्था सचिव द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों का प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा कराने होंगे। निर्धारित अवधि में ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति नहीं किये जाने पर आवेदन ऑटो लॉक हो जाएगा। निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति किए जाने में संस्था विफल रहती है तो समस्त जिम्मेदारी संस्था की होगी तथा ऑफलाइन किसी प्रकार के दस्तावेज स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- 3.9 आक्षेप पूर्ति के लिये अनलॉक किये गये आवेदन एवं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की हार्डकॉपी को ऑनलाइन अपलोड की अंतिम तिथि के बाद 02 दिवस के भीतर संस्था को अनिवार्य रूप से जमा करवाना होगा।
- 3.10 विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को सुपुर्द की जाने वाली पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों की संख्या जैसे- पत्रावली में 45 दस्तावेज प्रस्तुत किए हों तो पृष्ठ संख्या 1/45, 2/45, 3/45..... 44/45, 45/45 अंकित कर निरीक्षण दल को पत्रावली सुपुर्द करेंगे।



अध्याय-4 : आवेदन पत्रों की जाँच

4. आवेदन पत्रों को कार्यालय में प्राप्त कर ऑन लाइन अपलोडेड दस्तावेजों से मिलान कर जाँच करना—
 - 4.1 संस्था द्वारा किये गये ऑनलाइन आवेदन एवं उसकी पत्रावली को कार्यालय में प्राप्त कर पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा निरीक्षण प्रपत्र के साथ ऑनलाइन आवेदन पत्र की प्रविष्टियों एवं आवेदन में वर्णित एवं संलग्न किये गये दस्तावेजों का ठीक से मिलान कर लें। यदि कोई अंतर पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में आक्षेप पूर्ति हेतु संबंधित विद्यालय को ऑनलाईन अवसर दिया जाए।
 - 4.2 आवेदन पत्रावली की जाँच का कार्य ऑनलाइन अपलोडेड दस्तावेजों से मिलान कर किया जाना है। यह जाँच संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी के लॉगइन में उपलब्ध विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन पत्रावली के माध्यम से की जायेगी। विभागीय मानदण्डानुसार जाँच कार्यवाही पूर्ण की जानी है।
 - 4.3 सर्वप्रथम विद्यालय द्वारा भुगतान की गई आवेदन शुल्क की राशि का मिलान निर्धारित शुल्क से करना है। निर्धारित शुल्क से अंतर पाए जाने पर निदेशालय को अवगत करवाया जाए। शुल्क की जितनी राशि आवेदन पत्र में अंकित है, उतनी राशि ई-ग्रास के माध्यम से विद्यालय द्वारा जमा करवा दी गई है की सुनिश्चितता अनिवार्य रूप से की जाए। एक से अधिक आवेदन होने की स्थिति में यह सुनिश्चित कर लें कि आवेदन के संबंध में पत्र में सभी प्रकार के निर्धारित शुल्क ई-ग्रास के माध्यम से जमा करवा दिये गए हैं।
 - 4.4 विद्यालय टीएसपी, अथवा नॉन टीएसपी, एरिया में है, इसकी भी जाँच कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि मान्यता शुल्क की राशि इस विवरण के अनुसार सही है।
 - 4.5 मान्यता आवेदन शुल्क की राशि के ई-ग्रास संबंधित अपूर्ण प्रविष्टियों अथवा सही राशि का ई-ग्रास में जमा शुल्क राशि से मिलान नहीं होने अथवा किसी दस्तावेज के अपलोड न होने अथवा पत्रावली में अपूर्ण होने की स्थिति में उसके सामने सही नहीं पाया गया का विकल्प चयन करें। इस विकल्प का चयन करते ही इस विद्यालय के ऑनलाइन आवेदन में मान्यता आवेदन शुल्क विवरण एवं दस्तावेजों के अपलोड करने संबंधी क्षेत्र आक्षेप पूर्ति हेतु अनलॉक हो जाएंगे तथा इसकी सूचना विद्यालय सत्यमेव जयते लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी।
 - 4.6 विद्यालय की सूचना अनलॉक होने के बाद आगामी पांच कार्यालय दिवसों में विद्यालय को अपनी ऑनलाइन आक्षेप पूर्ति पूर्ण कर आवेदन को ऑनलाईन पुनः लॉक करना है। जिसकी सूचना सम्बंधित जिशिअ के लॉगइन में प्रदर्शित हो जाएगी। संस्था द्वारा आक्षेप की पूर्ति ऑनलाईन वांछित दस्तावेज अपलोड कर संस्था सचिव द्वारा प्रमाणित दस्तावेजों प्रिंट आउट एवं अन्य आवश्यक दस्तावेज संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित अवधि में जमा कराने होंगे जिससे विद्यालय की पत्रावली पूर्ण हो सके। निर्धारित अवधि में संस्था द्वारा आवेदन लॉक एवं पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा नहीं करवाये जाने की स्थिति में विद्यालय का आवेदन स्वतः ही निरस्त माना जाएगा, जिसके लिए आवेदक विद्यालय स्वयं उत्तरदायी रहेगा।
 - 4.7 आक्षेप पूर्ति के लिये अनलॉक किये गये आवेदन एवं अपलोड किये जाने वाले दस्तावेजों की हार्डकॉपी को ऑनलाइन अपलोड की अंतिम तिथि के बाद 02 दिवस के भीतर स्वीकार किए जाएंगे। एक बार आक्षेप लगने के बाद निर्धारित अवधि में आक्षेप पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवेदन की संवीक्षा कर अपनी स्पष्ट अभिशंसा सहित निदेशालय को 05 दिवस के भीतर अग्रेषित की जाएगी।
 - 4.8 जिन विद्यालयों की मान्यता शुल्क एवं अपलोड किये गए दस्तावेजों की प्रविष्टियाँ सही पायी जाती हैं, उन विद्यालयों के लिये आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों एवं आवेदन पत्र की अन्य प्रविष्टियों की ऑनलाइन जाँच की जा सकेगी।

- 4.9 आवेदन पत्र के साथ संलग्न किये गये दस्तावेजों में किसी दस्तावेज के संलग्न नहीं होने या अपूर्ण पाये जाने पर आक्षेप की सूचना विद्यालय को पोर्टल पर विद्यालय लॉगइन में प्रदर्शित होगी। विद्यालय भौतिक निरीक्षण के समय ऑनलाईन आवेदन की हार्ड कॉपी एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की 02 प्रतियों में पत्रावली तैयार कर एक पत्रावली निरीक्षण दल को उपलब्ध करवानी होगी तथा एक पत्रावली विद्यालय द्वारा स्वयं के रिकॉर्ड संधारण हेतु सुरक्षित रखी जाएगी, विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को उपलब्ध करवायी जाने वाली पत्रावली को मय निरीक्षण रिपोर्ट (हार्डकॉपी) दल प्रभारी द्वारा 02 दिवस की अवधि में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवानी होगी।
- 4.10 गैर सरकारी विद्यालयों के आवेदन प्रक्रिया में सम्पूर्ण पारदर्शिता एवं आवेदक विद्यालय को सूचना हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाएगी :- निरीक्षण दल गठन की सूचना, आक्षेपित प्रकरणों की सूचना, निदेशालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन/निरस्त जारी करना, जिशिअ के द्वारा मान्यता प्रमाण पत्र 07 दिवस में जारी करने की सूचना विद्यालय के लॉगइन में प्रदर्शित होगी तथा मान्यता के लिये अपात्र पायी गयी संस्थाओं को जिशिअ द्वारा 07 दिवस की अवधि के भीतर जरिये रजिस्टर्ड निरस्त आदेश संबन्धित संस्था को रजिस्टर्ड डाक से प्रेषित किया जाएगा।
- 4.11 निरीक्षण दल का गठन ऑनलाईन ऑटो जेनरेटेड किया जाएगा। निरीक्षण दल के सभी सदस्यों को इस बाबत पोर्टल के माध्यम से मैसेज भेजा जाएगा। निरीक्षण का कार्य समयबद्ध कार्यक्रम है, अतः इस हेतु जिशिअ कार्यालय द्वारा निरीक्षण की मॉनिटरिंग किए जाने हेतु निरीक्षण दल के गठन के दिवस ही सभी सदस्यों से दूरभाष द्वारा निर्देशित करें एवं पदोन्नति पर अन्यत्र पदस्थापन/स्थानान्तरण/संवनिवृत्त/लम्बे अवकाश पर/दृष्टि बाधित/दोहरी विकलांगता/80 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने, आदि की परिस्थिति होने पर संस्था प्रधान से जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट होने की स्थिति में मय साक्ष्य आवेदन पत्र दल परिवर्तन हेतु निदेशालय को अवगत करावें। समयबद्ध अवधि में निरीक्षण करवाये जाने का समस्त उत्तरदायित्व जिशिअ कार्यालय का होगा।



सत्यमेव जयते

अध्याय-5 निरीक्षण दल गठन एवं निरीक्षण

5. विद्यालयों के निरीक्षण हेतु दलों का ऑनलाइन गठन:-
- 5.1 विद्यालय द्वारा ऑनलाईन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण कर लेने के पश्चात् ई-ग्रास के मार्फत निर्धारित शुल्क जमा करवा देने के उपरांत संस्था द्वारा आवेदन पत्र में दी गई समस्त सूचनाओं का भौतिक सत्यापन विभाग द्वारा ऑनलाईन गठित दल द्वारा किया जाएगा जिसकी सूचना भौतिक सत्यापन से पूर्व विद्यालय के लॉगईन में प्रदर्शित होगी। निर्धारित अवधि में निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय का निरीक्षण किया जाएगा। निर्धारित अवधि में निरीक्षण करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण दल का होगा। निरीक्षण दल यह स्पष्ट लिखेगा कि विद्यालय भवन/खेल मैदान ब्लू प्रिंट अनुसार है अथवा नहीं। कमरों का माप एवं संख्या ब्ल्यू प्रिंट के अनुसार ही होने चाहिए। निरीक्षण दल की रिपोर्ट किसी कारण वश अपलोड नहीं होने की स्थिति होने पर निरीक्षण दल प्रभारी मय कारण तत्काल संबंधित जिशिअ की मेल आईडी पर एवं सुविधानुसार कार्यालय में पत्र सहित हार्डकॉपी जमा करवाये। ताकि समय रहते जिशिअ द्वारा आवश्यक कार्यवाही की जा सकें। निरीक्षण दल द्वारा टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने वाले संबंधित अधिकारी/कार्मिक का उत्तरदायित्व निर्धारित कर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।
- 5.2 निरीक्षण दल के प्रभारी एवं सदस्यों को एस.एम.एस के द्वारा विद्यालय निरीक्षण हेतु दल गठन की सूचना स्वतः ही उपलब्ध होगी। निरीक्षण दल के प्रभारी को शालादर्पण के स्टाफ लॉगइन में जाकर निरीक्षण हेतु आदेश एवं मॉड्यूल में उपलब्ध निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति को डाउनलोड कर गठित दल के 02 अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर विद्यालय में उपस्थित होकर भौतिक सत्यापन करने के उपरान्त निरीक्षण प्रतिवेदन के बिन्दुओं की पूर्ति उपरांत दल प्रभारी द्वारा शाला दर्पण के स्टाफ लॉगइन कर निरीक्षण प्रतिवेदन को अनुशंसा सहित अपलोड (07 दिवस) करना है। सम्बंधित विद्यालय से आवेदन प्रपत्र, शुल्क की चालान की प्रति एवं समस्त वांछित दस्तावेजों की भौतिक प्रति प्राप्त कर आगामी 02 दिवस में सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में जमा करवाया जाना सुनिश्चित करना है।
- 5.3 निरीक्षण दल के प्रभारी को गठित दल के अन्य 02 कार्मिकों को उचित कारण यथा- पदोन्नति पर अन्यत्र पदस्थापन/स्थानान्तरण/सेवानिवृत्त/लम्बे अवकाश पर/दृष्टिबाधित/दोहरी विकलांगता/80 प्रतिशत से अधिक विकलांग होने पर आदि की परिस्थिति होने पर संस्था प्रधान से जानकारी प्राप्त कर संतुष्ट होने की स्थिति में मय साक्ष्य आवेदन पत्र दल परिवर्तन हेतु प्राप्त कर ही दल में परिवर्तन दल प्रभारी द्वारा किया जाना है। दल परिवर्तन की स्थिति में दल प्रभारी द्वारा जिशिअ को प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य की प्रति निरीक्षण रिपोर्ट के साथ जमा करवानी है। दल प्रभारी/समस्त दल के कार्मिकों को बदलने हेतु जिशिअ के माध्यम से निदेशालय को प्रार्थना पत्र मय साक्ष्य यथोचित कारण होने पर जिशिअ की अभिशंका के साथ अग्रेषित किया जाना है।
- 5.4 प्राथमिक/उच्च प्राथमिक स्तर हेतु आवेदन के संबन्ध में भौतिक सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 02 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में/अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि./माशि. कार्यालय जिशिअ. मुख्यालय/अतिरिक्त ब्लॉक शिक्षा अधिकारी प्रथम/द्वितीय/प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय/व्याख्याता को लगाया जाएगा तथा दल के सदस्य के रूप में प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय को लगाया जाएगा।
- 5.5 माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदन के संबन्ध में भौतिक सत्यापन हेतु गठित दल में कुल 03 सदस्य होंगे जिनमें से दल के अध्यक्ष के रूप में प्रधानाचार्य उमावि./अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी प्राशि./माशि. कार्यालय जिशिअ.मुख्यालय/समकक्ष अधिकारी एवं दल के प्रथम सदस्य के रूप में व्याख्याता/प्रधानाध्यापक मावि/समकक्ष अधिकारी एवं दल के द्वितीय सदस्य के रूप में एक लेखा संबंधित कार्मिक/मंत्रालयिक कर्मचारी होगा।
- 5.6 एक दल द्वारा अधिकतम दो गैर सरकारी विद्यालयों का सत्यापन किया जाएगा।
- 5.7 विद्यालय द्वारा निरीक्षण दल को सुपुर्द की जाने वाली पत्रावली में संलग्न दस्तावेजों का मय पृष्ठ संख्या अंकन के समस्त दस्तावेजों की प्राप्ति निरीक्षण दल सुनिश्चित कर लें।

अध्याय 6.विद्यालय का निरीक्षण/भौतिक सत्यापन:-

- 6.1 सत्यापन दलों को ऑनलाइन निरीक्षण आदेश के 7 दिवस या निरीक्षण के लिए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अंतिम तिथि, जो भी पहले हो तक अनिवार्य रूप से निरीक्षण करना है। सत्यापन के बाद अगले 02 दिवस में सत्यापन रिपोर्ट मय निरीक्षण पत्रावली संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय कार्यालय में अनिवार्य रूप से जमा करानी होगी।
- 6.2 निरीक्षण दल विद्यालय द्वारा दी गई समस्त सूचनाओं तथा संलग्न दस्तावेजों के आधार पर तथ्यों का सत्यापन किया जाना है तथा सत्यापित तथ्यों एवं निर्धारित मापदण्डों के आधार पर मान्यता के संबंध में स्पष्ट अभिशंका करनी होगी।
- 6.3 सत्यापन दलों से प्राप्त रिपोर्ट को निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा तत्काल पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा एवं हॉर्डकॉपी मय पत्रावली सम्बंधित जिशिअ कार्यालय में 02 दिवस की अवधि में जमा करवाना है।
- 6.4 सत्यापन दल द्वारा सत्यापित/दी गई सूचनाओं के संबंध में कोई विसंगति या भिन्न स्थिति पायी जाती है तो सत्यापन दल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी।

वर्चुअल स्कूल के निरीक्षण हेतु निरीक्षण दल संबंधी सत्र 2023-24 के लिए दिशा-निर्देश :-

01. माध्यमिक स्तर की मान्यता/क्रमोन्नति आदि से संबंधित जो दिशा-निर्देश निरीक्षण दल के लिए निर्धारित किए गए हैं, उन्ही दिशा-निर्देशों के अनुसार ही वर्चुअल विद्यालय की मान्यता हेतु निरीक्षण किया जाएगा।
02. निरीक्षण दल 03 सदस्यीय होगा। जिसके सदस्य निम्नानुसार होंगे-
 (1) निरीक्षण दल प्रभारी-प्राचार्य / समकक्ष
 (2) निरीक्षण दल सदस्य प्रथम-प्राध्यापक
 (3) निरीक्षण दल सदस्य द्वितीय- कनिष्ठ/वरिष्ठ सहायक
03. निरीक्षण दल सदस्य प्रथम के लिए अनिवार्य रूप से शिक्षा विभाग के अधीन संचालित स्वामी विवेकानन्द राजकीय मॉडल स्कूल में कार्यरत आईपी विषय के पीजीटी का ही चयन किया जाए ताकि वर्चुअल विद्यालय का निरीक्षण प्रभावी रूप से किया जा सके।
04. आवेदन लॉक होने 05 दिवस पश्चात ऑटो जनरेट प्रणाली द्वारा निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा जिसे आगामी 07 दिवस के भीतर निरीक्षण संबंधी समस्त कार्यवाही पूर्ण कर संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी(मुख्यालय) को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी।
05. जिस जिले से संबंधित वर्चुअल विद्यालय आवेदन करेगा। उसी जिले के विभाग के अधीन कार्यरत अधिकारी/कार्मिकों में से निरीक्षण दल का गठन किया जाएगा।
06. वर्चुअल विद्यालय की मान्यता के लिए निरीक्षण हेतु गठित दल को निर्धारित समयावधि के भीतर वर्चुअल विद्यालय के राज्य में संचालित कार्यकारी कार्यालय(वर्चुअल विद्यालय) तथा वीआईपी के अन्तर्गत किए MOU संबंधी समस्त गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय का निरीक्षण करवाने की जिम्मेदारी, वर्चुअल विद्यालय के आवेदन करने वाली सोसाईटी के प्रबंधन की होगी।
07. निरीक्षण दल प्रभारी को दल गठन संबंधी सूचना NIC से SMS (संदेश) अथवा जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त होते ही स्वयं की शाला दर्पण आईडी द्वारा निरीक्षण

प्रपत्र डाउनलोड किया जायेगा, डाउनलोड निरीक्षण प्रतिवेदन में अंकित सूचना के अनुसार अन्य सदस्यों से समन्वय स्थापित कर, तय समय सीमा में निरीक्षण करते हुए, निरीक्षण रिपोर्ट शाला दर्पण आईडी पर ऑनलाईन अपलोड करते हुए हार्ड कॉपी संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जमा करवानी होगी।

08. निरीक्षण दल में संशोधन परिवेदना को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय के माध्यम से प्राप्त होने पर निदेशालय स्तर पर, मान्यता/क्रमोन्नति आदि संबंधी निरीक्षण दल संशोधन हेतु वर्णित प्रावधानों के अनुसार ही परीक्षणोपरांत निस्तारित किया जाएगा।

अध्याय-7 मान्यता अनुमोदन तथा मान्यता प्रमाण-पत्र/निरस्त प्रमाण पत्र जारी करना

7. मान्यता का निदेशालय/राज्य सरकार से अनुमोदन प्राप्त करना:- मान्यता हेतु अपात्र संस्थाओं को सूचित करना
- 7.1 निरीक्षण उपरान्त प्राप्त प्रकरण का जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन के संबंध में निरीक्षण प्रतिवेदन, संलग्न दस्तावेजों के साथ नियमान्तर्गत पूर्ण परीक्षण किया जाना है। परीक्षण के संबंध में किसी प्रकार के दस्तावेज आवश्यक होने की स्थिति में संबंधित संस्था को आक्षेप पूर्ति करवाकर प्रतिवेदन अपनी नियमसंगत स्पष्ट अभिशंसा के पोर्टल पर निदेशालय को अग्रेषित कर निर्धारित अवधि में निरीक्षण प्रतिवेदन मय पत्रावली निदेशालय को उपलब्ध कराएं।
- 7.2 जिन प्रतिवेदनों में निरीक्षण दल द्वारा मान्यता दिये जाने हेतु स्पष्ट अभिवंशसा की है। तथा उनके तथ्यों से संतुष्ट होने की स्थिति में तथा जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा भी मान्यता दिये जाने की अभिशंसा की गयी है। उन संस्थाओं/विद्यालयों को गुणावगुण एवं समीक्षा के पश्चात् निदेशालय द्वारा मान्यता दिए जाने का अनुमोदन अथवा मान्यता हेतु अपात्र किया जायेगा। प्राप्त पत्रावलियों के संबंध में निदेशालय द्वारा ऑन लाईन अनुमोदन किया जाएगा। उक्त अनुमोदन का संबंधित विद्यालय के लॉगिन में मैसेज प्रदर्शित होगा, के उपरांत संबंधित विद्यालय वांछित पूर्ति यथा डीडी/एफडी के संबंध में जिशिअ कार्यालय से सम्पर्क कर आवश्यक कार्यवाही करें।

पात्र विद्यालयों के लिए आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) की राशि का डीडी तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट जमा करवाने हेतु मान्यता अनुमोदन के 02 दिवस के भीतर जमा कराने हेतु संबंधित संस्था को पत्र जिशिअ द्वारा रजिस्टर्ड डाक से भेजा जाएगा। निर्धारित तिथि तक आरक्षित कोष (फिक्सड डिपोजिट) का दस्तावेज तथा बालिका शिक्षा फाउण्डेशन की देय राशि का ड्राफ्ट प्राप्त होने पर इसकी ऑनलाइन प्रविष्टि जिशिअ द्वारा की जाएगी। जिन संस्थाओं से निर्धारित तिथि तक वांछित एफडी/डीडी, दस्तावेज प्राप्त नहीं होते हैं वह विद्यालय मान्यता के लिए अपात्र हो जाएंगे (प्रति 15 दिवस की शास्ति की अवधि जिशिअ कार्यालय द्वारा सूचित किए जाने एवं उसकी पावती के 03 महीने तक रहेगी) इस स्थिति में निरस्त आदेश जारी कर संबंधित संस्था को रजिस्टर्ड डाक से जिशिअ कार्यालय द्वारा भिजवाया जाएगा। इस स्थिति में निरस्त आदेश जारी कर संबंधित संस्था को रजिस्टर्ड डाक से जिशिअ कार्यालय द्वारा भिजवाया जाएगा। निदेशालय के अनुमोदन उपरांत तथा विद्यालय द्वारा वांछित पूर्ति किए जाने के 03 कार्यदिवस के भीतर अनिवार्य रूप

24

से संबंधित जिशिअ द्वारा मान्यता/निरस्त प्रमाण पत्र आदेश जारी किए जाएंगे। यह प्रमाण-पत्र ऑनलाइन प्रिंट होगा तथा जिला शिक्षा अधिकारी के हस्ताक्षरों से जारी किया जाएगा।

- 7.3 ऐसे प्रकरण जो राज्य सरकार को प्रेषणीय है तथा विद्यालय द्वारा एक/एक से अधिक प्रकार के लिए आवेदन किया गया है, ऐसे प्रकरणों का शासन से अनुमोदन उपरांत आवेदन के संबंध में अनुमोदन/आवेदन के संबंध में शेष वांछित प्रकारों का अनुमोदन निदेशालय द्वारा किया जाएगा।

8. टाइम फ्रेम:-

सत्र 2023-24 के लिए प्राथमिक/उच्च प्राथमिक/माध्यमिक/उच्च माध्यमिक स्तर हेतु आवेदनों- नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम/स्थान/नाम परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम/संकाय/विषय इत्यादि) एवं वर्चुअल विद्यालय मान्यता हेतु टाइम फ्रेम:-

विज्ञप्ति टाइम-फ्रेम			
क्र. सं.	गतिविधि	टाइम फ्रेम	संबंधित कार्यालय
1.	निदेशालय द्वारा विज्ञप्ति जारी करना	26.12.2022	निदेशालय
2.	गैर सरकारी शिक्षण संस्थाओं द्वारा ऑन लाइन आवेदन कर समस्त पत्रावली स्कैन कर ऑनलाइन अपलोड कर आवेदन शुल्क ई-ग्रास पोर्टल के माध्यम से जमा कराते हुए आवेदन मय समस्त सूचना लॉक करना।	सामान्य शुल्क 01.01.2023 से 31.01.2023 तक विलम्ब शुल्क 01.02.2023 से 10.02.2023 तक	सम्बन्धित संस्था
3.	विद्यालय द्वारा लॉक आवेदन में किसी प्रकार का संशोधन की कार्यवाही	आवेदन लॉक करने की तिथि से 05 दिवस की अवधि तक	संबंधित संस्था
4.	विद्यालय द्वारा ऑनलाइन आवेदन पूर्ण कर ई-ग्रास के माध्यम से शुल्क जमा करवा दिये जाने की स्थिति में ऑटो जेनरेटेड निरीक्षण दल का गठन। (विलम्ब शुल्क वाले आवेदनों पर भी उपरोक्त प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही करें)	विद्यालय द्वारा आवेदन लॉक किए जाने के 5 दिवस की अवधि के पश्चात से लगातार....	एनआईसी एवं निरीक्षण दल
5.	निरीक्षण दल प्रभारी द्वारा भौतिक सत्यापन 07 दिवस में कर निरीक्षण प्रतिवेदन की रिपोर्ट को पोर्टल पर अपलोड मय अभिशंषा करना व विद्यालय द्वारा अपलोड की गई पत्रावली की हार्ड कॉपी विद्यालय से प्राप्त कर सम्पूर्ण तथ्यों के क्रम में परीक्षण कर निरीक्षण प्रतिवेदन पत्रावली की हार्ड कॉपी सहित 02 दिवस (निरीक्षण उपरांत) में जिशिअ कार्यालय में जमा करवाना। (विलम्ब शुल्क वाले आवेदनों पर भी उपरोक्त प्रक्रिया के तहत ही कार्यवाही करें)	दल गठन के 7 दिवस के भीतर	संबंधित संस्था, निरीक्षण दल एवं संबंधित जिशिअ कार्यालय
6.	प्रकरण का परीक्षण एवं आक्षेप- निरीक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मय पत्रावली प्राप्त होने के 07 दिवस के भीतर प्राप्त पत्रावली का पूर्ण परीक्षण करना। परीक्षण कर आवेदनों के परिप्रेक्ष्य में पोर्टल पर अपनी नियमसंगत स्पष्ट अनुशंषा सहित निदेशालय को अग्रेषित करना एवं सम्पूर्ण पत्रावली मय निरीक्षण प्रतिवेदन निदेशालय को वाहक स्तर	निरीक्षण दल द्वारा पत्रावली जमा करवाने के 15 दिवस के भीतर	संबंधित जिशिअ प्रार./माध्यमिक एवं संबंधित संस्था

	पर उपलब्ध कराना। (यदि आक्षेप हो तो आक्षेप पूर्ति के 07 दिवस के भीतर) परिशिष्ट की पूर्ति के साथ।		
7.	निदेशालय द्वारा मान्यता/क्रमोन्नति हेतु अनुमोदन जारी करना	जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से पत्रावली निदेशालय स्तर पर ऑनलाईन एवं हार्डकॉपी प्राप्त होने की दिनांक से लगातार	निदेशालय माशि. /प्राशि. राजस्थान
8.	निदेशालय द्वारा अनुमोदन किए जाने के उपरान्त पात्र संस्थाओं से बालिका शिक्षा फाउण्डेशन में आरक्षित कोष की राशि की डीडी/सावधि जमा प्राप्त करना।	निदेशालय से अनुमोदन उपरान्त 15 दिवस की अवधि में	संबंधित संस्था एवं कार्या. जिशिअ. प्राशि/माशि मुख्यालय
9.	मान्यता आदेश/निरस्त आदेश जारी कर विद्यालयों को उपलब्ध करवाना।	निदेशालय स्तर से अनुमोदन की दिनांक से 10 दिवस के भीतर	कार्यालय जिशिअ. प्राशि/माशि. मुख्यालय

उपरोक्त टाइम फ्रेम का पालन विद्यालयों एवं कार्यालयों द्वारा अनिवार्य रूप से किया जाए। विद्यालयों द्वारा टाइम फ्रेम का पालन नहीं करने की स्थिति में आवेदन हेतु अपात्र हो जाएंगे।



24

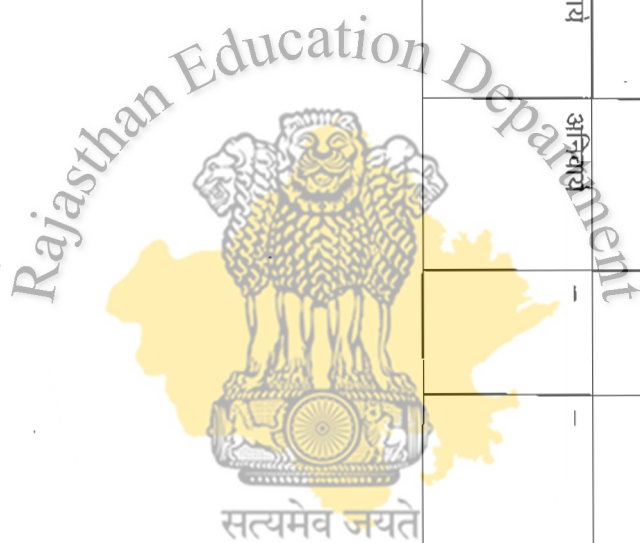
परिशिष्ट-1

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय इत्यादि) हेतु न्यूनतम आधारभूत संरचना एवं आवश्यक सुविधाएँ

विवरण	मान्यता का प्रकार										वर्ग
	नवीन मान्यता			क्रमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम मा. / उ. मा.		अतिरिक्त संकाय उ. मा.	अतिरिक्त विषय उ. मा.	स्थान परिवर्तन
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर	अतिरिक्त कक्षा होने पर	छात्र व्यवस्था हेतु कक्षा अनिवार्य	छात्र व्यवस्था हेतु कक्षा अनिवार्य	उत्ती शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. की दूरी तक उत्ती शहरी स्थानीय निकाय या ग्राम पंचायत में 2 कि.मी. से अधिक		
1 कक्षा कक्ष	2 कक्षा (5x6) वर्ग भी. प्रत्येक कक्ष	5 कक्षा (5x6) वर्ग भी. प्रत्येक कक्ष	5 कक्षा (5x6) वर्ग भी. प्रत्येक कक्ष	14 कक्षा (6x8) वर्ग भी. प्रत्येक कक्ष	16 कक्षा (6x8) वर्ग भी. प्रत्येक कक्ष	अतिरिक्त कक्षा होने पर	छात्र व्यवस्था हेतु कक्षा अनिवार्य	छात्र व्यवस्था हेतु कक्षा अनिवार्य	छात्र व्यवस्था हेतु कक्षा अनिवार्य		-
2 कार्यालय सह भंडार कक्ष	1	1	1	64 वर्ग मीटर	64 वर्ग मीटर	-	-	-	-	-	-
3 शौचालय/मूत्रालय (बालकों के लिए)	1	1	1	80 पर एक शौचालय / 20 पर एक मूत्रालय	80 पर एक शौचालय / 20 पर एक मूत्रालय	-	-	-	-	-	-
4 शौचालय/मूत्रालय (बालिकाओं के लिए)	1	1	1	40 पर एक शौचालय / 20 पर एक मूत्रालय	40 पर एक शौचालय / 20 पर एक मूत्रालय	-	-	-	-	-	-
5 सुरक्षित एवं पर्याप्त पीने योग्य पानी की सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-	-	-	-
6 खेल का मैदान एवं खेल का सामान	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-	-	-	-
7 चारदीवारी	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-	-	-	-
8 पुस्तकालय सुविधा	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-	-	-	-
9 शिक्षण अभिगम सामग्री	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	अनिवार्य	-	-	-	-	-	-

19

10. अग्नि शमन यंत्र की स्थापना एवं इसके परिचालन का स्टाफ को प्रशिक्षण। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अग्निवार्य	अग्नि शमन यंत्र की रसीद, अग्निवार्य	-	-	-	-	-	-
11. संस्था के परिसर से विद्युत की हार्डटेशन लाइन नही गुजर रही हो। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	-	-	-	-	-	-
12. संस्था के परिसर में मोबाइल टॉवर स्थापित नही है। (10 रु. के स्टाम्प पर शपथ पत्र देना है)	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	अग्निवार्य	-	-	-	-	-	-



11

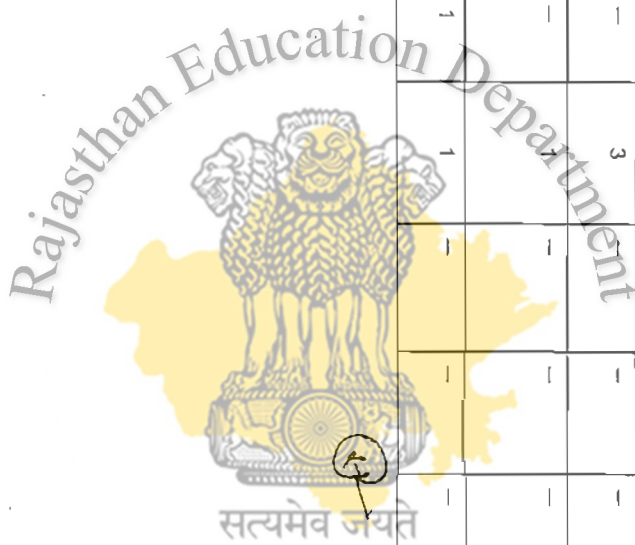
परिशिष्ट-2

समस्त प्रकार की मान्यताओं (नवीन मान्यता, क्रमोन्नति, माध्यम परिवर्तन, स्थान परिवर्तन, अतिरिक्त माध्यम, अतिरिक्त विषय इत्यादि) हेतु आवश्यक शिक्षक एवं अन्य कर्मचारीवृन्द

विवरण	मान्यता का प्रकार									वर्ग परिवर्तन
	नवीन मान्यता			क्रमोन्नति			अतिरिक्त माध्यम	अतिरिक्त संकाय	अतिरिक्त विषय	
	प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक स्तर	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर	उच्च प्राथमिक से उच्च माध्यमिक स्तर	माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
संस्था प्रधान (प्रधानाध्यापक/प्रधानाचार्य)	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
शिक्षक (Grade-1)/व्याख्याता	-	-	-	-	एक संकाय में 3 एवं विषयानुसार	विषयानुसार	विषयानुसार	विषयानुसार	-	-
शिक्षक (Grade-2)/वरिष्ठ अध्यापक	-	-	-	वरिष्ठ अध्यापक - 3	वरिष्ठ अध्यापक - 3	-	-	-	-	-
शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-2) सैकण्डरी कक्षाओं में कोई अध्यापक दो से अधिक विषय नहीं पढ़ायेगा।	-	3 (Science/Mathematics-1, Social studies-1, Language-1)	-	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	3 एवं छात्र अनुपात अनुसार	-	-	-	-	-
शिक्षक (Grade-3, RTET/REET level-1)	2	2	-	छात्र अनुपात अनुसार	छात्र अनुपात अनुसार	-	-	-	-	-
पुस्तकालयाध्यक्ष	-	-	-	1	1 वरिष्ठ पुअ.	-	-	-	-	-



लिपिक ग्रेड-1/कनिष्ठ सहायक	-	-	-	-	500 छात्र संख्या तक एक लिपिक ग्रेड-1 और अधिक पर दो लिपिक ग्रेड-2	900 तक एक व.लि. तथा तीन क.लि.	-	-	-	-	-	-
लिपिक ग्रेड-2 /वरिष्ठ सहायक	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
प्रयोगशाला सहायक	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-
प्रयोगशाला सेवक	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
गृह विज्ञान हेतु पृथक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
सहायक कर्मचारी	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-



शुल्क विवरण

सत्र 2023-24 हेतु नवीन मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आवेदनों के संबंध में शुल्क विवरण

परिशिष्ट 3-(ए)

सत्र 2023-24 हेतु नवीन मान्यता के लिए शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	नवीन मान्यता			
	प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5)		उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 1-5 के बाद कक्षा 6 प्रारम्भ करने के लिए)	
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र
मान्यता आवेदन शुल्क (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	5000	2500	10000	5000
मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40000/- अतिरिक्त मान्यता शुल्क (शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र हेतु)			
आरक्षित कोष की राशि (डी. डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	15,000	15000	20000	15000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ. के नाम से)	50,000	50000	1,00,000	100000

सत्यमेव जयते

(५)

परिशिष्ट 3-(बी)

सत्र 2023-24 हेतु क्रमोन्नति के लिए संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	क्रमोन्नति							
	प्राथमिक से उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 के लिए)		उच्च प्राथमिक से माध्यमिक स्तर (कक्षा 9 के लिए)		माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर (कक्षा 11 के लिए)		कक्षा 9 से 12	
	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी क्षेत्र	ग्रामीण क्षेत्र	शहरी	ग्रामीण
क्रमोन्नति आवेदन शुल्क (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	10000	5000	30,000	20000	40000	30000	100000	80000
क्रमोन्नति की मान्यता शुल्क अतिरिक्त कक्षा संचालन (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 7 व 8 के संचालन हेतु 40,000/- अतिरिक्त मान्यता शुल्क		मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 10 के संचालन हेतु 40,000/- अतिरिक्त मान्यता शुल्क		मान्यता के वर्ष में ही कक्षा 12 के संचालन हेतु 40,000/- अतिरिक्त मान्यता शुल्क		-	
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	20,000	15000	60,000	40000	1,00,000	80000	80000	
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ के नाम से)	1,00,000	1,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	3,00,000	300000	

✓

परिशिष्ट 3--(सी)

सत्र 2023-24 हेतु अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय हेतु संशोधित शुल्क की राशि का विवरण (रूपए में)

फीस का विवरण	अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय						
	अतिरिक्त माध्यम			अतिरिक्त संकाय		अतिरिक्त विषय	
	कक्षा स्तर	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण
अति. माध्यम/ अति.संकाय/ अति.विषय के लिए आवेदन शुल्क (ऑनलाईन ईग्रास के माध्यम)	कक्षा 1-5	10000	6000	<u>35,000</u> प्रति संकाय	25000 प्रति संकाय	<u>10,000</u> प्रति विषय	8,000 प्रति विषय
	कक्षा 1-8	12000	9000				
	कक्षा 1-10	20000	15000				
	कक्षा 6-10	15000	10000				
	कक्षा 9-10	20000	10000				
	कक्षा 1-12	40000	20000				
	कक्षा 6-12	30000	15000				
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	कक्षा 1-5	20000	20000	75,000 प्रति संकाय	75,000 प्रति संकाय	-	-
	कक्षा 1-8	20000	20000				
	कक्षा 1-10	30000	30000				
	कक्षा 1-12	30000	30000				

(५)

परिशिष्ट 3-(डी)

फीस का विवरण	परिवर्तन			
	स्थान परिवर्तन		वर्ग परिवर्तन (छात्रा से सह शिक्षा को छोड़कर)/ नाम/ माध्यम परिवर्तन	वर्ग परिवर्तन (छात्रा विद्यालय से सह शिक्षा)
	02 किमी तक की दूरी के स्थान परिवर्तन	02 किमी से 05 किमी तक की स्थान परिवर्तन		
स्थान परिवर्तन / वर्ग / नाम / माध्यम परिवर्तन आवेदन शुल्क (ई-ग्रास के माध्यम से)	प्रावि. - 10,000	प्रावि-20,000	प्रावि-10,000	60000
	उप्रावि - 20,000	उप्रावि-30,000	उप्रावि-20,000	70000
	मावि - 40,000	मावि-60,000	मावि-40,000	90000
	उमावि - 50,000	उमावि-70,000	उमावि-50,000	100000
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	प्रावि - 4000	प्रावि - 4000		
	उप्रावि - 6000	उप्रावि - 6000		
	मावि - 7000	मावि - 7000		
	उमावि - 10000	उमावि - 10000		

सत्यमेव जयते

(24)

परिशिष्ट 3—(ई)

सत्र 2023-24 हेतु विद्यालय दो पारी में संचालित करने हेतु शुल्क का विवरण

दो पारी आवेदन शुल्क		
कक्षा स्तर	ग्रामीण	शहरी
प्रावि स्तर (कक्षा 1-5)	45000	60000
उप्रावि स्तर (कक्षा 1-8)	90000	115000
मावि स्तर (कक्षा 1-10)	265000	320000
उमावि स्तर (कक्षा 1-12)	270000	325000

परिशिष्ट 3—(एफ)

Virtual School की मान्यता प्राप्त करने हेतु आवेदन शुल्क

कक्षा स्तर	वर्चुअल स्कूल की मान्यता प्राप्त करने हेतु	
	एक माध्यम	दोनों माध्यम
9-10	100000	150000
11-12	120000	175000
9-12	150000	225000

	कक्षा 9 -10	कक्षा 11-12	कक्षा 9 से 12
आरक्षित कोष की राशि (डी.डी. सचिव बालिका शिक्षा फाउण्डेशन, जयपुर के नाम)	60000	80000	100000
फिक्सड डिपोजिट (संस्था एवं संबंधित जिशिअ के नाम से)	100000	300000	300000

नोट:-

1. सामान्य शुल्क से आवेदन की निर्धारित अन्तिम तिथि के पश्चात आवेदन शुल्क के साथ में 10000 रूपए विलम्ब शुल्क लिया जाएगा।
2. विद्यालय द्वारा एक से अधिक तृतीय भाषा के संचालन हेतु आवेदन शुल्क 2000 रूपये देय होगा।



आवेदन पत्र क्रमांक - विद्यालय का नाम -

गैर-सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता/क्रमोन्नति (उच्च प्राथमिक स्तर) आदि के संबंध में आवेदन किए जाने हेतु प्रार्थना पत्र का प्रारूप:-

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी

प्रारम्भिक शिक्षा (मुख्यालय).....(जिले का नाम)

विषय:-शैक्षिक सत्र 2023-24 से (नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/उच्च प्राथमिक स्तर/क्रमोन्नति (उ.प्रा.) के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि (संस्था/सोसाइटी का पूरा नाम) एक विद्यालय.....(विद्यालय का पूरा नाम).....

.....(विद्यालय का पूरा पता-खसरा न./प्लॉट न./आसा-पासा) में संचालित करती है/करना चाहती है।

सोसाइटी द्वारा इस विद्यालय की(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/नवीन मान्यता उच्च प्राथमिक स्तर/क्रमोन्नति उ.प्रा.) के लिए आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान्यता शुल्क.....(राशि रुपये में) का ई.प्रोस.बालान संख्यादिनांक / /एवं आवश्यक संलग्नकों सहित ऑनलाईन आवेदन कर अनुरोध है कि विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2023-24 से.....(नवीन मान्यता प्राथमिक स्तर/ उच्च प्राथमिक स्तर/क्रमोन्नति-उ.प्रा. स्तर) की मान्यता/क्रमोन्नति देने का श्रम करें।

धन्यवाद।

भवदीय

दिनांक:.... / /

संलग्न:उपरोक्तानुसार

(H)



सोसाइटी के सचिव के हस्ताक्षर
(सोसाइटी के सचिव का पूरा नाम)
सोसाइटी की मोहर

हस्ताक्षर
सोसाइटी सचिव

गैर सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/स्थान परिवर्तन/अति.माध्यम आदि हेतु आवेदन पत्र—

(प्रारम्भिक शिक्षा हेतु)

आवेदन पत्र क्रमांक.....दिनांक.....विद्यालय का नाम.....जिला.....

आवेदन का प्रकार

(जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके सभी क्षेत्रों को भरना अनिवार्य होगा)

नवीन मान्यता:—

नवीन मान्यता का कक्षा स्तर	☐ प्राथमिक कक्षा 1 से 5 ☐ उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8
नवीन मान्यता हेतु माध्यम	☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी ☐ हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों

क्रमोन्नति:—

कक्षा 6-8	☐ ☐ कक्षा.....	
वर्तमान में विद्यालय की विभाग से मान्यता प्राप्त श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)		
क्रमोन्नति हेतु विद्यालय में शिक्षण का माध्यम (जिन विद्यालयों द्वारा दोनों माध्यमों में संचालन किया जा रहा है, के लिए लागू)	माध्यम ☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी	कक्षा स्तर (मैंडेटरी) ☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8
क्या विद्यालय मान्यता के वर्ष से ही कक्षा-6 के साथ 7 एवं 8 संचालित करना चाहता है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं

माध्यम परिवर्तन

वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है):— पूर्व प्राथमिक से कक्षा-5/ पूर्व प्राथमिक से कक्षा-8/ कक्षा 1-5/ कक्षा-1-8

विद्यालय का वर्तमान माध्यम	☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी
विद्यालय का वांछित माध्यम	☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी

स्थान परिवर्तन

विद्यालय के वर्तमान स्थान (पता) का पूर्ण विवरण—	स्थान परिवर्तन हेतु वांछित नवीन स्थान का पूर्ण पता—:.....
जिला	
ब्लॉक	
ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.	
ग्राम वार्ड	
विद्यालय का स्थान	
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का / किराये का)	
वर्तमान स्थान से वांछित स्थान की दूरी कि.मी. में)	
क्या स्थान परिवर्तन से ग्रामपंचायत/नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम परिवर्तित हो रही है?	☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय द्वारा नवीन स्थान पर विद्यालय संचालन किया जा रहा है ?	☐ हाँ ☐ नहीं

नाम परिवर्तन

विद्यालय का वर्तमान में नाम	
विद्यालय द्वारा वांछित परिवर्तित नाम	

वर्ग परिवर्तन

वर्तमान संचालित वर्ग— ☐ छात्र	वांछित वर्ग परिवर्तन — ☐ छात्र
--	---

4

○ छात्रा	○ छात्रा
○ सहशिक्षा	○ सहशिक्षा

दो पारी

मान्यता अनुसार संचालित पारी— ○ एक पारी ○ दो पारी	विद्यालय द्वारा वांछित पारी— ○ दो पारी
--	---

अतिरिक्त माध्यम

वर्तमान में संचालित माध्यम एवं वांछित माध्यम का कक्षा स्तरवार विवरण— विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है):— प्राथमिक से कक्षा-5 / प्राथमिक से कक्षा-8 / कक्षा 1-5 / कक्षा-1-8			
माध्यम	कक्षा स्तर		
	वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा आवेदित कक्षा स्तर हेतु वांछित माध्यम	
हिन्दी	○ 1-5 ○ 1-8 ○ 6-8	○ 1-5 ○ 1-8 ○ 6-8	
अंग्रेजी	○ 1-5 ○ 1-8 ○ 6-8	○ 1-5 ○ 1-8 ○ 6-8	

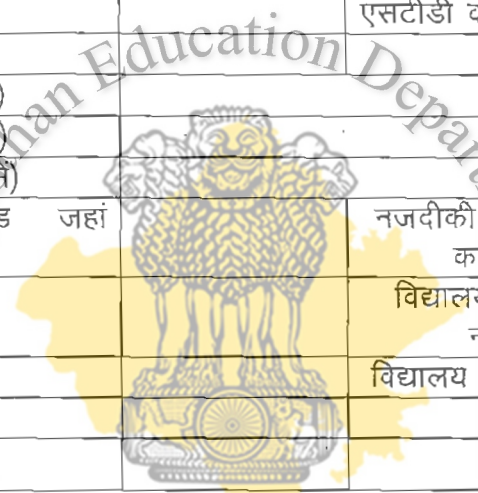
सत्यमेव जयते

(५)

विद्यालय विवरण

(विद्यालय विवरण के सभी क्षेत्रों को भरना अनिवार्य होगा)

(1) विद्यालय से संबंधित जानकारी:-

सोसाइटी का नाम			
सोसाइटी का परिक्षेत्र			
विद्यालय का नाम			
जिला			
ब्लॉक			
ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.			
ग्राम वार्ड			
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का / किराये का)			
		पीएसपी कोड-	
		डाइस कोड-	
		विद्यालय का स्थापना वर्ष-	
प्लॉट न./खसरा न.		एसटीडी कोड-	
आसा पास			
विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)			
विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)			
विद्यालय का पूरा पता (अंग्रेजी में)			
ग्राम/शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है		नजदीकी पुलिस थाने का नाम	
ग्राम/शहर का एसटीडी कोड		विद्यालय का फोन नंबर	
विद्यालय की ई-मेल आईडी		विद्यालय की वेबसाइट	
			
संस्था प्रधान का नाम		संस्था प्रधान के मोबाईल नंबर	
क्या विद्यालय मूक बधिर / दृष्टिहीन श्रेणी का है ?	☐ हां ☐ नहीं	क्या विद्यालय जन जाति क्षेत्र में संचालित है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
विद्यालय टीएसपी / नोन टीएसपी	☐ टीएसपी ☐ एक पारी	☐ नोन टीएसपी ☐ दो पारी	
विभाग द्वारा स्वीकृत विद्यालय संचालन की स्थिति			
अंतिम/अद्यतन विभागीय मान्यता/क्रमोन्नति/स्थान परिवर्तन आदि हेतु जारी आदेश-	क्रमांक.....	दिनांक...	
	माध्यम	कक्षा स्तर	

(4)

विभाग द्वारा स्वीकृत माध्यम/कक्षा स्तर	○ हिन्दी	○ पूर्व प्राथमिक से कक्षा-5 ○ पूर्व प्राथमिक से कक्षा-8 ○ कक्षा 1-5 ○ कक्षा 1-8 ○ कक्षा 6-8	-
	○ अंग्रेजी	○ पूर्व प्राथमिक से कक्षा-5 ○ पूर्व प्राथमिक से कक्षा-8 ○ कक्षा 1-5 ○ कक्षा 1-8 ○ कक्षा 6-8	
प्रदत्त मान्यता के अनुसार विद्यालय का वर्ग-	○ छात्र ○ छात्रा ○ सहशिक्षा		
विभाग द्वारा स्वीकृत पारी संचालन	○ एक पारी	○ दो पारी	
विद्यालय किस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त है-	○ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ○ सीबीसीई ○ सीआईएससीई ○ सीएआईई		
विद्यालय को विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता स्तर	○ कक्षा 1-5 ○ कक्षा 1-8		
विभाग द्वारा प्रदत्त मान्यता उपरांत विद्यालय द्वारा (विभाग द्वारा स्वीकृति उपरांत) किए गए नाम परिवर्तन/संस्था प्रबन्ध अंतरण की सूचना:-			
1	2 सत्यमेव जयते	3	4
विद्यालय का नाम	कॉलम संख्या 01 में अंकित नाम से विद्यालय के संचालन की अवधि	कॉलम संख्या 02 में अंकित अवधि के अनुसार विद्यालय संचालित करने वाली संस्था का नाम	विद्यालय संचालित करने वाली संस्था का परिक्षेत्र.....

24



(2) सोसाइटी की जानकारी:-

सोसाइटी संचालन कर्ता का नाम		
सोसाइटी पंजीयन संख्या	सोसाइटी पंजीयन वर्ष एवं दिनांक	
सोसाइटी का पूरा पता		
सोसाइटी का दूरभाष नम्बर		
अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष का मोबाईल नम्बर	
सचिव का नाम	सचिव का मोबाईल नम्बर	
क्या सोसाइटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलने का उल्लेख है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं
क्या सोसाइटी की प्रबन्धन समिति की बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है ?	☐ हाँ	☐ नहीं

(3) विद्यालय भवन से संबंधित जानकारी:-

विद्यालय भूमि एवं भवन की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का ☐ किराये का ☐ उपहार विलेख पत्र ☐ निःशुल्क / रियायती दर पर आवंटित I शहरी II ग्रामीण- (i) ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित आवासीय पट्टा (ii) कृषि भूमि	क्या विद्यालय भूमि / भवन / अन्य निर्माण / खेल मैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं ?	☐ हाँ	☐ नहीं
विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं		-
विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल खेल मैदान सहित (in sq. Mt.)		विद्यालय के निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल (in sq. Mt.)		
विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	☐ कृषि ☐ आवासीय ☐ वाणिज्यिक	खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का	

	○ संस्थानिक		○ किराये का	
			○ सार्वजनिक पार्क	पार्क की विद्यालय से दूरी(किमी/वर्ग मीटर)-
विद्यालय का खेल मैदान विद्यालय परिसर में है अथवा नहीं	○ हाँ ○ नहीं	○ नहीं		
क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ?	○ हाँ ○ नहीं	क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ?	○ हाँ ○ नहीं	
विद्यालय परिसर की भूमि एवं भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता से प्रमाणित है ?	○ हाँ ○ नहीं	अभियंता का नाम		
अभियंता का पद		अभियंता का पदस्थापन स्थान		
अभियंता का मोबाईल नंबर				
भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	○ हाँ ○ नहीं	अभियंता का नाम		
अभियंता का पद		अभियंता का पदस्थापन स्थान		
अभियंता का मोबाईल नंबर				
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालात में उपलब्ध है ?			○ हाँ ○ नहीं	
क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाईल टावर है ?	○ हाँ ○ नहीं	क्या विद्यालय भवन, परिसर के उपर से विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है ?	○ हाँ ○ नहीं	
विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था है ?	○ हाँ ○ नहीं	यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?	○ नल ○ हेण्डपम्प/ ट्यूबेल ○ टांका ○ टैंकर द्वारा	

14

(4). अन्य विवरण—

कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं		कक्षा कक्षों की संख्या जो गैर शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	
पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या		पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या	
क्या विद्यालय में लाईब्रेरियन नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में लिपिक नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय में पी.टी.आई नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में लैब बॉय नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं
छात्रों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है			☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय में छात्रों के बैठने हेतु सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है			☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुँच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं ?			☐ हाँ ☐ नहीं
विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है ?			☐ हाँ ☐ नहीं
विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ?			☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है/करेगा ?			☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है/करेगा ?			☐ हाँ ☐ नहीं

(5) इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण —

कक्ष का विवरण	कक्षों की संख्या	साईज (in sq. Mt.)	
		लम्बाई (in sq. Mt.)	चौड़ाई (in sq. Mt.)
शिक्षण हेतु उपलब्ध कक्षा कक्ष(कक्षा कक्षों के संबन्ध में कक्षा कक्ष एवं प्रत्येक कक्ष की माप हेतु परिशिष्ट..... पूर्ण कर संलग्न है)			
प्रधानाध्यापक कक्ष	बिन्दुओं को क्रम से लगाना है सम्पूर्ण विज्ञप्ति में।		
कार्यालय कक्ष			
अध्यापक कक्ष			
खेलकूद कक्ष			
भण्डार कक्ष			
पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर-पी. 3			

(५)

पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर-पी. 4			
पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर-पी. 5			
कक्षा - कक्ष-1			
कक्षा - कक्ष-2			
कक्षा - कक्ष-3			
कक्षा - कक्ष-4			
कक्षा - कक्ष-5			
कक्षा - कक्ष-6			
कक्षा - कक्ष-7			
कक्षा - कक्ष-8			
कक्षा - कक्ष-9			
कक्षा - कक्ष-10			
कक्षा - कक्ष-11			
कक्षा - कक्ष-12			
कक्षा - कक्ष-13			
कक्षा - कक्ष-14			
कक्षा - कक्ष-15			
कक्षा - कक्ष-16			
कक्षा - कक्ष-17			
कक्षा - कक्ष-18			
कक्षा - कक्ष-19			
कक्षा - कक्ष-20			
कक्षा - कक्ष-21			
कक्षा - कक्ष-22			
कक्षा - कक्ष-23			
कक्षा - कक्ष-24			
कक्षा - कक्ष-25			
कक्षा - कक्ष-26			
कक्षा - कक्ष-27			
कक्षा - कक्ष-28			
कक्षा - कक्ष-29			
कक्षा - कक्ष-30			
बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-2 शौचालयों व मूत्रालयों की संख्या:-			

विद्यार्थियों का कक्षा वार नामांकन विवरण:-
(नवीन मान्यता हेतु लागू नहीं)

क्र.सं	कक्षा	विद्यार्थी नामांकन	उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
--------	-------	--------------------	---------------------------------------	---

५

1.	पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर-पी. 3			
2.	पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर-पी.4			
3.	पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर-पी. 5			
4.	कक्षा-1			
5.	कक्षा-2			
6.	कक्षा-3			
7.	कक्षा-4			
8.	कक्षा-5			
9.	कक्षा-6			
10.	कक्षा-7			
11.	कक्षा-8			

(6) विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण-

(नोट:- विद्यालय में किसी शिक्षक के कार्यरत नहीं होने अथवा शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता भिन्न पाये जाने पर टिप्पणी अंकित करें। यदि विद्यालय में निरीक्षण दिवस से पूर्व किसी कर्मचारी की नवीन नियुक्ति की गई है तो उसका नाम व योग्यता भी इस सूची में नीचे जोड़ दें।)

क्र.सं.	पदनाम	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी के पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशैक्षणिक योग्यता	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित किया जाये (Yes/No)
1	पूर्ववत्							
2								
3								
4								

(7). गत तीन वित्तीय वर्षों का आय/व्यय का विवरण-

क्र.सं.	वर्ष	आय	व्यय	सरप्लस/डेफिसिट
1.	2020-21			
2.	2021-22			

(4)

3.	2022-23			
----	---------	--	--	--

(8). शुल्क का विवरण –सामान्य शुल्क/ विलम्ब शुल्क:-

मान्यता/कमोन्नति शुल्क/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/संस्था अंतरण/दो पारी		ईग्रास चालान नं. / दिनांक.....		बैंक/ब्रांच	—
बालिका फाउण्डेशन		डी.डी.नं./दिनांक		बैंक/ब्रांच	—
सावधि जमा (FD)		डी.डी.नं./दिनांक		बैंक/ब्रांच	—

(9) आवेदन पत्र के साथ पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

क्र. स.	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज संलग्न की स्थिति
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	हाँ ☐ नहीं
02.	सोसायटी के विधान की प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	हाँ ☐ नहीं
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	हाँ ☐ नहीं
04.	नवीन मान्यता/कमोन्नति- उ.प्रा., मा. तथा उ.मा.स्तर)/स्थान परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/ माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/संस्था अंतरण आदि के संबंध में प्रबन्ध कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	हाँ ☐ नहीं
05.	विद्यालय को पूर्व में विभाग द्वारा जारी समस्त प्रकार की मान्यता/कमोन्नति आदि के आदेशों की सत्यापित प्रतियाँ	हाँ ☐ नहीं

(4)

	(नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)	
06.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रति हस्ताक्षरित नजरी/पैमाइशी नक्शा के साथ (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित) यदि भूमि उपहार विलेख से है तो उपहार विलेख की रजिस्टर्ड प्रति आवश्यक है।	☐ हाँ ☐ नहीं
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसाइटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे एवं किराएदाता की भूमि के मालिकाना दस्तावेज की सत्यापित प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण के आदेश की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
	विद्यालय भवन/भूमि का प्रकार—आवासीय/कृषि/व्यावसायिक है तो संबन्धित दस्तावेज।	☐ हाँ ☐ नहीं
09.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
10.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की समस्त भूमि (जो एक ही परिसर में स्थित हो) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यूडी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम, भूमि का प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये	☐ हाँ ☐ नहीं



	जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।		
11.	विद्यालय की आय-व्यय की सी.ए. द्वारा गत तीन वर्षों की प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)	○ हाँ ○ नहीं	
12.	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।	○ हाँ ○ नहीं	
13.	मान्यता शुल्क का ई-ग्रास चालान	○ हाँ ○ नहीं	
14.	विद्यालय की स्थापना वर्ष (नवीन मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करावे, नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं हेतु लागू नहीं)	○ हाँ ○ नहीं	
15.	विभाग द्वारा विद्यालय को जारी अंतिम मान्यता/कमोन्नति आदेश की प्रति (प्रति संलग्न करें)	○ हाँ ○ नहीं	
16.	विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालय को जारी मान्यता क्रमोन्नति/स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/संस्था अंतरण आदि के आदेशों की प्रमाणित प्रति।	○ हाँ ○ नहीं	
17.	अग्नि शमन यंत्र का बिल	○ हाँ ○ नहीं	
18.	फीस एक्ट की पालना किए जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति।	○ हाँ ○ नहीं	
19.	आरटीई अन्तर्गत निःशुल्क पर प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षा वार छात्रों की संख्या का विवरण।	○ हाँ ○ नहीं	
20.	विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है	○ हाँ ○ नहीं	

(५)

	अथवा नहीं, यदि हों तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....	
21	विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....	☐ हाँ ☐ नहीं
22	निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र	☐ हाँ ☐ नहीं

आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर/संबन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र को विभाग द्वारा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

हस्ताक्षर
सोसाइटी सचिव
मोहर



(नोट:-प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

(यह शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है)
मैं.....पिता/पति.....सोसायटी का पुरा नाम व पता.....
.....के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय(संस्था) का नाम व पता.....
.....के सम्बन्ध में, मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि-

01. संस्था भवन में बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-2 शौचालय व मूत्रालय एवं शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।
02. संस्था के प्रबन्ध मण्डल/सदस्य साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं तथा ना ही भविष्य में भाग लेंगे।
03. संस्था भवन में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर दिया गया है/अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया है।
(रसीद/प्रमाण पत्र संलग्न है)
04. संस्था परिसर में किसी प्रकार का मोबाईल टॉवर लगा हुआ नहीं है।

05. संस्था भवन व परिसर के ऊपर एवं आस-पास से विद्युत की हाई टेन्शन लाईन नहीं गुजर रही है।
06. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था है एवं समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।
07. संस्था द्वारा राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 तथा बोर्ड की मान्यता संबंधी सभी भौतिक एवं वित्तीय शर्तों की पालना की जायेगी।
08. संस्था द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना की जायेगी।
09. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था की जायेगी।
10. संस्था द्वारा राज्य सरकार/ स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों द्वारा ही अध्ययन करवाया जायेगा।
11. संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेंडर का पालन किया जायेगा।
12. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 की पालना की जायेगी तथा विद्यार्थियों से निर्धारित फीस ही ली जायेगी।
13. संस्था के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
14. संस्था के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित है।
15. संस्था में सभी शिक्षक पूर्ण रूप से योग्यताधारी एवं विषयानुसार नियुक्त हैं।
16. संस्था द्वारा किसी प्रकार के राज्य/विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर नियमों के अन्तर्गत संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
17. विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का प्रतिवर्ष विद्यार्थी दुर्घटना बीमा करवाया जायेगा।
18. विद्यालय संचालन समिति द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण बाल वाहिनी के रूप में करवाया जायेगा तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।
19. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की फीस निर्धारित कर प्राइवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है/नवीन मान्यता की स्थिति में प्रविष्टि कर दी जायेगी।
20. विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 12(1)ग के अंतर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों हेतु प्रवेश दिया जा रहा है। तथा इनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी।
21. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिये रैम्प निर्धारित मापदण्डानुसार बना हुआ है। विद्यालय द्वारा Rehabilities of Persons With Disabilities Act 2016 की पूर्ण पालना की जाएगी।
22. संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है।
23. संस्था में लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विषयवार प्रयोगशाला सहायकों की नियमानुसार नियुक्ति कर दी गई है।
24. संस्था में कम्प्यूटर व इंटरनेट (ब्रॉडबैंड) की व्यवस्था कर दी गई है।
25. संस्था द्वारा बिना विभाग की अनुमति के उच्च कक्षाएँ संचालित नहीं की जायेगी।
26. संस्था में नियुक्त अध्यापकों के वेतन से नियमानुसार पी.एफ. की कटौती की जायेगी। (प्रमाण पत्र संलग्न)



27. जिस भूमि पर विद्यालय संचालन हेतु आवेदन किया जा रहा है उस भूमि पर आवेदित संस्था द्वारा पूर्व में कोई विद्यालय संचालन/अन्य शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जा रहा हो। (भूमि स्वयं की होने पर).

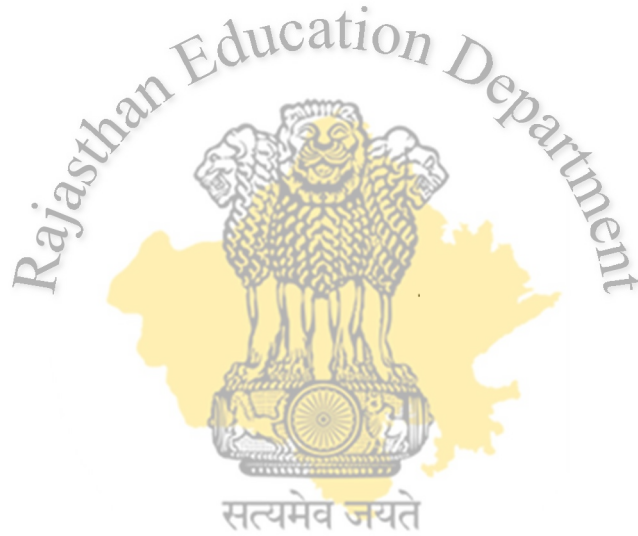
यह है कि शपथ पत्र के बिन्दु संख्या.....से.....में वर्णित कथन मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है।

सचिव

समिति का नाम.....

समिति का रजिस्ट्रेशन नम्बर व वर्ष

21



निरीक्षण प्रतिवेदन:-

(नोट:-निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय द्वारा भरी गई सूचनाएँ, भौतिक निरीक्षण एवं संलग्न दस्तावेजों का मिलान कर सत्यापन किया जाना अनिवार्य रहेगा। मान्यता/क्रमोन्नति के दिशा-निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर तदनुरूप ही निरीक्षण प्रतिवेदन भरा जावे।)

गैर सरकारी विद्यालय की नवीन मान्यता/क्रमोन्नति/स्थान परिवर्तन/अति.माध्यम आदि हेतु निरीक्षण प्रारूप:- प्रपत्र:- (प्रारम्भिक शिक्षा हेतु)

आवेदन पत्र क्रमांक.....दिनांक.....विद्यालय का नाम.....जिला.....

आवेदन का प्रकार

(जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके सभी क्षेत्रों को भरना अनिवार्य होगा)

नवीन मान्यता:-

1.	नवीन मान्यता का स्तर	☐ प्राथमिक कक्षा 1 से 5 ☐ पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 5 तक ☐ उच्च प्राथमिक कक्षा 1 से 8 ☐ पूर्व प्राथमिक कक्षा से कक्षा 8 तक	निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन (Yes/No)
2.	नवीन मान्यता हेतु माध्यम	☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी ☐ हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों	
विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किये जाने की स्थिति में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं के संचालन हेतु विभाग से मान्यता प्राप्त किये जाने हेतु आवेदन:-			
क्या विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन किया जा रहा है?		☐ हाँ	निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन (Yes/No)
		☐ नहीं	
कक्षा 6-8		☐	
वर्तमान में विद्यालय की विभाग से मान्यता प्राप्त श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)		☐ कक्षा.....	
क्रमोन्नति हेतु विद्यालय में शिक्षण का माध्यम (जिन विद्यालयों द्वारा दोनों माध्यमों में संचालन किया जा रहा है, के लिए लागू)		माध्यम	कक्षा स्तर (मैट्रिकरी)
		☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी	☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8
क्या विद्यालय मान्यता के		☐ हाँ	☐ नहीं

41

वर्ष से ही कक्षा-6 के साथ 7 एवं 8 संचालित करना चाहता है ?			
---	--	--	--

माध्यम परिवर्तन

वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	
विद्यालय का वर्तमान माध्यम	☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी
विद्यालय का वांछित माध्यम	☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी

स्थान परिवर्तन

विद्यालय के वर्तमान स्थान (पता) का पूर्ण विवरण—	स्थान परिवर्तन हेतु वांछित नवीन स्थान का पूर्ण पता—	
जिला		
ब्लॉक		
ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.		
ग्राम वार्ड		
विद्यालय का स्थान		
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का / किराये का)		
वर्तमान स्थान से वांछित स्थान की दूरी कि.मी. में)		
क्या स्थान परिवर्तन से ग्रामपंचायत/नगरपालिका /नगरपरिषद/नगरनिगम परिवर्तित हो रही है?	☐ हाँ	☐ नहीं
क्या विद्यालय द्वारा नवीन स्थान पर विद्यालय संचालन किया जा रहा है ?	☐ हाँ	☐ नहीं

५२

नाम परिवर्तन

	विद्यालय का वर्तमान में नाम		
	विद्यालय द्वारा वांछित परिवर्तित नाम		

वर्गपरिवर्तन

	वर्तमान संचालित वर्ग— ○ छात्र ○ छात्रा ○ सहशिक्षा	वांछित वर्ग परिवर्तन — ○ छात्र ○ छात्रा ○ सहशिक्षा	
--	--	---	--

दो पारी

	मान्यता अनुसार संचालित पारी— ○ एक पारी ○ दो पारी	विद्यालय द्वारा वांछित पारी— ○ दो पारी	
--	--	---	--

अतिरिक्त माध्यम

	वर्तमान में संचालित माध्यम एवं वांछित माध्यम का कक्षा— स्तर वार विवरण—		
		कक्षा स्तर	
	माध्यम	वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा आवेदित कक्षा स्तर हेतु वांछित माध्यम
	हिन्दी	○ 1-5 ○ 1-8 ○ 6-8	○ 1-5 ○ 1-8 ○ 6-8
	अंग्रेजी	○ 1-5 ○ 1-8	○ 1-5 ○ 1-8

(4)

विद्यालय विवरण

(विद्यालय विवरण के सभी क्षेत्रों को भरना अनिवार्य होगा)

(1) विद्यालय से संबंधित जानकारी:—

	—	—	—	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हां/नहीं)
सोसाइटी का नाम				
सोसाइटी का परिक्षेत्र				
विद्यालय का नाम				
जिला				
ब्लॉक				
ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.				
ग्राम वार्ड				
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का / किराये का)				
		पीएसपी कोड—		
		डाइस कोड—		
		एसटीडी कोड—		
		विद्यालय का स्थापना वर्ष—		
प्लॉट न./खसरा. न.				
आसा पास				
1.8 विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)				
1.9 विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)				
1.10 विद्यालय का पूरा पता (अंग्रेजी में)				
1.11 ग्राम/शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है		सत्यमेव जयते	1.12 नजदीकी पुलिस थाने का नाम	
1.13 ग्राम/शहर का एसटीडी कोड			1.14 विद्यालय का फोन नम्बर	
1.15 विद्यालय की ई-मेल आईडी			1.16 विद्यालय की वेबसाइट	
1.19 संस्था प्रधान का नाम			1.20 संस्था प्रधान के मोबाईल नम्बर	
1.21 क्या विद्यालय मूक बधिर / दृष्टिहीन श्रेणी का है ?	○ हां ○ नहीं		1.22 क्या विद्यालय जन जाति क्षेत्र में संचालित है ?	○ हां ○ नहीं
विद्यालय टीएसपी/नोन टीएसपी	○ टीएसपी		○ नोन टीएसपी	
विभाग द्वारा स्वीकृत विद्यालय	○ एक पारी		○ दो पारी	

51

संचालन की स्थिति			
अंतिम/अद्यतन विभागीय मान्यता/कमोन्नति/स्थान परिवर्तन आदि हेतु जारी आदेश-	क्रमांक.....	दिनांक...	
विभाग द्वारा स्वीकृत माध्यम/कक्षा स्तर	माध्यम	कक्षा स्तर	
	☐ हिन्दी	☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8 ☐ कक्षा 6-8	-
	☐ अंग्रेजी	☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8 ☐ कक्षा 6-8	
प्रदत्त मान्यता के अनुसार विद्यालय का वर्ग-	☐ छात्र ☐ छात्रा ☐ सहशिक्षा		
विभाग द्वारा स्वीकृत पारी संचालन	☐ एक पारी	☐ दो पारी	
विद्यालय किस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त है-	☐ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ☐ सीबीसीई ☐ सीआईएससीई ☐ सीएआईई		
विद्यालय को विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता स्तर	☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8		

(2) सोसाइटी की जानकारी:-

सोसाइटी संचालन कर्ता का नाम:-		सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)	
सोसाइटी पंजीयन संख्या	सोसाइटी पंजीयन वर्ष एवं दिनांक		
सोसाइटी का पूरा पता			
सोसाइटी का दूरभाष नम्बर			
अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष का मोबाईल नम्बर		
सचिव का नाम	सचिव का मोबाईल नम्बर		



क्या सोसाइटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलने का उल्लेख है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं	
क्या सोसाइटी की प्रबन्धन समिति की बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है ?	☐ हाँ	☐ नहीं	

(3) विद्यालय भवन से संबंधित जानकारी—

4.1 विद्यालय भूमि एवं भवन की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का ☐ किराये का ☐ उपहार विलेख पत्र ☐ निःशुल्क / रियायती दर पर आवंटित i शहरी ii ग्रामीण— (i) ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित आवासीय पट्टा (ii) कृषि भूमि विद्यालय उपयोग हेतु / संस्थानिक प्रयोजन हेतु भूरूपान्तरित है— ☐ हाँ ☐ नहीं	4.2 क्या विद्यालय भूमि/ भवन/अन्य निर्माण/खेल मैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं	हाँ	☐ नहीं	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हाँ/ नहीं)
विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं			
4.3 विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल खेल मैदान सहित (in sq. Mt.)		4.4 विद्यालय के निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल (in sq. Mt.)			



4.5 विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	☐ कृषि ☐ आवासीय ☐ वाणिज्यिक ☐ संस्थानिक	4.6 खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का ☐ किराये का ☐ सार्वजनिक पार्क	
विद्यालय का खेल मैदान विद्यालय परिसर में है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं		
4.7 क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	4.8 क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	
4.9 विद्यालय परिसर की भूमि एवं भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता से प्रमाणित है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	4.9.1 अभियंता का नाम		
4.9.2 अभियंता का पद		4.9.3 अभियंता का पदस्थापन स्थान		
4.9.4 अभियंता का मोबाइल नंबर				
4.10 भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	☐ हाँ ☐ नहीं	अभियंता का नाम		
4.10.2 अभियंता का पद		अभियंता का पदस्थापन स्थान		
4.10.4 अभियंता का मोबाइल नंबर				
4.11. क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालात में उपलब्ध है ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
4.12 क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाइल टावर है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	4.13 क्या विद्यालय भवन, परिसर के उपर से विद्युत हाईटेंशन लाइन गुजर रही है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	
5.1 विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	5.2 यदि हां तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?	☐ नल ☐ हेण्डपम्प/ट्यूबेल ☐ टांका ☐ टैंकर द्वारा	

(4). अन्य विवरण—

कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं		कक्षा कक्षों की संख्या जो गैर शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं		सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हाँ/नहीं)
पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या		पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या		
क्या विद्यालय में लाईब्रेरियन नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में लिपिक नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय में पी.ई.टी.आई नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में लैब बॉय नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	
आवेदन पत्र के साथ संलग्न 10 फोटो के अनुसार विद्यालय भवन/सुविधा उपलब्ध है (विद्यालय भवन का बाहरी दृश्य, आंतरिक दृश्य, भौतिक सुविधाओं आदि की)			☐ हाँ ☐ नहीं	
छात्रों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है			☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय में छात्रों के बैठने हेतु सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है			☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुंच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) अथवा ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्र में स्थित है ।			☐ शहरी ☐ ग्रामीण	
विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है/करेगा ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है/करेगा ?			☐ हाँ ☐ नहीं	



शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय भवन एवं खेल मैदान की भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किया गया है	☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय भवन एवं खेल मैदान ब्लू प्रिंट अनुसार है अथवा नहीं ?	☐ हाँ ☐ नहीं	

(5) इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण –

7.1 कक्ष का विवरण	कक्षों की संख्या	साईज (in sq. Mt.)		सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हां/नहीं)	
		लम्बाई (in sq. Mt.)	चौड़ाई (in sq. Mt.)		
शिक्षण हेतु उपलब्ध कक्षा कक्ष (कक्षा कक्षों के संबंध में कक्षा कक्ष एवं प्रत्येक कक्ष की माप हेतु परिशिष्ट..... पूर्ण कर संलग्न है)					
7.2 प्रधानाध्यापक कक्ष					
7.3 कार्यालय कक्ष					
7.4 अध्यापक कक्ष					
7.5 खेलकूद कक्ष					
7.6 भण्डार कक्ष					
7.9 कक्षा – कक्ष-1					
कक्षा – कक्ष-2					
कक्षा – कक्ष-3					
कक्षा – कक्ष-4					
कक्षा – कक्ष-5					
कक्षा – कक्ष-6					
कक्षा – कक्ष-7					
कक्षा – कक्ष-8					
कक्षा – कक्ष-9					
कक्षा – कक्ष-10					
कक्षा – कक्ष-11					
कक्षा – कक्ष-12					
कक्षा – कक्ष-13					
कक्षा – कक्ष-14					

(4)

कक्षा - कक्ष-15					
कक्षा - कक्ष-16					
कक्षा - कक्ष-17					
कक्षा - कक्ष-18					
कक्षा - कक्ष-19					
कक्षा - कक्ष-20					
कक्षा - कक्ष-21					
कक्षा - कक्ष-22					
कक्षा - कक्ष-23					
कक्षा - कक्ष-24					
कक्षा - कक्ष-25					
कक्षा - कक्ष-26					
कक्षा - कक्ष-27					
कक्षा - कक्ष-28					
कक्षा - कक्ष-29					
कक्षा - कक्ष-30					
बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-2 शौचालयों व मूत्रालयों की संख्या:-	बालक शौचालय, बालक मूत्रालय	बालिका शौचालय, बालिका मूत्रालय			

Rajasthan Education Department



सत्यमेव जयते

(6) विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण—

क्र.सं.	पदनाम	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी के पिता / पति का नाम	जन्मतिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षणिक योग्यता	सत्यापन दल द्वारा किये गये सत्यापन की जानकारी
1	पूर्ववत्							
2								
3								
4								



(7). गत तीन वित्तीय वर्षों का आय / व्यय का विवरण—

क्र.सं.	वर्ष	आय	व्यय	सरप्लस / डेफिसिट	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हां/नहीं)
1.	2020-21				
2.	2021-22				
3.	2022-23				

(47)

(8). शुल्क का विवरण –सामान्य शुल्क/विलम्ब शुल्क:-

5.1 मान्यता/कमोन्नति शुल्क/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/संस्था अंतरण/दो पारी		ईग्रास चालान नं./दिनांक.....		बैंक/ब्रांच	—	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हाँ/नहीं)
5.2 बालिका फाउण्डेशन		डी.डी.नं./दिनांक		बैंक/ब्रांच	—	
5.1 सावधि जमा (FD)		डी.डी.नं./दिनांक		बैंक/ब्रांच	—	

21



(9) आवेदन पत्र के साथ पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:-

क्र. सं.	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज संलग्न की स्थिति	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी पत्रावली की पृष्ठ संख्या के साथ (हां/नहीं)
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
02.	सोसायटी के विधान की प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
04.	नवीन मान्यता/कमोन्नति- उ.प्रा., मा. तथा उ.मा.स्तर)/स्थान परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/ माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/संस्था अंतरण आदि के संबंध में प्रबन्ध कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
05.	विद्यालय को पूर्व में विभाग द्वारा जारी समस्त प्रकार की मान्यता/कमोन्नति आदि के आदेशों की सत्यापित प्रतियाँ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)	☐ हाँ ☐ नहीं	
06.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के	☐ हाँ ☐ नहीं	



	मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रति हस्ताक्षरित नजरी/पैमाइशी नक्शा के साथ (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित) यदि भूमि उपहार विलेख से है तो उपहार विलेख की रजिस्टर्ड प्रति आवश्यक है।		
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे एवं किराएदाता की भूमि के मालिकाना दस्तावेज की सत्यापित प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण के आदेश की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
	विद्यालय भवन/भूमि का प्रकार-आवासीय/कृषि/व्यावसायिक है तो संबंधित दस्तावेज।	☐ हाँ ☐ नहीं	
09.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
10.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की समस्त भूमि (जो एक ही परिसर में स्थित हो) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यूडी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम, भूमि का प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान	☐ हाँ ☐ नहीं	

(5)

	(EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।		
11.	विद्यालय की आय-व्यय की सी.ए. द्वारा गत तीन वर्षों की प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)	☐ हाँ ☐ नहीं	
13.	मान्यता शुल्क का ई-ग्रास चालान	☐ हाँ ☐ नहीं	
14.	विद्यालय की स्थापना वर्ष (नवीन मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करावें, नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं हेतु लागू नहीं)	☐ हाँ ☐ नहीं	
15.	विभाग द्वारा विद्यालय को जारी अंतिम मान्यता/क्रमोन्नति आदेश की प्रति (प्रति संलग्न करें)	☐ हाँ ☐ नहीं	
16.	विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालय को जारी मान्यता/क्रमोन्नति / स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/ माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/संस्था अंतरण आदि के आदेशों की प्रमाणित प्रति।	☐ हाँ ☐ नहीं	
17.	अग्नि शमन यंत्र का बिल	☐ हाँ ☐ नहीं	
18.	फीस एक्ट की पालना किए जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस	☐ हाँ ☐ नहीं	

	समिति के गठन की प्रमाणि प्रति एवं फीस निर्धारण के संबन्ध में पारित प्रस्तावों की प्रति।		
19	आरटीई अन्तर्गत निःशुल्क पर प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षा वार छात्रों की संख्या का विवरण।	☐ हाँ ☐ नहीं	
20	विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हाँ तो विवरण मय प्रति सलंग्न करें।.....	☐ हाँ ☐ नहीं	
21	विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।....	☐ हाँ ☐ नहीं	
22	निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र	☐ हाँ ☐ नहीं	

निरीक्षण दल की टिप्पणी समस्त प्रकार के आवेदनों के संबंध में मय स्पष्ट अभिशंसा पूर्ण सत्यापन के साथ भरी जाये :-

1. हस्ताक्षर निरीक्षण दल अध्यक्ष
(मय दिनांक व मोहर)



2 हस्ताक्षर सदस्य

जि.शि.अ. अनुशंसा प्रपत्र

जिला शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट अनुशंसा :- समस्त प्रकार के आवेदनों के संबंध में मय स्पष्ट अभिशंसा पूर्ण सत्यापन के साथ भरी जाये तथा स्थान परिवर्तन के प्रकरणों में विद्यालय द्वारा पूर्व में बिना विभागीय स्वीकृति के स्थान परिवर्तन कर लिया गया है/नहीं किया गया है का स्पष्ट अंकन करें :-

सत्यापन दल द्वारा विद्यालय के भौतिक सत्यापन उपरान्त प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रमाणित किये गये तथ्यों से मैं संतुष्ट/असंतुष्ट हूँ। सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार सत्यापित तथ्यों एवं संस्था के आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सूचनाओं के अनुसार यह विद्यालय राजस्थान गैर सरकारी अधिनियम 1989, नियम 1993 तथा मान्यता के सम्बंध में जारी अन्य आदेश, परिपत्र एवं निर्देशों के आधार पर उपरोक्त मान्यता दिये जाने योग्य/अयोग्य है।

मैं इस विद्यालय को उपरोक्त मान्यता/क्रमोन्नति दिये जाने की अनुशंसा करता हूँ/करती हूँ अथवा नहीं करता/करती हूँ। अनुशंसा नहीं किये जाने/जांच दल से असहमत होने की स्थिति के निम्नांकित कारण हैं:-

दिनांक



जिला शिक्षा अधिकारी (जिला.....)

माध्यमिक/उमावि स्तर के आवेदन हेतु प्रार्थना पत्र

आवेदन पत्र क्रमांक.....

विद्यालय का नाम.....

**गैर सरकारी विद्यालय की क्रमोन्नति/अति.संकाय/अति. विषय आदि के आवेदन किए जाने हेतु
प्रार्थना पत्र का प्रारूप:-**

श्रीमान् जिला शिक्षा अधिकारी

माध्यमिक शिक्षा (मुख्यालय).....(जिले का नाम)

विषय:- शैक्षिक सत्र 2023-24 से (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति/माध्यम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्गपरिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/अति.संकाय/अति. विषय/दो पारी) के सम्बन्ध में आवेदन।

महोदय

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि(सोसायटी का पूरा नाम) एक विद्यालय.....
.....(विद्यालय का पूरा नाम).....(विद्यालय का पूरा पता) संचालित करती है। सोसायटी विद्यालय के अन्तर्गत (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति/माध्यम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्गपरिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/अति. संकाय/अति.विषय/दो पारी हेतु) आवेदन प्रस्तुत किया जा रहा है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मान्यता शुल्क.....(राशि रुपये में) का ईग्रास चालान..... दिनांक...../...../..... एवं आवश्यक संलग्नकों सहित आवेदन कर अनुरोध है कि विद्यालय को शैक्षिक सत्र 2023-24 से (प्राथमिक से उच्च प्राथमिक/उच्च प्राथमिक से माध्यमिक/माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर की क्रमोन्नति/माध्यम परिवर्तन/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्गपरिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/अतिरिक्त संकाय/अति. विषय/दो पारी) की मान्यता देने का श्रम करें।
धन्यवाद।



सत्यमेव जयते

भवदीय

दिनांक...../...../.....

संलग्न:-उपर्युक्तानुसार

सोसायटी के सचिव के हस्ताक्षर
सोसायटी के सचिव का पूरा नाम)
सोसायटी की मोहर

गैर सरकारी विद्यालय की क्रमोन्नति/स्थान परिवर्तन/अति.माध्यम आदि हेतु आवेदन पत्र-
(माध्यमिक शिक्षा हेतु)

(4)

आवेदन पत्र क्रमांक..... दिनांक..... विद्यालय का नाम.....
जिला..... आवेदन का प्रकार.....

1. क्रमोन्नति:-

क्रमोन्नति:- ○ उच्च प्राथमिक से माध्यमिक ○ माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर	वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है) (मेंडेटरी)	
	○ कक्षा 1-8 ○ कक्षा 1-10	
क्रमोन्नति हेतु विद्यालय में शिक्षण का माध्यम (जिन विद्यालयों द्वारा दोनों माध्यमों में संचालन किया जा रहा है, के लिए लागू) (मेंडेटरी)	माध्यम(मेंडेटरी)	कक्षा स्तर(मेंडेटरी)
	○ हिन्दी ○ अंग्रेजी ○ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों	○ कक्षा 1-10 ○ कक्षा 11-12
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 9 के साथ 10 तथा कक्षा 11 के साथ 12 भी संचालित करना चाहता है ?	○ हाँ	○ नहीं
वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)		○ कक्षा 1-10 ○ कक्षा 11-12
विद्यालय का वर्तमान माध्यम (मेंडेटरी)		○ हिन्दी ○ अंग्रेजी
विद्यालय का वांछित माध्यम		○ हिन्दी ○ अंग्रेजी

2. स्थान परिवर्तन:-

विद्यालय के वर्तमान स्थान (पता) का पूर्ण विवरण:-	स्थान परिवर्तन हेतु वांछित नवीन स्थान का पूर्ण पता:-...	
जिला		
ब्लॉक		
ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.		
ग्राम/ वार्ड		
विद्यालय का स्थान		
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का / किराये का)		
वर्तमान स्थान से वांछित स्थान की दूरी कि.मी. में)		
क्या स्थान परिवर्तन से ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम परिवर्तित हो रही है?	○ हाँ	○ नहीं
• क्या विद्यालय द्वारा बिना विभागीय अनुमति के स्थान परिवर्तन कर लिया गया है ?	○ हाँ	○ नहीं

(4)

3. नाम परिवर्तन:-

विद्यालय का वर्तमान में नाम (i) हिन्दी में (ii) अंग्रेजी में	
विद्यालय द्वारा वांछित परिवर्तित नाम (i) हिन्दी में (ii) अंग्रेजी में	

4. वर्ग परिवर्तन:-

वर्तमान संचालित वर्ग- ○ छात्र ○ छात्रा ○ सहशिक्षा	वांछित वर्ग परिवर्तन - ○ छात्र ○ छात्रा ○ सहशिक्षा
--	---

5. अतिरिक्त माध्यम:-

वर्तमान में संचालित माध्यम एवं वांछित माध्यम का कक्षास्तर वार विवरण—			
माध्यम	कक्षा स्तर		
	वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा आवेदित कक्षा स्तर हेतु वांछित माध्यम— (विद्यालय द्वारा पूर्व प्राथमिक कक्षाएँ संचालित किये जाने की स्थिति में अतिरिक्त माध्यम पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर से ही देय होगा)	
हिन्दी	○ कक्षा 1—5	○ कक्षा 1—5	
	○ कक्षा 1—8	○ कक्षा 1—8	
	○ कक्षा 6—8	○ कक्षा 6—8	
	○ कक्षा 9—10	○ कक्षा 9—10	
	○ कक्षा 9—12	○ कक्षा 9—12	
	○ कक्षा 1—10	○ कक्षा 1—10	
	○ कक्षा 6—10	○ कक्षा 6—10	
	○ कक्षा 6—12	○ कक्षा 6—12	
	○ कक्षा 1—12	○ कक्षा 1—12	
	○ कक्षा 11—12	○ कक्षा 11—12	

सत्यमेव जयते

	अंग्रेजी	☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8 ☐ कक्षा 6-8 ☐ कक्षा 9-10 ☐ कक्षा 9-12 ☐ कक्षा 1-10 ☐ कक्षा 6-10 ☐ कक्षा 6-12 ☐ कक्षा 1-12 ☐ कक्षा 11-12	☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8 ☐ कक्षा 6-8 ☐ कक्षा 9-10 ☐ कक्षा 9-12 ☐ कक्षा 1-10 ☐ कक्षा 6-10 ☐ कक्षा 6-12 ☐ कक्षा 1-12 ☐ कक्षा 11-12
--	----------	--	--

6. अति. संकाय / अति.विषय (संकायवार):-

मान्यता के अनुसार स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय:-		वांछित अतिरिक्त संकाय एवं संकायवार विषय:-	
स्वीकृत संकाय	विद्यालय में मान्यता अनुसार स्वीकृत संकायवार विषय	विद्यालय द्वारा वांछित अतिरिक्त संकाय	वांछित अतिरिक्त संकाय के विषय
☐ कला संकाय	☐ ... ☐ ... ☐ ...	☐ ☐ ☐	☐ ... ☐ ... ☐ ...
☐ विज्ञान संकाय	☐ ... ☐ ... ☐ ...	☐ ☐ ☐	☐ ... ☐ ... ☐ ...
☐ वाणिज्य संकाय	☐ ... ☐ ... ☐ ...	☐ ☐ ☐	☐ ... ☐ ... ☐ ...
☐ कृषि विज्ञान संकाय	☐ ... ☐ ... ☐ ...	☐ ... ☐ ... ☐ ...	☐ ... ☐ ... ☐ ...

7. दो पारी

मान्यता अनुसार संचालित पारी-		विद्यालय द्वारा वांछित पारी-	
☐ एक पारी ☐ दो पारी		☐ दो पारी	
प्रथम पारी		द्वितीय पारी	
माध्यम	कक्षा स्तर	माध्यम	कक्षा स्तर

स

8. तृतीय भाषा

मान्यता अनुसार संचालित तृतीय भाषा— ○ तृतीय भाषा का नाम	विद्यालय द्वारा वांछित अन्य तृतीय भाषा — ○ संस्कृत ○ उर्दू ○ पंजाबी ○ सिन्धी ○ गुजराती
---	---

1. विद्यालय विवरण

सोसाइटी का नाम			
सोसाइटी का परिक्षेत्र			
विद्यालय का नाम		पीएसपी कोड	
जिला		डाइस कोड	
ब्लॉक			
ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.			
ग्राम वार्ड			
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का / किराये का)			
प्लॉट नं./खसरा नं.		विद्यालय का स्थापना वर्ष—	
आसा-पासा		एसटीडी कोड—	
विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)	सत्यमेव जयते		
विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)			
विद्यालय का पूरा पता (अंग्रेजी में)			
ग्राम/शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है		नजदीकी पुलिस थाने का नाम	
ग्राम/शहर का एसटीडी कोड		विद्यालय का फोन नम्बर	
विद्यालय की ई-मेल आईडी		विद्यालय की वेबसाइट	
संस्था प्रधान का नाम		संस्था प्रधान के मोबाईल नम्बर	
क्या विद्यालय मूक बधिर / दृष्टिहीन श्रेणी का है ?	○ हां ○ नहीं	क्या विद्यालय जन जाति क्षेत्र में संचालित है ?	○ हां ○ नहीं
विद्यालय टीएसपी/नोन टीएसपी	○ टीएसपी	○ नोन टीएसपी	
विभाग द्वारा स्वीकृत विद्यालय संचालन की स्थिति	○ एक पारी	○ दो पारी	

24

	माध्यम	कक्षा स्तर	
	○ हिन्दी	○ कक्षा 1-5 ○ कक्षा 1-8 ○ कक्षा 6-8 ○ कक्षा 9-10 ○ कक्षा 9-12 ○ कक्षा 1-10 ○ कक्षा 6-10 ○ कक्षा 6-12 ○ कक्षा 1-12 ○ कक्षा 11-12	
विभाग द्वारा स्वीकृत माध्यम/कक्षा स्तर	○ अंग्रेजी	○ कक्षा 1-5 ○ कक्षा 1-8 ○ कक्षा 6-8 ○ कक्षा 9-10 ○ कक्षा 9-12 ○ कक्षा 1-10 ○ कक्षा 6-10 ○ कक्षा 6-12 ○ कक्षा 1-12 ○ कक्षा 11-12	—

मान्यता के अनुसार स्वीकृत संकाय	विद्यालय में मान्यता अनुसार स्वीकृत संकायवार विषय	
○ कला संकाय	○ सत्यमेव जयते ○ ... ○ ... ○ ...	
○ विज्ञान संकाय	○ ... ○ ... ○ ... ○ ...	
○ वाणिज्य संकाय	○ ... ○ ... ○ ... ○ ...	

(4)

○ कृषि विज्ञान संकाय	○ ○ ○ ○	
अंतिम/अद्यतन विभागीय मान्यता/क्रमोन्नति/स्थान परिवर्तन आदि हेतु जारी आदेश-	क्रमांक.....	दिनांक..
विद्यालय को विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता स्तर		
प्रदत्त मान्यता के अनुसार विद्यालय का वर्ग-	○ छात्र ○ छात्रा ○ सहशिक्षा	
विभाग द्वारा स्वीकृत पारी संचालन	○ एक पारी	○ दो पारी
विद्यालय किस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त है-	○ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान ○ सीबीसीई ○ सीआईएससीई ○ सीएआईईई	
विद्यालय को विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता स्तर	○ कक्षा 1-10 ○ कक्षा 1-12	

2. सोसाइटी की जानकारी:-

सोसाइटी संचालन कर्ता का नाम			
सोसाइटी पंजीयन संख्या		सोसाइटी पंजीयन वर्ष एवं दिनांक	
सोसाइटी का पूरा पता			
सोसाइटी का दूरभाष नम्बर		सत्यमेव जयते	
अध्यक्ष का नाम		अध्यक्ष का मोबाईल नम्बर	
सचिव का नाम		सचिव का मोबाईल नम्बर	
क्या सोसाइटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलने का उल्लेख है अथवा नहीं		○ हाँ	○ नहीं
क्या सोसाइटी की प्रबन्धन समिति की बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है ?		○ हाँ	○ नहीं

(42)

3. विद्यालय भवन से संबंधित जानकारीयां—

विद्यालय भूमि एवं भवन की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का ☐ किराये का ☐ उपहार विलेख पत्र ☐ निःशुल्क / रियायती दर पर आवंटित (i) शहरी (ii) ग्रामीण— (i) ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित आवासीय पट्टा (ii) कृषि भूमि रूपान्तरित है अथवा नहीं	क्या विद्यालय भूमि / भवन / अन्य निर्माण / खेलमैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।	☐ हाँ ☐ नहीं	☐ नहीं
विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है अथवा नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं	—	
विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल खेल मैदान सहित (in sq. Mt.)	विद्यालय के निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल (in sq. Mt.)			
विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	☐ कृषि ☐ आवासीय ☐ वाणिज्यिक ☐ संस्थानिक	खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का ☐ किराये का ☐ सार्वजनिक पार्क	
विद्यालय का खेल मैदान विद्यालय परिसर में है अथवा नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं		
विद्यालय की भूमि मास्टर प्लान में है अथवा नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं		
विद्यालय के लॉगिड्यूड एवं लेटिड्यूड की स्थिति	☐ विद्यालय का संचालित स्थान लॉगिड्यूड लेटिड्यूड	☐ स्थान परिवर्तन की स्थिति में नवीन स्थान हेतु लॉगिड्यूड लेटिड्यूड		
क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	

4

विद्यालय परिसर की भूमि एवं भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता से प्रमाणित है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	अभियंता का नाम	
अभियंता का पद		अभियंता का पदस्थापन स्थान	
अभियंता का मोबाईल नंबर			
भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	☐ हाँ ☐ नहीं	अभियंता का नाम	
अभियंता का पद		अभियंता का पदस्थापन स्थान	
अभियंता का मोबाईल नंबर			
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालात में उपलब्ध है ?		☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाईल टावर है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय भवन, परिसर के उपर से विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?	☐ नल ☐ हेण्डपम्प / ट्यूबेल ☐ टांका ☐ टैंकर द्वारा

4. अन्य विवरण

कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	कक्षा कक्षों की संख्या जो गैर शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	
पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या	पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या	
छात्रों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है		☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय में छात्रों के बैठने हेतु सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है		☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुंच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं ?		☐ हाँ ☐ नहीं
विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है ?		☐ हाँ ☐ नहीं
विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ?		☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है/करेगा ?		☐ हाँ ☐ नहीं

41 -

क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है/करेगा ?	☐ हाँ ☐ नहीं
--	---

5. इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण

कक्ष का विवरण	कक्षा-कक्षों की संख्या	साईज (in. Mt.)	
		लम्बाई (in Mt.)	चौड़ाई (in. Mt.)
शिक्षण हेतु उपलब्ध कक्षा कक्ष(कक्षा कक्षों के संबंध में कक्षा कक्ष एवं प्रत्येक कक्ष की माप हेतु परिशिष्ट संलग्न है)			
प्रधानाध्यापक कक्ष			
कार्यालय कक्ष			
अध्यापक कक्ष			
खेलकूद कक्ष			
भण्डार कक्ष			
सभा भवन			
पुस्तकालय/वाचनालय			
भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष		9	8
रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष		9	8
जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष		9	8
कम्प्यूटर प्रयोगशाला कक्ष			
भूगोल की प्रयोगशाला			
गृह विज्ञान की प्रयोगशाला			
चित्रकला कक्ष			
संगीत कक्ष			
कृषि विज्ञान संकाय		12	8 (कक्षा कक्ष प्रयोगशाला संहति)
कृषि भूमि सुविधा सिंचाई सुविधायुक्त, औजार एवं बीज भण्डार एवं चारागृह		5	3
बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या			
कक्ष -1			
कक्ष -2			
कक्ष -3			
कक्ष -4			
कक्ष -5			
कक्ष -6			
कक्ष -7			
कक्ष -8			
कक्ष -9			
कक्ष -10			
कक्ष -11			
कक्ष -12			
कक्ष -13			

(4)

कक्ष -14			
कक्ष -15			
कक्ष -16			
कक्ष -17			
कक्ष -18			
कक्ष -19			
कक्ष -20			
कक्ष -21			
कक्ष -22			
कक्ष -23			
कक्ष -24			
कक्ष -25			
कक्ष -26			
कक्ष -27			
कक्ष -28			
कक्ष -29			
कक्ष -30			
कक्ष -31			
कक्ष -32			
कक्ष -33			
कक्ष -34			
कक्ष -35			
कक्ष -36			
कक्ष -37			
कक्ष -38			
कक्ष -39			
कक्ष -40			
कक्ष -41			
कक्ष -42			
कक्ष -43			
कक्ष -44			
कक्ष -45			
कक्ष -46			
कक्ष -47			
कक्ष -48			
कक्ष -49			
कक्ष -50			
कक्ष -51			
कक्ष -52			
कक्ष -53			
कक्ष -54			
कक्ष -55			

6. विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण-

44

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी के पिता/पति का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षणिक योग्यता	क्या शिक्षक RTET/REET/CTET योग्यता रखता है	नियुक्ति तिथि	सैकण्डरी परीक्षा रोल नंबर	सैकण्डरी उत्तीर्ण वर्ष	कर्मचारी का मोबाइल नंबर	कर्मचारी का वर्तमान विषय
1	पूर्ववत												
2													
3													
4													

7. गत तीन वित्तीय वर्षों का आय/व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	आय	व्यय	सरप्लस/डेफिसिट
1.	2020-21			
2.	2021-22			
3.	2022-23			

8. शुल्क का विवरण - सामान्य शुल्क/विलम्ब शुल्क:-

मान्यता/क्रमोन्नतिशुल्क/स्थान परिवर्तन/नामपरिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/माध्यमपरिवर्तन/अतिरिक्त माध्यम/दोपारी/अतिरिक्त संकाय/अतिरिक्त विषय		इंग्रस चालान नं. / दिनांक...		बैंक/ब्रांच	-
बालिका फाउण्डेशन		डी.डी.नं./दिनांक		बैंक/ब्रांच	-
सावधि जमा (FD)		डी.डी.नं./दिनांक		बैंक/ब्रांच	-

आवेदन पत्र के साथ पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:-

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज संलग्न की स्थिति
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
02.	सोसायटी के विधान की प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं

(5)

03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
04.	नवीन मान्यता/कमोन्नति- उ.प्रा., मा. तथा उ. मा.स्तर)/स्थान परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/ माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/संस्था अंतरण आदि के संबंध में प्रबन्ध कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
05.	विद्यालय को पूर्व में विभाग द्वारा जारी समस्त प्रकार की मान्यता/कमोन्नति आदि के आदेशों की सत्यापित प्रतियाँ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)	☐ हाँ ☐ नहीं
05.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रति हस्ताक्षरित नजरी/पैमाइशी नक्शा के साथ (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे एवं भूमि के मालिकाना दस्तावेज की सत्यापित प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण के आदेश की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
	विद्यालय भवन/भूमि का प्रकार-आवासीय/कृषि/व्यावसायिक है तो संबंधित दस्तावेज।	☐ हाँ ☐ नहीं
09.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
10.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की समस्त भूमि (जो एक ही परिसर में स्थित हो) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यूडी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम, भूमि का प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट	☐ हाँ ☐ नहीं

	अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।	
11.	विद्यालय की आय-व्यय की सी.ए. द्वारा गत तीन वर्षों की प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)	☐ हाँ ☐ नहीं
12.	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।	☐ हाँ ☐ नहीं
13.	मान्यता शुल्क का ई-ग्रास चालान	☐ हाँ ☐ नहीं
14.	विद्यालय की स्थापना वर्ष (नवीन मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करावें, नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं हेतु लागू नहीं)	☐ हाँ ☐ नहीं
15.	विभाग द्वारा विद्यालय को जारी अंतिम मान्यता/कमोन्नति आदेश की प्रति (प्रति संलग्न करें)	☐ हाँ ☐ नहीं
16.	विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालय को जारी मान्यता/कमोन्नति/स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन आदि के आदेशों की प्रमाणित प्रति।	☐ हाँ ☐ नहीं
17.	अग्नि शमन यंत्र का बिल	☐ हाँ ☐ नहीं
18.	फीस एक्ट की पालना किए जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति।	☐ हाँ ☐ नहीं
19.	आरटीई अन्तर्गत निःशुल्क पर प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षा वार छात्रों की संख्या का विवरण।	☐ हाँ ☐ नहीं
20.	विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हाँ तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....	☐ हाँ ☐ नहीं
21.	विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।...	☐ हाँ ☐ नहीं
22.	निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र	☐ हाँ ☐ नहीं
23.	विद्यालय में नियमानुसार योग्यताधारी प्रशिक्षित	☐ हाँ

4

	शिक्षको/गैर शैक्षणिक स्टाँफ के नियुक्ति आदेश की प्रति आवेदन के साथ संलग्न	○ नहीं
24	मान्यता/क्रमोन्नति/अति.माध्यम आदि के समर्पित किए जाने की स्थिति में मान्यता/क्रमोन्नति/अति.माध्यम आदि के विभाग द्वारा जारी आदेश संलग्न	○ हाँ ○ नहीं

आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर/संबन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र को विभाग द्वारा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा।

24

हस्ताक्षर
(सोसाइटी सचिव)
मोहर



संलग्नक-1

शपथ पत्र का प्रारूप

(नोट:-प्रारम्भिक एवं माध्यमिक स्तर की समस्त प्रकार की मान्यताओं के लिए)

(यह शपथ पत्र 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर नोटरी से प्रमाणित करवाकर आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना है)

मैं.....पिता/पति.....सोसायटी का पुरा नाम व पता.....
के सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। इस सोसाइटी द्वारा संचालित विद्यालय(संस्था) का नाम व पता.....
के सम्बन्ध में, मैं शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि-

01. संस्था भवन में बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-2 शौचालय व मूत्रालय एवं शुद्ध पेयजल की पर्याप्त व्यवस्था है।
02. संस्था के प्रबन्ध मण्डल/सदस्य साम्प्रदायिक एवं राजनैतिक गतिविधियों में भाग नहीं लेते हैं तथा ना ही भविष्य में भाग लेंगे।
03. संस्था भवन में अग्नि शमन यंत्र स्थापित कर दिया गया है। (रसीद संलग्न है)
04. संस्था परिसर में किसी प्रकार का मोबाईल टॉवर लगा हुआ नहीं है।
05. संस्था भवन व परिसर के ऊपर एवं आस-पास से विद्युत की हाई टेन्शन लाईन नहीं गुजर रही है।
06. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था है एवं समय-समय पर स्वास्थ्य परीक्षण करवाया जाता है।
07. संस्था द्वारा राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था अधिनियम, 1989 एवं राजस्थान गैर-सरकारी शैक्षिक संस्था (मान्यता, सहायता, अनुदान और सेवा शर्तें आदि) नियम, 1993 तथा बोर्ड की मान्यता संबंधी सभी भौतिक एवं वित्तीय शर्तों की पालना की जायेगी।
08. संस्था द्वारा निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 एवं राजस्थान निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम, 2011 की पालना की जायेगी।
09. संस्था में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं के लिए शारीरिक एवं स्वास्थ्य शिक्षा तथा खेलकूद, मनोरंजन की व्यवस्था की जायेगी।
10. संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तको द्वारा ही अध्ययन करवाया जायेगा।
11. संस्था द्वारा राज्य सरकार/स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर का पालन किया जायेगा।
12. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 की पालना की जायेगी तथा विद्यार्थियों से निर्धारित फीस ही ली जायेगी।
13. संस्था के विरुद्ध न्यायालय में किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है तथा कोई भी विभागीय जांच लम्बित नहीं है।
14. संस्था के आस-पास का वातावरण प्रदूषण रहित है।
15. संस्था में सभी शिक्षक पूर्ण रूप से योग्यताधारी एवं विषयानुसार नियुक्त हैं।
16. संस्था द्वारा किसी प्रकार के राज्य/विभाग के आदेशों की पालना नहीं किये जाने पर संस्था की मान्यता निरस्त कर नियमों के अन्तर्गत संस्था के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा।
17. विद्यालय में अध्ययन करने वाले प्रत्येक विद्यार्थी का प्रतिवर्ष विद्यार्थी दुर्घटना बीमा करवाया जायेगा।
18. विद्यालय संचालन समिति द्वारा विद्यार्थियों के आवागमन हेतु वाहन सुविधा उपलब्ध करवाने की स्थिति में वाहन का पंजीकरण बाल वाहिनी के रूप में करवाया जायेगा तथा विद्यार्थियों की सुरक्षा संबंधी नियमों का पूर्ण पालन किया जायेगा।

(4)

19. संस्था द्वारा राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) अधिनियम, 2016 एवं राजस्थान विद्यालय (फीस का विनिमयन) नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार विद्यालय की फीस निर्धारित कर प्राईवेट स्कूल पोर्टल पर प्रविष्टि कर दी गई है/नवीन मान्यता की स्थिति में प्रविष्टि कर दी जायेगी।
20. विद्यालय द्वारा शिक्षा का अधिकार 2009 की धारा 12(1)ग के अंतर्गत 25 प्रतिशत निःशुल्क सीटों हेतु प्रवेश दिया जा रहा है। तथा इनसे किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया गया है। संस्था द्वारा भविष्य में भी इस अधिनियम की अक्षरशः पालना की जायेगी।
21. विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों के लिये रैम्प निर्धारित मापदण्डानुसार बना हुआ है। विद्यालय द्वारा Rehabilities of Persons With Disabilities Act 2016 की पूर्ण पालना की जाएगी।
22. संस्था में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है।
23. संस्था में लिपिक, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं विषयवार प्रयोगशाला सहायको की नियमानुसार नियुक्ति कर दी गई है।
24. संस्था में कम्प्यूटर व इंटरनेट (ब्राडबैंड) की व्यवस्था कर दी गई है।
25. संस्था द्वारा बिना विभाग की अनुमति के उच्च कक्षाएँ संचालित नहीं की जायेगी।
26. संस्था में नियुक्त अध्यापकों के वेतन से नियमानुसार पी.एफ. की कटौती की जायेगी।
27. जिस भूमि पर विद्यालय संचालन हेतु आवेदन किया जा रहा है उस भूमि पर आवेदित संस्था द्वारा पूर्व में कोई विद्यालय संचालन/अन्य शैक्षणिक अथवा गैर शैक्षणिक गतिविधि का संचालन नहीं किया जा रहा हो। (भूमि स्वयं की होने पर)
28. विद्यालय हेतु प्रयुक्त भूमि एवं भवन पर अन्य कोई विद्यालय, कॉलेज, कोचिंग, अस्पताल, आवास रूप में एवं अन्य कोई गतिविधि का संचालन नहीं किया जा रहा है।
29. विद्यालय में कार्यरत किसी भी शैक्षणिक/गैर शैक्षणिक स्टाफ/कर्मिक के विरुद्ध POCSO Act, 2012 juvenile justice act 2015 and Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 and Child Labour Amendment (Prohibition and Regulation) Act, 2016 आदि में से किसी भी धाराओं में मामला दर्ज नहीं है ना ही पूर्व में दण्डित किया गया है।

यह है कि शपथ पत्र के बिन्दु संख्या.....से.....में वर्णित कथन मेरी जानकारी के अनुसार पूर्ण सत्य है।


सत्यमेव जयते

सचिव
समिति का नाम.....
समिति का रजिस्ट्रेशन नम्बर व वर्ष

निरीक्षण प्रतिवेदन

गैर सरकारी विद्यालय की क्रमोन्नति/स्थान परिवर्तन/अति.माध्यम आदि हेतु आवेदन पत्र—(माध्यमिक शिक्षा हेतु)

नोट:—(निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय द्वारा भरी गई सूचनाएँ, भौतिक निरीक्षण एवं संलग्न दस्तावेजों का मिलान कर सत्यापन किया जाना अनिवार्य रहेगा। मान्यता/क्रमोन्नति के दिशा-निर्देशों का भली भाँति अध्ययन कर तदनुरूप ही निरीक्षण प्रतिवेदन भरा जावे।)

आवेदन पत्र क्रमांक.....दिनांक.....विद्यालय का नाम.....जिला.....

आवेदन का प्रकार

1.क्रमोन्नति:—

क्रमोन्नति:— ☐ उच्च प्राथमिक से माध्यमिक ☐ माध्यमिक से उच्च माध्यमिक स्तर	वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है) (मेंडेटरी) ☐ कक्षा 1-8 ☐ कक्षा 1-10	निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन (Yes/No)
क्रमोन्नति हेतु विद्यालय में शिक्षण का माध्यम (जिन विद्यालयों द्वारा दोनों माध्यमों में संचालन किया जा रहा है, के लिए लागू) (मेंडेटरी)	माध्यम(मेंडेटरी) ☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी ☐ हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों	कक्षा स्तर(मेंडेटरी) ☐ कक्षा 1-10 ☐ कक्षा 11-12
क्या विद्यालय मान्यता वर्ष से ही कक्षा 9 के साथ 10 तथा कक्षा 11 के साथ 12 भी संचालित करना चाहता है ?	☐ हां ☐ नहीं	
वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	कक्षा 1-10 कक्षा 11-12	
विद्यालय का वर्तमान माध्यम (मेंडेटरी)	☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी	
विद्यालय का वांछित माध्यम		

(4)

2.स्थान परिवर्तन

	विद्यालय के वर्तमान स्थान (पता) का पूर्ण विवरण-	स्थान परिवर्तन हेतु वांछित नवीन स्थान का पूर्ण पता:-.....
	जिला	
	ब्लॉक	
	ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.	
	ग्राम वार्ड	
	विद्यालय का स्थान	
	विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का / किराये का)	
	वर्तमान स्थान से वांछित स्थान की दूरी कि.मी. में)	
	क्या स्थान परिवर्तन से ग्राम पंचायत/नगरपालिका/नगर परिषद/नगर निगम परिवर्तित हो रही है?	☐ हाँ ☐ नहीं
	• क्या विद्यालय द्वारा बिना विभागीय अनुमति के स्थान परिवर्तन कर लिया गया है?	☐ हाँ ☐ नहीं

3.नाम परिवर्तन

विद्यालय का वर्तमान में नाम	
विद्यालय द्वारा वांछित परिवर्तित नाम	

4.वर्ग-परिवर्तन

वर्तमान संचालित वर्ग- ☐ छात्र ☐ छात्रा ☐ सहशिक्षा	वांछित वर्ग परिवर्तन - ☐ छात्र ☐ छात्रा ☐ सहशिक्षा
वर्तमान में संचालित माध्यम एवं वांछित माध्यम का कक्षा स्तरवार विवरण-	

(42)

5. अतिरिक्त माध्यम			
	माध्यम	कक्षा स्तर	
		वर्तमान में विद्यालय की श्रेणी (विद्यालय किस कक्षा से किस कक्षा तक संचालित है)	विद्यालय द्वारा आवेदित कक्षा स्तर हेतु वांछित माध्यम— (अतिरिक्त माध्यम कक्षा 1 से ही देय होगा)
	हिन्दी	○ कक्षा 1-5 ○ कक्षा 1-8 ○ कक्षा 6-8 ○ कक्षा 9-10 ○ कक्षा 9-12 ○ कक्षा 1-10 ○ कक्षा 6-10 ○ कक्षा 6-12 ○ कक्षा 1-12 ○ कक्षा 11-12	○ कक्षा 1-5 ○ कक्षा 1-8 ○ कक्षा 6-8 ○ कक्षा 9-10 ○ कक्षा 9-12 ○ कक्षा 1-10 ○ कक्षा 6-10 ○ कक्षा 6-12 ○ कक्षा 1-12 ○ कक्षा 11-12
	अंग्रेजी	○ कक्षा 1-5 ○ कक्षा 1-8 ○ कक्षा 6-8 ○ कक्षा 9-10 ○ कक्षा 9-12 ○ कक्षा 1-10 ○ कक्षा 6-10 ○ कक्षा 6-12 ○ कक्षा 1-12 ○ कक्षा 11-12	○ कक्षा 1-5 ○ कक्षा 1-8 ○ कक्षा 6-8 ○ कक्षा 9-10 ○ कक्षा 9-12 ○ कक्षा 1-10 ○ कक्षा 6-10 ○ कक्षा 6-12 ○ कक्षा 1-12 ○ कक्षा 11-12



6. अति. संकाय / अति. विषय (संकायवार)

मान्यता के अनुसार स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय:-		वांछित अतिरिक्त संकाय एवं संकायवार विषय:-		
स्वीकृति संकाय	विद्यालय में मान्यता अनुसार स्वीकृत संकायवार विषय	विद्यालय द्वारा वांछित अतिरिक्त संकाय	वांछित अतिरिक्त संकाय के विषय	
○ कला संकाय	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
○ विज्ञान संकाय	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
○ वाणिज्य संकाय	○ ... ○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	
○ कृषि विज्ञान संकाय	○ ○ ○	○ ○ ○	○ ○ ○	

7. दो पारी

मान्यता अनुसार संचालित पारी- ○ एक पारी ○ दो पारी		विद्यालय द्वारा वांछित पारी- ○ दो पारी	
प्रथम पारी		द्वितीय पारी	
माध्यम	कक्षा स्तर	माध्यम	कक्षा स्तर

8. तृतीय भाषा

मान्यता अनुसार संचालित तृतीय भाषा- ○ तृतीय भाषा का नाम	विद्यालय द्वारा वांछित तृतीय भाषा - ○ संस्कृत ○ उर्दू ○ पंजाबी ○ सिन्धी

✓

○ गुजराती

विद्यालय विवरण

विद्यालय विवरण के सभी क्षेत्रों को भरना अनिवार्य होगा।

1. विद्यालय से सम्बंधित जानकारी:-

—	—	—	—	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
सोसाइटी का नाम				
सोसाइटी का परिक्षेत्र				
विद्यालय का नाम		पीएसपी कोड		
जिला		डाइस कोड		
ब्लॉक				
ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.				
ग्राम वार्ड				
		एसटीडी कोड		
विद्यालय में भवन की				
स्थिति (स्वयं सोसाइटी का /किराये का)				
प्लॉट न./खसरा न.		विद्यालय का स्थापना वर्ष—		
आसा-पासा				
विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)	सत्यमेव जयते			
विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)				
विद्यालय का पूरा पता (अंग्रेजी में)				
ग्राम/शहर का पिन कोड जहां विद्यालय स्थित है		नजदीकी पुलिस थाने का नाम		
ग्राम/शहर का एसटीडी कोड		विद्यालय का फोन नम्बर		
विद्यालय की ई-मेल आईडी		विद्यालय की वेबसाइट		
संस्था प्रधान का नाम		संस्था प्रधान के मोबाईल नम्बर		
क्या विद्यालय मूक बधिर	○ हाँ	क्या विद्यालय जन	○ हाँ	

(4)

/दृष्टिहीन श्रेणी का है ?	☐ नहीं	जाति क्षेत्र में संचालित है ?	☐ नहीं	
विद्यालय टीएसपी/नोन टीएसपी	☐ टीएसपी	☐ नोन टीएसपी		
विभाग द्वारा स्वीकृत विद्यालय संचालन की स्थिति	☐ एक पारी	☐ दो पारी		
विभाग द्वारा स्वीकृत माध्यम/कक्षा स्तर	माध्यम	कक्षा स्तर		
	☐ हिन्दी	कक्षा 1-5 कक्षा 1-8 कक्षा 6-8 कक्षा 9-10 कक्षा 9-12 कक्षा 1-10 कक्षा 6-10 कक्षा 6-12 कक्षा 1-12 कक्षा 11-12	-	
	अंग्रेजी	कक्षा 1-5 कक्षा 1-8 कक्षा 6-8 कक्षा 9-10 कक्षा 9-12 कक्षा 1-10 कक्षा 6-10 कक्षा 6-12 कक्षा 1-12 कक्षा 11-12		
मान्यता के अनुसार स्वीकृत संकाय	विद्यालय में मान्यता अनुसार स्वीकृत संकायवार विषय			
☐ कला संकाय	☐ ☐ ☐ ☐			
☐ विज्ञान संकाय	☐ ☐			

(4)

	☐ ☐		
○ वाणिज्य संकाय	☐ ... ☐ ☐ ☐		
○ कृषि विज्ञान संकाय	☐ ☐ ☐ ☐		
अंतिम/अद्यतन विभागीय मान्यता/ क्रमोन्नति/ स्थान परिवर्तन आदि हेतु जारी आदेश-	क्रमांक.... ..	दिनांक...	
विद्यालय को विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता स्तर			
प्रदत्त मान्यता के अनुसार विद्यालय का वर्ग-	☐ छात्र ☐ छात्रा ☐ सहशिक्षा		
विभाग द्वारा स्वीकृत पारी संचालन	☐ एक पारी ☐ दो पारी		
विद्यालय किस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त है-	☐ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, राजस्थान ☐ सीबीसीई ☐ सीआईएससीई ☐ सीएआईई		
विद्यालय को विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता स्तर	☐ कक्षा 1-10 ☐ कक्षा 1-12		
विभाग द्वारा प्रदत्त मान्यता उपरांत विद्यालय द्वारा (विभाग द्वारा स्वीकृति उपरांत) किए गए नाम परिवर्तन की सूचना:-			
1	2	3	4
विद्यालय का नाम	कॉलम संख्या 01 में अंकित नाम से विद्यालय के संचालन की अवधि	कॉलम संख्या 02 में अंकित अवधि के अनुसार विद्यालय संचालित करने वाली संस्था का नाम	विद्यालय संचालित करने वाली संस्था का परिक्षेत्र..... ..

2 सोसाइटी की जानकारी:-

सोसाइटी का नाम			सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
सोसाइटी पंजीयन संख्या	सोसाइटी पंजीयन वर्ष एवं दिनांक		
सोसाइटी का पूरा पता			
सोसाइटी का दूरभाष नम्बर			
अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष का मोबाईल नम्बर		
सचिव का नाम	सचिव का मोबाईल नम्बर		
क्या सोसाइटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण संस्था खोलने का उल्लेख है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं	
क्या सोसाइटी की प्रबन्धन समिति की बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है ?	☐ हाँ	☐ नहीं	

3. विद्यालय भवन से संबंधित जानकारियां-

विद्यालय भूमि एवं भवन की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का ☐ किराये का ☐ उपहार विलेख पत्र ☐ निःशुल्क/रियायती दर पर आवंटित I शहरी II ग्रामीण- (i) ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित आवासीय पट्टा (ii) कृषि भूमिरूपान्तरित है अथवा नहीं	क्या विद्यालय भूमि/भवन/अन्य निर्माण/खेल मैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए सजाते हैं। जयते	☐ हाँ ☐ नहीं	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं	-	
विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल खेल मैदान सहित (in sq. Mt.)		विद्यालय के निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल (in sq. Mt.)		

4

विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	☐ कृषि ☐ आवासीय ☐ वाणिज्यिक ☐ संस्थानिक	खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का किराये का ☐ सार्वजनिक पार्क	पार्क की विद्यालय से दूरी:-
विद्यालय का खेल मैदान विद्यालय परिसर में है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं		
विद्यालय की भूमि मास्टर प्लान में है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं		
विद्यालय के लॉगिड्यूड एवं लेटिड्यूड की स्थिति	☐ विद्यालय का संचालित स्थान लॉगिड्यूड लेटिड्यूड	☐ स्थान परिवर्तन की स्थिति में नवीन स्थान हेतु लॉगिड्यूड लेटिड्यूड		
क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय परिसर की भूमि एवं भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता से प्रमाणित है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	अभियंता का नाम		
अभियंता का पद	सत्यमेव जयते	अभियंता का पदस्थापन स्थान		
अभियंता का मोबाईल नंबर				
भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	☐ हाँ ☐ नहीं	अभियंता का नाम		
अभियंता का पद		अभियंता का पदस्थापन स्थान		
अभियंता का मोबाईल नंबर				
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालात में उपलब्ध है ?				☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाईल टावर है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय भवन, परिसर के ऊपर से विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	

विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?	☐ नल ☐ हेण्डपम्प/ट्यूबवेल ☐ टांकाटैंकर द्वारा
---	---	---	---

4. अन्य विवरण

कक्षा कक्षों की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं		कक्षा कक्षों की संख्या जो गैर शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं		सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या		पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या		
छात्रों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है		☐ हाँ ☐ नहीं		
क्या विद्यालय में छात्रों के बैठने हेतु सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है		☐ हाँ ☐ नहीं		
क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुंच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं ?		☐ हाँ ☐ नहीं		
विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है ?		☐ हाँ ☐ नहीं		
विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ?		☐ हाँ ☐ नहीं		
क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है/करेगा ?		☐ हाँ ☐ नहीं		
क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कैलेंडर का अनुसरण करता है/करेगा ?		☐ हाँ ☐ नहीं		
विद्यालय भवन एवं खेल मैदान ब्लू प्रिंट अनुसार है अथवा नहीं ?		☐ हाँ ☐ नहीं		

5. इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण

कक्ष का विवरण	कक्षा-कक्षों की संख्या	साईज (in Mt.)		सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)	
		लम्बाई (in. Mt.) 6*8 वर्ग मीटर	चौड़ाई (in. Mt.) 6*8 वर्ग मीटर	लम्बाई (in. Mt.) 6*8 वर्ग मीटर	चौड़ाई (in. Mt.) 6*8 वर्ग मीटर
शिक्षण हेतु उपलब्ध कक्षा					

4

कक्ष(कक्षा कक्षाओं के संबंध में कक्षा कक्ष एवं प्रत्येक कक्ष की माप हेतु परिशिष्ट संलग्न है)					
प्रधानाध्यापक कक्ष					
कार्यालय कक्ष					
अध्यापक कक्ष					
खेलकूद कक्ष					
भण्डार कक्ष					
सभा भवन					
पुस्तकालय/वाचनालय					
भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष					
रसायन विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष					
जीव विज्ञान प्रयोगशाला कक्ष					
कम्प्यूटर प्रयोगशाला कक्ष					
भूगोल की प्रयोगशाला					
गृह विज्ञान की प्रयोगशाला					
चित्रकला कक्ष					
संगीत कक्ष					
कृषि विज्ञान संकाय में कृषि विषय के लिए अतिरिक्त प्रयोगशाला:कृषि भूमि सुविधा सिंचाई सुविधायुक्त, औजार एवं बीज भण्डार।					
पूर्व प्राथमिक कक्षा- पी 3+					
पूर्व प्राथमिक कक्षा- पी 4+					
पूर्व प्राथमिक कक्षा- पी 5+					
कक्ष-1					
कक्ष-2					
कक्ष -3					
कक्ष -4					
कक्ष -5					
कक्ष -6					
कक्ष -7					
कक्ष -8					
कक्ष -9					
कक्ष -10					
कक्ष -11					
कक्ष -12					
कक्ष -13					
कक्ष -14					
कक्ष -15					
कक्ष -16					



कक्ष -17					
कक्ष -18					
कक्ष -19					
कक्ष -20					
कक्ष -21					
कक्ष -22					
कक्ष -23					
कक्ष -24					
कक्ष -25					
कक्ष -26					
कक्ष -27					
कक्ष -28					
कक्ष -29					
कक्ष -30					
कक्ष -31					
कक्ष -32					
कक्ष -33					
कक्ष -34					
कक्ष -35					
कक्ष -36					
कक्ष -37					
कक्ष -38					
कक्ष -39					
कक्ष -40					
कक्ष -41					
कक्ष -42					
कक्ष -43					
कक्ष -44					
कक्ष -45					
कक्ष -46					
कक्ष -47					
कक्ष -48					
कक्ष -49					
कक्ष -50					
कक्ष -51					
कक्ष -52					
कक्ष -53					
कक्ष -54					
कक्ष -55					
बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय/मूत्रालय की संख्या					

14

6.विद्यार्थियों का कक्षा वार नामांकन विवरण:-

क्र. सं.	कक्षा	विद्यार्थी नामांकन	उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
1.	पूर्व प्राथमिक कक्षा- पी 3			
2.	पूर्व प्राथमिक कक्षा- पी 4			
3.	पूर्व प्राथमिक कक्षा- पी 5			
4.	कक्षा-1			
5.	कक्षा-2			
6.	कक्षा-3			
7.	कक्षा-4			
8.	कक्षा-5			
9.	कक्षा-6			
10.	कक्षा-7			
11.	कक्षा-8			
12.	कक्षा-9			
13.	कक्षा-10			
14.	कक्षा-11 (कला संकाय)			
15.	कक्षा-11(विज्ञान संकाय)			
16.	कक्षा-11 (वाणिज्य संकाय)			
19.	कक्षा-11(कृषि संकाय)			
20.	कक्षा-12(कला संकाय)			
21.	कक्षा-12(विज्ञान संकाय)			
22.	कक्षा-12(वाणिज्य संकाय)			
23.	कक्षा-12 (कृषि विज्ञान संकाय)			

सत्यमेव जयते

6. विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण—

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी के पिता/पति का नाम	पदनाम	जन्मतिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशैक्षणिक योग्यता	सत्यापन दल द्वारा सत्यापन
1	पूर्ववत							
2								
3								
4								

7. गत तीन वित्तीय वर्षों का आय/व्यय का विवरण

क्र.सं.	वर्ष	आय	व्यय	सरप्लस/डेफिसिट	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
1.	2020-21				
2.	2021-22				
3.	2022-23				

सत्यमेव जयते

8. आवेदन पत्र के साथ पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण:—

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज संलग्न की स्थिति	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी पत्रावली की पृष्ठ संख्या के साथ (हां/नहीं)
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
02.	सोसायटी के विधान की प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के	☐ हाँ	

	सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ नहीं	
04.	नवीन मान्यता/क्रमोन्नति- उ.प्रा., मा. तथा उ.मा. स्तर)/स्थान परिवर्तन/ नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/ माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन आदि के संबंध में प्रबन्ध कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
05.	विद्यालय को पूर्व में विभाग द्वारा जारी समस्त प्रकार की मान्यता/क्रमोन्नति आदि के आदेशों की सत्यापित प्रतियाँ (नवीन मान्यता के आवेदन में आवश्यक नहीं)	☐ हाँ ☐ नहीं	
06.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रति हस्ताक्षरित नजरी/पैमाइशी नक्शा के साथ (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
07.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनाम एवं भूमि के मालिकाना दस्तावेज की सत्यापित प्रति। (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
08.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से संस्थानिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण के आदेश की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
09.	विद्यालय भवन/भूमि का प्रकार-आवासीय/कृषि/व्यावसायिक है तो संबंधित दस्तावेज।	☐ हाँ ☐ नहीं	
10.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति (संस्था सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
11.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की समस्त भूमि (जो एक ही परिसर में स्थित हो) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यूडी द्वारा जारी किया हो। जिसमें संस्था का नाम तथा विद्यालय का नाम, भूमि का प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।	☐ हाँ ☐ नहीं	
12.	विद्यालय की आय-व्यय की सी.ए. द्वारा गत तीन वर्षों	☐ हाँ	

4

	की प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)	☐ नहीं	
13.	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।	☐ हाँ ☐ नहीं	
14	मान्यता शुल्क का ई-ग्रास चालान	☐ हाँ ☐ नहीं	
15	विद्यालय की स्थापना वर्ष (नवीन मान्यता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करावें, नवीन मान्यता हेतु आवेदन करने वाली संस्थाओं हेतु लागू नहीं)	☐ हाँ ☐ नहीं	
16	विभाग द्वारा विद्यालय को जारी अंतिम मान्यता/कमोन्नति आदेश की प्रति (प्रति संलग्न करें)	☐ हाँ ☐ नहीं	
17	विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालय को जारी मान्यता/कमोन्नति/स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन आदि के आदेशों की प्रमाणित प्रति।	☐ हाँ ☐ नहीं	
18	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र	☐ हाँ ☐ नहीं	
19	फीस एक्ट की पालना किए जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति।	☐ हाँ ☐ नहीं	
20	आरटीई अन्तर्गत नि:शुल्क पर प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षा वार छात्रों की संख्या का विवरण।	☐ हाँ ☐ नहीं	
21	विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हाँ तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....	☐ हाँ ☐ नहीं	
22	विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।	☐ हाँ ☐ नहीं	
23	निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र	☐ हाँ ☐ नहीं	
24	विद्यालय में नियमानुसार योग्यताधारी प्रशिक्षित शिक्षको/गैर शैक्षणिक स्टाफ के नियुक्ति आदेश की प्रति आवेदन के साथ संलग्न	☐ हाँ ☐ नहीं	

निरीक्षण दल की टिप्पणी समस्त प्रकार के आवेदनों के संबंध में मय स्पष्ट अभिशंसा पूर्ण सत्यापन के साथ भरी जाये

हस्ताक्षर निरीक्षण दल अध्यक्ष
(मय दिनांक व मोहर)

हस्ताक्षर सदस्य

हस्ताक्षर सदस्य

जिला शिक्षा अधिकारी का अभिशंसा प्रपत्र

जिला शिक्षा अधिकारी की स्पष्ट अभिशंसा:- समस्त प्रकार के आवेदनों के संबंध में मय स्पष्ट अभिशंसा पूर्ण सत्यापन के साथ की जाये तथा स्थान परिवर्तन के प्रकरणों में विद्यालय द्वारा पूर्व में बिना विभागीय स्वीकृति के स्थान परिवर्तन कर लिया गया है ☐ / नहीं ☐ किया गया ☐ स्पष्ट अंकन करें:-

1. बिना विभागीय स्वीकृति के स्थान परिवर्तन कर लिया गया ☐ - ☐ -
2. विद्यालय की भूमि मास्टर प्लान ☐ - अथवा ☐ -
3. आवेदन करने वाले विद्यालय के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच / राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग / राज्य मानव अधिकार आयोग आदि के प्रकरणों के सम्बन्ध में जारी दण्डादेश प्रभाव ☐ ☐
4. सत्यापन दल द्वारा विद्यालय के भौतिक सत्यापन उपरान्त प्रस्तुत निरीक्षण प्रतिवेदन में प्रमाणित किये गये तथ्यों से मैं संतुष्ट / असंतुष्ट हूँ। सत्यापन प्रतिवेदन के अनुसार सत्यापित तथ्यों एवं संस्था के आवेदन पत्र में प्रस्तुत की गई सूचनाओं के अनुसार यह विद्यालय राजस्थान गैर सरकारी अधिनियम 1989, नियम 1993 तथा मान्यता के सम्बन्ध में जारी अन्य आदेश, परिपत्र एवं निर्देशों के आधार पर उपरोक्त मान्यता दिये जाने योग्य- ☐ अयोग्य है- ☐

मैं इस विद्यालय को उपरोक्त मान्यता / क्रमोन्नति दिये जाने की अभिशंसा करता हूँ / करती हूँ- ☐ अथवा नहीं करता / करती हूँ- अभिशंसा नहीं किये जाने / जांच दल से असहमत होने की स्थिति के निम्नांकित कारण है:-

(हस्ताक्षर)

दिनांक :

जिला शिक्षा अधिकारी
मुख्यालय माध्यमिक शिक्षा
जिला.....

वर्चुअल स्कूल (VIRTUAL SCHOOL) हेतु आवेदन पत्र (सत्र 2023-24)

वर्चुअल विद्यालय का नाम (हिन्दी में)
(IN English)

वर्चुअल विद्यालय का पता

जिला

राज्य राजस्थान

सोसाइटी का नाम

क्या सोसाइटी, राजस्थान सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1958 / राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के तहत रजिस्टर्ड है ☐ हाँ ☐ नहीं

सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन नं. रजिस्ट्रेशन दिनांक

वर्चुअल विद्यालय सोसाइटी की जानकारी:-

सोसाइटी पंजीयन संख्या	सोसाइटी पंजीयन वर्ष एवं दिनांक	
सोसाइटी का पूरा पता	सत्यमेव जयते	
सोसाइटी का दूरभाष नम्बर		
अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष का मोबाईल नम्बर	
सचिव का नाम	सचिव का मोबाईल नम्बर	
क्या सोसाइटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण सोसाइटी खोलने का उल्लेख है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं
क्या सोसाइटी की प्रबन्धन समिति की बैठक में इस विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है ?	☐ हाँ	☐ नहीं

(4)

क्या सोसाइटी का किसी गैर सरकारी मान्यता प्राप्त विद्यालय से MOU हो रखा है ☐ हाँ ☐ नहीं

आवेदन का प्रकार :-

select

- ☐ कक्षा 9-10
- ☐ कक्षा 11-12
- ☐ कक्षा 9-12

माध्यम

☐ हिन्दी

☐ अंग्रेजी

☐ दोनों

वर्चुअल स्कूल की मान्यता से संबंधी न्यूनतम भौतिक मानदण्ड एवं शर्तें

1- Digital classroom Studio की संख्या

2- E-library ☐ हाँ ☐ नहीं

3- Online अध्ययन हेतु विषयवार योग्यता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति ☐ हाँ ☐ नहीं

4. वर्चुअल विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण-

क्र.सं.	पदनाम	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी के पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशिक्षण योग्यता	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित किया जाये (Yes/No)	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1									
2									
3									
4									

5- High Quality & frequency Network की व्यवस्था ☐ हाँ ☐ नहीं

6- सोसाइटी के पास स्वयं के Well developed website /mobile app है। ☐ हाँ ☐ नहीं

(4)

7- शुल्क का विवरण –सामान्य शुल्क/विलम्ब शुल्क:-

		ईग्रास चालान नं. / दिनांक.....		बैंक/ब्रांच	—

MOU से संबंधित सोसाइटी की सूचना

1. गैर सरकारी विद्यालय का नाम
2. गैर सरकारी विद्यालय का पता
3. कक्षा स्तर संकाय
4. माध्यम
5. MOU की दिनांक
6. MOU की समयावधि
7. MOU अन्तर्गत वर्चुअल विद्यालय द्वारा एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या

MOU विद्यालय से संबंधित जानकारी:-

सोसाइटी का नाम			
सोसाइटी का परिक्षेत्र			
विद्यालय का नाम			
जिला			
ब्लॉक			
ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.			
ग्राम वार्ड			
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाइटी का /किराये का)	सत्यमेव जयते		
		पीएसपी कोड-	
		डाइस कोड-	
		विद्यालय का स्थापना वर्ष-	
प्लॉट न./खसरा न.		एसटीडी कोड-	
आसा-पासा			
विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)			
विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)			
विद्यालय का पूरा पता (अंग्रेजी में)			
ग्राम/शहर का पिन कोड जहाँ विद्यालय स्थित है		नजदीकी पुलिस थाने का नाम	
ग्राम/शहर का एसटीडी कोड		विद्यालय का फोन	

५५

		नम्बर	
विद्यालय की ई-मेल आईडी		विद्यालय की वेबसाइट	
सोसाइटी प्रधान का नाम		सोसाइटी प्रधान के मोबाईल नम्बर	
क्या विद्यालय मूक बधिर / दृष्टिहीन श्रेणी का है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय जन जाति क्षेत्र में संचालित है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
विद्यालय टीएसपी / नॉन टीएसपी	☐ टीएसपी	☐ नॉन टीएसपी	
विभाग द्वारा स्वीकृत विद्यालय संचालन की स्थिति	☐ एक पारी	☐ दो पारी	
अंतिम / अद्यतन विभागीय मान्यता / कमोन्नति / स्थान परिवर्तन आदि हेतु जारी आदेश-	कमांक.....	दिनांक...	
	माध्यम	कक्षा स्तर	
	☐ हिन्दी	☐ कक्षा 1-10 ☐ कक्षा 1-12	
विभाग द्वारा स्वीकृत माध्यम / कक्षा स्तर	☐ अंग्रेजी	☐ कक्षा 1-10 ☐ कक्षा 1-12	-
प्रदत्त मान्यता के अनुसार विद्यालय का वर्ग-	☐ छात्र ☐ छात्रा ☐ सहशिक्षा		
विभाग द्वारा स्वीकृत पारी संचालन	☐ एक पारी	☐ दो पारी	
विद्यालय किस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त है-	☐ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ☐ सीबीसीई ☐ सीआईएससीई ☐ सीएआईई		
विद्यालय को विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता स्तर	☐ कक्षा 1-10 ☐ कक्षा 1-12		

(4)

MOU विद्यालय भवन से संबंधित जानकारीयां—

विद्यालय भूमि एवं भवन की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का ☐ किराये का ☐ उपहार विलेख पत्र ☐ निःशुल्क / रियायती दर पर आवंटित I शहरी II ग्रामीण— (i) ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित आवासीय पट्टा (ii) कृषि भूमि	क्या विद्यालय भूमि/ भवन/अन्य निर्माण/खेल मैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।	☐ हाँ ☐ नहीं	☐ नहीं
विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है अथवा नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं			
विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल खेल मैदान सहित (in sq. Mt.)		विद्यालय के निर्मित भवन का कुल क्षेत्रफल (in sq. Mt.)		
विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	☐ कृषि ☐ आवासीय ☐ वाणिज्यिक ☐ सोसाइटीनिक	खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का ☐ किराये का ☐ सार्वजनिक पार्क	पार्क की विद्यालय से दूरी(किमी / वर्ग मीटर)—
विद्यालय का खेल मैदान विद्यालय परिसर में है अथवा नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं	☐ हाँ ☐ नहीं		
क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय परिसर की भूमि एवं भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता से प्रमाणित है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	अभियंता का नाम		

अभियंता का पद		अभियंताका पदस्थापन स्थान	
अभियंता का मोबाईल नंबर			
भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	☐ हाँ ☐ नहीं	अभियंता का नाम	
अभियंता का पद		अभियंता का पदस्थापन स्थान	
अभियंता का मोबाईल नंबर			
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालात में उपलब्ध है ?			☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाईल टावर है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय भवन, परिसर के उपर से विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?	☐ नल ☐ हेण्डपम्प / ट्यूबेल ☐ टांका ☐ टैंकर द्वारा

Rajasthan Education Department

अन्य विवरण-

कक्षा कक्षाओं की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं		कक्षा कक्षाओं की संख्या जो गैर शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं	
पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या		पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या	
क्या विद्यालय में लाईब्रेरियन नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में लिपिक नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय में पी.टी.आई नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में लैब बॉय नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं
छात्रों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है		☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय में छात्रों के बैठने हेतु सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है		☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुंच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं ?		☐ हाँ ☐ नहीं	

२५

विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ?	☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है/करेगा ?	☐ हाँ ☐ नहीं
क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है/करेगा ?	☐ हाँ ☐ नहीं

इन्फ्रास्ट्रक्चर का विवरण –

कक्ष का विवरण	कक्षों की संख्या	साईज (in sq. Mt.)	
		लम्बाई (in sq. Mt.)	चौड़ाई (in sq. Mt.)
शिक्षण हेतु उपलब्ध कक्षा कक्ष(कक्षा कक्षों के संबंध में कक्षा कक्ष एवं प्रत्येक कक्ष की माप हेतु परिशिष्ट..... पूर्ण कर संलग्न है)			
प्रधानाध्यापक कक्ष			
कार्यालय कक्ष			
अध्यापक कक्ष			
खेलकूद कक्ष			
भण्डार कक्ष			
पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर-पी. 3+			
पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर-पी. 4+			
पूर्व प्राथमिक कक्षा स्तर-पी. 5+			
कक्षा – कक्ष-1			
कक्षा – कक्ष-2			
कक्षा – कक्ष-3			
कक्षा – कक्ष-4			
कक्षा – कक्ष-5			
कक्षा – कक्ष-6			
कक्षा – कक्ष-7			
कक्षा – कक्ष-8			
कक्षा – कक्ष-9			
कक्षा – कक्ष-10			
कक्षा – कक्ष-11			
कक्षा – कक्ष-12			
कक्षा – कक्ष-13			
कक्षा – कक्ष-14			
कक्षा – कक्ष-15			
कक्षा – कक्ष-16			
कक्षा – कक्ष-17			

42

कक्षा -- कक्ष-18			
कक्षा -- कक्ष-19			
कक्षा -- कक्ष-20			
कक्षा -- कक्ष-21			
कक्षा -- कक्ष-22			
कक्षा -- कक्ष-23			
कक्षा -- कक्ष-24			
कक्षा -- कक्ष-25			
कक्षा -- कक्ष-26			
कक्षा -- कक्ष-27			
कक्षा -- कक्ष-28			
कक्षा -- कक्ष-29			
कक्षा -- कक्ष-30			
बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-2 शौचालयों व मूत्रालयों की संख्या:-			

विद्यार्थियों का कक्षा वार नामांकन विवरण:-

क्र.सं	कक्षा	विद्यार्थी नामांकन	उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या
1.	कक्षा-9		
2.	कक्षा-10		
3.	कक्षा-11		
4.	कक्षा-12		

आवेदन पत्र के साथ पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज संलग्न की स्थिति
01.	सोसायटी का पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (सोसाइटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
02.	सोसायटी के विधान की प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है। (सोसाइटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि (सोसाइटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं
04.	वर्चुअल स्कूल आदि के संबंध में प्रबन्ध	☐ हाँ

(4)

	कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति। (सोसाइटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐	नहीं
05	निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र	☐ ☐	हाँ नहीं
06	फीस एक्ट की पालना किए जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति।	☐ ☐	हाँ नहीं
07	मान्यता शुल्क का ई-ग्रास चालान	☐ ☐	हाँ नहीं
08	VIP के अन्तर्गत किये गये MOU संबंधित दस्तावेज	☐ ☐	हाँ नहीं

MOU विद्यालय से संबंधित वांछित दस्तावेज

1.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रति हस्ताक्षरित नजरी/पैमाइशी नक्शा के साथ (सोसाइटी सचिव द्वारा सत्यापित एवं यदि भूमि उपहार विलेख से है तो उपहार विलेख की रजिस्टर्ड प्रति आवश्यक है।) सत्यमेव जयते	☐ ☐	हाँ नहीं
2.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे एवं किराएदाता की भूमि के मालिकाना दस्तावेज की सत्यापित प्रति। (सोसाइटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ ☐	हाँ नहीं
3.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से सोसाइटीनिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण के आदेश की प्रति (सोसाइटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ ☐	हाँ नहीं

५२

4.	विद्यालय भवन/भूमि का प्रकार-आवासीय/कृषि/व्यावसायिक है तो संबंधित दस्तावेज।	○ ○	हाँ नहीं
5.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की प्रति (सोसाइटी सचिव द्वारा सत्यापित)	○ ○	हाँ नहीं
6.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की समस्त भूमि (जो एक ही परिसर में स्थित हो) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जारी किया हो। जिसमें सोसाइटी का नाम तथा विद्यालय का नाम, भूमि का प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आसा पासा, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मूख्य दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।	○ ○	हाँ नहीं
7.	विद्यालय की आय-व्यय की सी.ए. द्वारा गत तीन वर्षों की प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)	○	हाँ नहीं
8.	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।	○ ○	हाँ नहीं
9.	विद्यालय की स्थापना वर्ष	○ ○	हाँ नहीं
10.	विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालय को जारी मान्यता/कमोन्सि/स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/सोसाइटी अंतरण आदि के आदेशों की प्रमाणित प्रति।	○ ○	हाँ नहीं

11.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र	☐ हॉ ☐ नहीं
12.	फीस एक्ट की पालना किए जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति।	☐ हॉ ☐ नहीं
13.	आरटीई अन्तर्गत निःशुल्क प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षा वार छात्रों की संख्या का विवरण।	☐ हॉ ☐ नहीं
14.	विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हॉ तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....	☐ हॉ ☐ नहीं
15.	विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....	☐ हॉ ☐ नहीं

आवेदन पत्र में दी गई समस्त जानकारी एवं सूचनाएं मेरी जानकारी में पूर्ण रूप से सत्य है। किसी भी सूचना के गलत पाये जाने पर/संबन्धित दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाने पर आवेदन पत्र को विभाग द्वारा निरस्त किये जाने का पूर्ण अधिकार होगा। वर्चुअल विद्यालय की मान्यता के लिये किये गये MOU संबंधी भविष्य में किसी भी प्रकार का न्यायिक/अन्य वाद दायर होने पर शिक्षा विभाग के किसी भी स्तर के कार्यालय/व्यक्ति को वाद में पक्षकार नहीं बनाया जायेगा।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

हस्ताक्षर
सोसाइटी सचिव
मोहर

वर्चुअल स्कूल के आवेदन हेतु निरीक्षण प्रतिवेदन(सत्र 2023-24)

(नोट:—निरीक्षण दल द्वारा विद्यालय द्वारा भरी गई सूचनाएं, भौतिक निरीक्षण एवं संलग्न दस्तावेजों का मिलान कर सत्यापन किया जाना अनिवार्य रहेगा। वर्चुअल विद्यालय संबंधी के दिशा-निर्देशों का भली भांति अध्ययन कर तदनुरूप ही निरीक्षण प्रतिवेदन भरा जावे।)

गैर सरकारी वर्चुअल विद्यालय मान्यता हेतु निरीक्षण प्रारूप प्रपत्र:—

आवेदनपत्र क्रमांक..... दिनांक..... जिला.....

वर्चुअल विद्यालय का नाम (हिन्दी में)
(IN English)

वर्चुअल विद्यालय का पता

जिला

राज्य राजस्थान

सोसाईटी का नाम

क्या सोसाईटी, राजस्थान सोसाईटी रजिस्ट्रीकरण एक्ट 1958 / राजस्थान लोक न्यास अधिनियम 1959 के तहत रजिस्टर्ड है हाँ नहीं ☐

सोसाईटी के रजिस्ट्रेशन नं. रजिस्ट्रेशन दिनांक

सत्यमेव जयते

(4)

आवेदन का प्रकार

(जिस हेतु आवेदन किया जा रहा है, उसके सभी क्षेत्रों को भरना अनिवार्य होगा)

वर्चुअल विद्यालय मान्यता:-

1.	वर्चुअल विद्यालय मान्यता का स्तर	प्रकार	निरीक्षण दल द्वारा सत्यापन (Yes/No)
		☐ 9 से 10 ☐ 11 से 12 ☐ 9 से 12	
2	वर्चुअल विद्यालय मान्यता हेतु माध्यम	☐ हिन्दी ☐ अंग्रेजी ☐ हिन्दी एवं अंग्रेजी दोनों	
3	संकाय(लागू हो तो)	☐ विज्ञान ☐ वाणिज्य ☐ कला ☐ कृषि विज्ञान	

(1) वर्चुअल विद्यालय से संबंधित जानकारी:-

	-	-	-	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हाँ / नहीं)
विद्यालय का नाम				
विद्यालय का नाम				
जिला				
ब्लॉक				
ग्राम पंचायत/यू.एल.बी.				
ग्राम वार्ड				
		पीएसपी कोड-		
		डाइस कोड-		
		एसटीडी कोड-		
		विद्यालय का स्थापना वर्ष-		
प्लॉट न./खसरा न.				
आसा पास				
विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)				
विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)				
विद्यालय का पूरा पता (अंग्रेजी में)				
ग्राम/शहर का पिन कोड जहाँ		नजदीकी पुलिस		

4

विद्यालय स्थित है		थाने का नाम		
ग्राम/शहर का एसटीडी कोड		विद्यालय का फोन नम्बर		
विद्यालय की ई-मेल आईडी		विद्यालय की वेबसाइट		
संस्था प्रधान का नाम		संस्था प्रधान के मोबाईल नम्बर		

(2) सोसाइटी की जानकारी:-

सोसाइटी का नाम:-			सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
सोसाइटी पंजीयन संख्या	सोसाइटी पंजीयन वर्ष एवं दिनांक		
सोसाइटी का पूरा पता			
सोसाइटी का दूरभाष नम्बर			
अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष का मोबाईल नम्बर		
सचिव का नाम	सचिव का मोबाईल नम्बर		
क्या सोसाइटी के उद्देश्यों में विद्यालय या शिक्षण सोसाइटी खोलने का उल्लेख है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं	
क्या सोसाइटी की प्रबन्धन समिति की बैठक में वर्चुअल विद्यालय को खोलने का निर्णय लिया गया है ?	☐ हाँ	☐ नहीं	

सत्यमेव जयते

(3) वर्चुअल स्कूल की मान्यता से संबंधी न्यूनतम भौतिक मानदण्ड एवं शर्तें

1- Digital classroom Studio की संख्या

.....

2- E-library ☐ हाँ ☐ नहीं3- Online अध्ययन हेतु विषयवार योग्यता प्राप्त शिक्षकों की नियुक्ति ☐ हाँ ☐ नहीं

42

(4) वर्चुअल विद्यालय में नियुक्त कर्मचारियों का विवरण—

(नोट:— विद्यालय में किसी शिक्षक के कार्यरत नही होने अथवा शैक्षणिक/प्रशैक्षणिक योग्यता भिन्न पाये जाने पर टिप्पणी अंकित करें। यदि विद्यालय में निरीक्षण दिवस से पूर्व किसी कर्मचारी की नवीन नियुक्ति की गई है तो उसका नाम व योग्यता भी इस सूची में नीचे जोड़ दें।)

क्र.सं.	पदनाम	कर्मचारी का नाम	कर्मचारी के पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	लिंग	शैक्षणिक योग्यता	प्रशैक्षणिक योग्यता	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित किया जाये (Yes/No)	नियुक्ति आदेश क्रमांक व दिनांक
1									
2									
3									
4									

5-High Quality & frequency Network की व्यवस्था ☐हाँ ☐नहीं

6.सोसाईटी के पास स्वयं का Well developed website /mobile app हैं। ☐हाँ ☐नहीं

(7). शुल्क का विवरण —सामान्य शुल्क/विलम्ब शुल्क:—

ईग्रास चालान नं. / दिनांक.....	बैंक/ब्रांच	—	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हाँ/नहीं)

५

(8) MOU से संबंधित सोसाईटी की सूचना

1. गैर सरकारी विद्यालय का नाम
2. गैर सरकारी विद्यालय का पता
3. कक्षा स्तर सकाय
4. माध्यम
5. MOU की दिनांक
6. MOU की समयावधि
7. MOU अन्तर्गत वर्चुअल विद्यालय द्वारा एक शैक्षिक सत्र में अधिकतम प्रवेशित विद्यार्थियों की संख्या

(9) MOU विद्यालय विवरण

(विद्यालय विवरण के सभी क्षेत्रों को भरना अनिवार्य होगा)

(1) विद्यालय से संबंधित जानकारी:-

	-	-	-	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हाँ / नहीं)
सोसाईटी का नाम				
सोसाईटी का परिक्षेत्र				
विद्यालय का नाम				
जिला				
ब्लॉक				
ग्राम पंचायत / यू.एल.बी.				
ग्राम वार्ड				
विद्यालय में भवन की स्थिति (स्वयं सोसाईटी का / किराये का)				
		पीएसपी कोड-		
		डाईस कोड-		
		एसटीडी कोड-		
		विद्यालय का स्थापना वर्ष-		
प्लॉट नं. / खसरा नं.				
आसा पास				
विद्यालय का पूरा नाम (अंग्रेजी में)				
विद्यालय का पूरा नाम (हिन्दी में)				
विद्यालय का पूरा पता (अंग्रेजी में)				
ग्राम / शहर का पिन कोड जहाँ विद्यालय स्थित है		नजदीकी पुलिस थाने का नाम		
ग्राम / शहर का एसटीडी कोड		विद्यालय का फोन नम्बर		



विद्यालय की ई-मेल आईडी		विद्यालय की वेबसाइट		
संस्था प्रधान का नाम		संस्था प्रधान के मोबाईल नम्बर		
क्या विद्यालय मूक बधिर / दृष्टिहीन श्रेणी का है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय जन जाति क्षेत्र में संचालित है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय टीएसपी/नोन टीएसपी	☐ टीएसपी	☐ नोन टीएसपी		
विभाग द्वारा स्वीकृत विद्यालय संचालन की स्थिति	☐ एक पारी	☐ दो पारी		
अंतिम/अद्यतन विभागीय मान्यता/कमोन्नति/स्थान परिवर्तन आदि हेतु जारी आदेश-	क्रमांक.....	दिनांक...		
	माध्यम	कक्षा स्तर		
विभाग द्वारा स्वीकृत माध्यम/कक्षा स्तर	☐ हिन्दी	☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8 ☐ कक्षा 6-8	-	
	☐ अंग्रेजी	☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8 ☐ कक्षा 6-8		
प्रदत्त मान्यता के अनुसार विद्यालय का वर्ग-	☐ छात्र ☐ छात्रा ☐ सहशिक्षा			
विभाग द्वारा स्वीकृत पारी संचालन	☐ एक पारी	☐ दो पारी		
विद्यालय किस बोर्ड से संबद्धता प्राप्त है-	☐ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान ☐ सीबीसीई ☐ सीआईएससीई ☐ सीएआईई			
विद्यालय को विभाग द्वारा स्वीकृत मान्यता स्तर	☐ कक्षा 1-5 ☐ कक्षा 1-8			

41

(2) सोसाइटी की जानकारी:-

सोसाइटी का नाम:-			सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
सोसाइटी पंजीयन संख्या	सोसाइटी पंजीयन वर्ष एवं दिनांक		
सोसाइटी का पूरा पता			
सोसाइटी का दूरभाष नम्बर			
अध्यक्ष का नाम	अध्यक्ष का मोबाईल नम्बर		
सचिव का नाम	सचिव का मोबाईल नम्बर		

(3) MOU विद्यालय भवन से संबंधित जानकारी:-

विद्यालय भूमि एवं भवन की स्थिति	○ स्वयं सोसाइटी का ○ किराये का ○ उपहार विलेख पत्र ○ निःशुल्क/रियायती दर पर आवंटित - I शहरी - II ग्रामीण- (i) ग्राम पंचायत द्वारा आवंटित आवासीय पट्टा (ii) कृषि भूमि भूमि भूरोपान्तरित है- ○ हाँ ○ नहीं	क्या विद्यालय भूमि/भवन/अन्य निर्माण/खेल मैदान इत्यादि केवल शैक्षणिक कार्य के लिए उपयोग में लिए जाते हैं।	○ हाँ	○ नहीं	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हाँ/नहीं)
विद्यालय एक ही परिसर में संचालित है अथवा नहीं		○ हाँ	○ नहीं		
विद्यालय परिसर का कुल क्षेत्रफल खेल मैदान सहित (in sq. Mt.)			विद्यालय के निर्मित भवन का कुल		



		क्षेत्रफल (in sq. Mt.)		
विद्यालय भवन की भूमि का प्रकार	☐ कृषि ☐ आवासीय ☐ वाणिज्यिक ☐ सोसाइटी/नक	खेल मैदान के स्वामित्व की स्थिति	☐ स्वयं सोसाइटी का ☐ किराये का ☐ सार्वजनिक पार्क	
विद्यालय का खेल मैदान विद्यालय परिसर में है अथवा नहीं	☐ हाँ	☐ नहीं		
क्या विद्यालय में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में इंटरनेट एक्सेस उपलब्ध है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय परिसर की भूमि एवं भवन का नक्शा सार्वजनिक निर्माण विभाग/हाउसिंग बोर्ड के सहायक अभियंता से प्रमाणित है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	अभियंता का नाम		
अभियंता का पद		अभियंता का पदस्थापन स्थान		
अभियंता का मोबाईल नंबर				
भवन का नवीन सुरक्षा प्रमाण पत्र सार्वजनिक निर्माण विभाग के सहायक अभियंता से प्रमाणित है	☐ हाँ ☐ नहीं	अभियंता का नाम		
अभियंता का पद		अभियंता का पदस्थापन स्थान		
अभियंता का मोबाईल नंबर		सत्यमेव जयते		
क्या अग्नि सुरक्षा प्रणाली चालू हालात में उपलब्ध है ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय भवन परिसर में मोबाईल टावर है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय भवन, परिसर के उपर से विद्युत हाईटेंशन लाईन गुजर रही है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय में स्वच्छ पेयजल की उचित व्यवस्था है ?	☐ हाँ ☐ नहीं	यदि हाँ तो क्या-क्या व्यवस्था उपलब्ध है ?	☐ नल ☐ हेण्डपम्प/ट्यूबेल ☐ टांका ☐ टैंकर द्वारा	

(4). अन्य विवरण—

कक्षा कक्षाओं की संख्या जो शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं		कक्षा कक्षाओं की संख्या जो गैर शिक्षण कार्य के लिए इस्तेमाल किये जाते हैं		सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हाँ/नहीं)
पुस्तकालय में उपलब्ध पुस्तकों की संख्या		पुस्तकालय में आने वाले समाचार पत्र/पत्रिकाओं की संख्या		
क्या विद्यालय में लाइब्रेरियन नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में लिपिक नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय में पी.टी.आई नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	क्या विद्यालय में Lab Assistant नियुक्त है	☐ हाँ ☐ नहीं	
आवेदन पत्र के साथ संलग्न 10 फोटो के अनुसार विद्यालय भवन/सुविधा उपलब्ध है (विद्यालय भवन का बाहरी दृश्य, आंतरिक दृश्य, भौतिक सुविधाओं आदि की)			☐ हाँ ☐ नहीं	
छात्रों के बैठने हेतु पर्याप्त फर्नीचर उपलब्ध है			☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय में छात्रों के बैठने हेतु सिंगल सीटेड फर्नीचर उपलब्ध है			☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय में सभी बालक-बालिकाओं (विशेष योग्यजन सहित) की पहुंच हेतु सुविधाएं उपलब्ध हैं ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय में टीचिंग लर्निंग मटेरियल की उपलब्धता है ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय शहरी क्षेत्र (नगर पालिका/नगर परिषद/नगर निगम) अथवा ग्रामीण (ग्राम पंचायत) क्षेत्र में स्थित है ।			☐ शहरी ☐ ग्रामीण	
विद्यालय में खेल के उपकरणों की पर्याप्त उपलब्धता है ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत पाठ्यक्रम का अनुसरण करता है/करेगा ?			☐ हाँ ☐ नहीं	
क्या विद्यालय शिक्षा विभाग द्वारा निर्धारित शैक्षणिक कलेण्डर का अनुसरण करता है/करेगा ?			☐ हाँ ☐ नहीं	



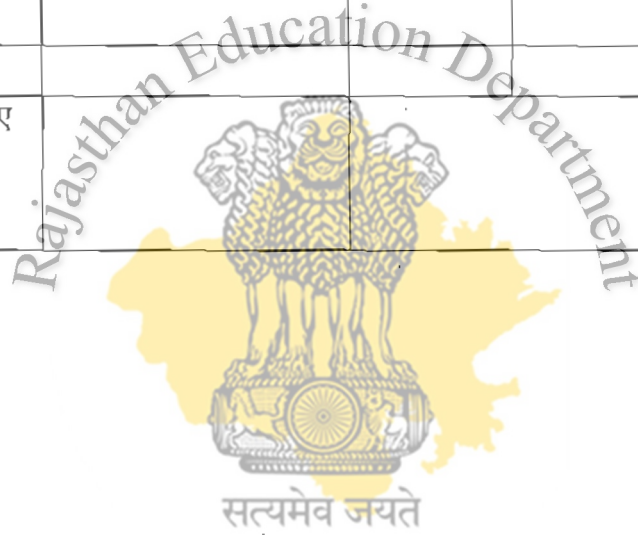
शहरी क्षेत्र में स्थित विद्यालय भवन एवं खेल मैदान की भूमि का शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू-रूपान्तरण किया गया है	☐ हाँ ☐ नहीं	
विद्यालय भवन एवं खेल मैदान ब्लू प्रिंट अनुसार है अथवा नहीं ?	☐ हाँ ☐ नहीं	

(5) इंफ्रास्ट्रक्चर का विवरण –

कक्ष का विवरण	कक्षों की संख्या	साईज (in sq. Mt.)		सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (हाँ / नहीं)	
		लम्बाई (in Mt.)	चौड़ाई (in Mt.)		
शिक्षण हेतु उपलब्ध कक्षा कक्ष (कक्षा कक्षों के संबंध में कक्षा कक्ष एवं प्रत्येक कक्ष की माप हेतु परिशिष्ट..... पूर्ण कर संलग्न है)				लम्बाई	चौड़ाई
प्रधानाध्यापक कक्ष					
कार्यालय कक्ष					
अध्यापक कक्ष					
खेलकूद कक्ष					
भण्डार कक्ष					
कक्षा – कक्ष-1					
कक्षा – कक्ष-2					
कक्षा – कक्ष-3					
कक्षा – कक्ष-4					
कक्षा – कक्ष-5					
कक्षा – कक्ष-6					
कक्षा – कक्ष-7					
कक्षा – कक्ष-8					
कक्षा – कक्ष-9					
कक्षा – कक्ष-10					
कक्षा – कक्ष-11					
कक्षा – कक्ष-12					
कक्षा – कक्ष-13					
कक्षा – कक्ष-14					

(4) —

कक्षा - कक्ष-15					
कक्षा - कक्ष-16					
कक्षा - कक्ष-17					
कक्षा - कक्ष-18					
कक्षा - कक्ष-19					
कक्षा - कक्ष-20					
कक्षा - कक्ष-21					
कक्षा - कक्ष-22					
कक्षा - कक्ष-23					
कक्षा - कक्ष-24					
कक्षा - कक्ष-25					
कक्षा - कक्ष-26					
कक्षा - कक्ष-27					
कक्षा - कक्ष-28					
कक्षा - कक्ष-29					
कक्षा - कक्ष-30					
बालक-बालिकाओं के लिए पृथक-2 शौचालयों व मूत्रालयों की संख्या:-					



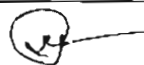
(6) विद्यार्थियों का कक्षा वार नामांकन विवरण:-

क्र.सं	कक्षा	विद्यार्थी नामांकन	उपस्थित विद्यार्थियों की संख्या	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी (Yes/No)
1.	कक्षा-9			
2.	कक्षा-10			
3.	कक्षा-11			
4.	कक्षा-12			

५

(10) आवेदन पत्र के साथ पत्रावली में संलग्न किये जाने वाले दस्तावेजों का विवरण

क्र. स.	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज संलग्न की स्थिति	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी पत्रावली की पृष्ठ संख्या के साथ (हाँ/नहीं)
01.	सोसायटी के पंजीयन प्रमाण-पत्र की प्रति (सोसाईटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
02.	सोसायटी के विधान की प्रति जिसमें सोसायटी के शैक्षिक उद्देश्यों का उल्लेख है। (सोसाईटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
03.	सोसायटी की नवीनतम रजिस्टर्ड कार्यकारिणी के सदस्यों की प्रमाणित सूची मय विभागीय प्रतिनिधि (सोसाईटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
04.	वर्चुअल स्कूल आदि के संबंध में प्रबन्ध कार्यकारी समिति द्वारा लिये गये निर्णय की प्रति। (सोसाईटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
05.	निर्धारित प्रारूप अनुसार शपथ पत्र	☐ हाँ ☐ नहीं	
06.	फीस एक्ट की पालना किए जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति।	☐ हाँ ☐ नहीं	
07.	मान्यता शुल्क का ई-ग्रास चालान	☐ हाँ ☐ नहीं	
08.	VIP के अन्तर्गत किये गये MOU संबंधित दस्तावेज	☐ हाँ ☐ नहीं	



(11) MOU विद्यालय से संबंधित वांछित दस्तावेज

क्र.स.	दस्तावेज का विवरण	दस्तावेज संलग्न की स्थिति	सत्यापन दल द्वारा सत्यापित की गई जानकारी पत्रावली की पृष्ठ संख्या के साथ (हाँ/नहीं)
1.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि विद्यालय संचालित करने वाली सोसायटी की है तो भूमि के मालिकाना हक के रजिस्टर्ड दस्तावेज की प्रति हस्ताक्षरित नजरी/पैमाइशी नक्शा के साथ (सोसाईटी सचिव द्वारा सत्यापित) यदि भूमि उपहार विलेख से है तो उपहार विलेख की रजिस्टर्ड प्रति आवश्यक है।	☐ हाँ ☐ नहीं	
2.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि सोसायटी की नहीं है तो रजिस्टर्ड किरायेनामे एवं किराएदाता की भूमि के मालिकाना दस्तावेज की सत्यापित प्रति। (सोसाईटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
3.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की भूमि का सक्षम स्तर से सोसाईटीनिक/शैक्षणिक प्रयोजनार्थ भू रूपान्तरण के आदेश की प्रति (सोसाईटी सचिव द्वारा सत्यापित)	☐ हाँ ☐ नहीं	
4.	विद्यालय भवन/भूमि का प्रकार-आवासीय/कृषि/व्यावसायिक है तो संबंधित दस्तावेज।	☐ हाँ ☐ नहीं	
5.	विद्यालय भवन का सक्षम अधिकारी द्वारा जारी नवीनतम भवन सुरक्षा प्रमाण पत्र की	☐ हाँ ☐ नहीं	



	प्रति (सोसाईटी सचिव द्वारा सत्यापित)			
6.	विद्यालय भवन व खेल मैदान की समस्त भूमि (जो एक ही परिसर में स्थित हो) का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाणित ब्लू प्रिंट सक्षम अधिकारी सहायक अभियंता पी.डब्ल्यू.डी. द्वारा जारी किया हो। जिसमें सोसाईटी का नाम तथा विद्यालय का नाम, भूमि का प्लॉट नम्बर/खसरा नम्बर तथा भूमि की नाप, आस पास, खेल मैदान, निर्मित भवन, भवन के कक्षों का माप (वर्गमीटर में) का मौजूदा प्लान (EXISTING PLAN) का मय दिनांक स्पष्ट अंकन हो। उक्त वांछित सूचनाओं का अंकन नहीं किये जाने पर ब्लू प्रिंट स्वीकार्य नहीं होगा।	○ ○	हाँ नहीं	
7.	विद्यालय की आय-व्यय की सी.ए. द्वारा गत तीन वर्षों की प्रमाणित रिपोर्ट की प्रति (नवीन मान्यता के आवेदन हेतु लागू नहीं)	○ ○	हाँ नहीं	
8.	विद्यालय के पाँच रंगीन फोटो जो आवेदन के साथ अपलोड किये गये हैं।	○ ○	हाँ नहीं	
9.	विद्यालय की प्रथम मान्यता स्थापना वर्ष का प्रमाण पत्र	○ ○	हाँ नहीं	
10.	विभाग द्वारा समय-समय पर विद्यालय को जारी मान्यता/कमोन्नति/स्वीकृत संकाय एवं संकायवार विषय/स्थान परिवर्तन/नाम परिवर्तन/वर्ग परिवर्तन/माध्यम परिवर्तन/अति. संकाय/अति. विषय/अति. माध्यम/दो पारी संचालन/सोसाईटी अंतरण आदि के आदेशों की प्रमाणित प्रति।	○ ○	हाँ नहीं	



11.	अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र	○	हाँ	
		○	नहीं	
12.	फीस एक्ट की पालना किए जाने के संबंध में विद्यालय स्तरीय फीस समिति के गठन की प्रमाणित प्रति एवं फीस निर्धारण के संबंध में पारित प्रस्तावों की प्रति।	○	हाँ	
		○	नहीं	
13.	आरटीई अन्तर्गत निःशुल्क पर प्रवेशित विद्यार्थियों की कुल संख्या एवं कक्षा वार छात्रों की संख्या का विवरण।	○	हाँ	
		○	नहीं	
14.	विद्यालय के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जांच/कार्यवाही प्रक्रियाधीन है अथवा नहीं, यदि हाँ तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....	○	हाँ	
		○	नहीं	
15.	विद्यालय के विरुद्ध विभाग द्वारा जारी निर्णयादेश/दण्डादेश का प्रभाव वर्तमान में जारी है अथवा नहीं, यदि है तो विवरण मय प्रति संलग्न करें।.....	○	हाँ	
		○	नहीं	



सत्यमेव जयते

निरीक्षण दल की टिप्पणी वर्चुअल स्कूल मान्यता के संबंध में मय स्पष्ट अभिशंसा पूर्ण सत्यापन के साथ भरी जाये :-

--

1 हस्ताक्षर निरीक्षण दल अध्यक्ष

2 हस्ताक्षर सदस्य

3 हस्ताक्षर सदस्य

(मय दिनांक व मोहर)

(मय दिनांक)

(मय दिनांक)

जिला शिक्षा अधिकारी (मु.) माध्यमिक शिक्षा की स्पष्ट अभिशंसा :-



सत्यमेव जयते

हस्ताक्षर

जिला शिक्षाअधिकारी (मु.)

माध्यमिक शिक्षा